राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

शुक्रवार

दिनांक 18 फरवरी, 1983

(विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हर सहाय मीणा।

पथ परिवहन निगम द्वारा टायरों का बेचान

1. श्री हर सहाय मीणा (किशनगंज) व

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टायरों की बिक्री के मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के माध्यम से करवाई गई है ?

(2) यदि हां, तो उक्त मामले में कुल कितने टायर, किस राशि में बेचे गए थे ?

(3) उक्त मामले में क्या कार्यवाही हो चुकी है तथा क्या कार्यवाही होना शेष है ?

राज्य मंत्री, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जी हां।

(2) कुल 7000 टायर, 40 रुपये प्रति टायर की दर से नीलाम किये गये थे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : 40 रुपये में ! कमाल कर दिया, साहब। 40 रुपये में तो साइकिल का टायर भी नहीं आता, साहब।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उत्तर सुन लीजिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सप्लीमेंट्री पूछ लीजिएगा आप।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : जो बात की, खुदा की कसम लाजवाब की।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : (3) 2999 टायर जब्त किये जा चुके हैं। तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों से कराया गया। साक्षीगण एवं सम्बन्धित अधिकारीगण से अन्वेषण किया जाना शेष है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्नकर्ता।

एक माननीय सदस्य : सब्र रखिये आप।

श्री हर सहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, उनके नाम क्या हैं ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी इस बाबत में पूरी रिपोर्ट बनी नहीं है। केवल 2999 टायरों को जब्त किया है और उनका तकनीकी परीक्षण हुआ है। बयानात वगैरह लिये जा रहे हैं। इसके बाद यह तय होगा कि कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं। यह तय करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, जब इतना बड़ा काण्ड है तो पूरी रिपोर्ट मंत्री जी के पास क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केवल तीन सप्लीमेंट्री प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : एक एक करके पूछिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : एक-एक करके पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा तेज गति से नहीं।

श्री दीपेन्द्र सिंह : लेकिन तीन की इजाजत दे देंगे आप ?

यह जो टायर नीलाम किये गये, मैं सोचता हूं निश्चित रूप से इनमें कुछ खराब होंगे तो कुछ अच्छे भी होंगे। जो टायर अच्छे और ब्राण्ड न्यू नजर आते हैं उनको जब पर्चेज किया गया तो जिन आफिसरों ने पर्चेज किये और बेचे तो क्या इसकी जांच की गयी ? क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, जिन्होंने पर्चेज किये ?

दूसरा यह कि 2999 टायर जब्त किये गये हैं। जो टायर जब्त नहीं किये गये हैं, 7000 में से जो टायर रह गये हैं उनको जिन ठेकेदारों ने पर्चेज किया है और जिन्होंने बोली लगाई है वह तब लगनी चाहिये थी जब टायर सामने हों लेकिन टायर जयपुर में थे और बोली अजमेर में लगी, तो क्या यह उचित था ?

जो टायर एन्टी करप्शन डिपार्टमेण्ट ने जब्त कर लिये वह जिन टायर कम्पनियों से खरीदे उनके जो एक्सपर्ट या इंजीनियर हैं क्या उन लोगों की कमेटी बनाकर उनकी रिपोर्ट ली गयी और क्या उसमें यह पाया गया कि जितने के टायर बेचे गये उतने के नहीं हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है ? क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही निश्चित अवधि में करने का आश्वासन सदन को देते हैं ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं, उनमें से जहां तक जांच की कार्यवाही का सवाल है, एक कमेटी रोडवेज की बनी हुई है उस कमेटी के...

श्री दीपेन्द्रसिंह : एन्टी करप्शन डिपार्टमेण्ट के बारे में पूछा है, डिपार्टमेण्ट का नहीं। एन्टीकरप्शन ने क्या जांच कमेटी बनाकर कार्यवाही करवायी है कि जो...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : सवाल के जवाब के बाद यदि कुछ पूछना है तो मैं सहर्ष जवाब दूंगा। जो सवाल पूछा है कि कितने कण्डम किये, उसका आपको जवाब दे रहा हूं।

वह तीन आदमियों की कमेटी है जिसमें कार्य-व्यवस्थापक, ली लैण्ड, मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर और खण्ड

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)
अभियन्ता। इन तीन आदमियों की कमेटी ने जिन टायरों को कण्डम किया था, उनको बेचने की कार्यवाही की गयी।

जो दूसरा सवाल है उसका जवाब है कि जो नीलाम करने की सूचना निकाली है, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है कि इतने टायर जयपुर में हैं और इतने टायर अजमेर में हैं। जो भी बोली लगाना चाहते हैं, वह फलां-फलां जगह टायर रखे हुए हैं, वहां देख सकते हैं।

तीसरा सवाल किया है कि जिन टायरों को कन्डम किया है या बाद में जब्त किये गये हैं, उनकी कीमत में क्या फर्क है···

श्री दीपेन्द्र सिंह : जो टायर पर्चेज किये गये वह नये के नये बेच दिये···

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जो टायर जब्त किये गये हैं, उनका तकनीकी परीक्षण विशेषज्ञों के द्वारा कराया गया। उन्होंने उन टायरों का परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट दी है कि 1753 टायर स्क्रेप, 1089 पुनः रिट्रेड करने लायक थे, 137 कम्पनी से कीमत प्राप्त करने योग्य थे और 20 टायर यथास्थिति काम में लेने योग्य पाये गये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन टायरों की कम्पनी से कीमत प्राप्त करना चाहिए थी, पहली बात तो वह खरीदे क्यों गये और दूसरी बात, अधिकारी देख रहे हैं तो क्लेम की कार्यवाही कब चालू की गयी ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री दीपेन्द्र सिंह : अलग कैसे, अध्यक्ष महोदय ? इससे सम्बन्धित प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, खरीदने की कार्यवाही में घोटाला हुआ है···

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अगर सही होते तो यह बात नहीं होती। कुछ गड़बड़ हुई है इसीलिए जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा मन्त्री महोदय से कि क्या···

श्री अध्यक्ष : आपकी तैयारी हुई नहीं लगती।

श्री नाथू सिंह : जैसा आपने बताया कि जो जांच की है उसमें 137 टायर ऐसे पाये गये जो कुछ मेन्यूफेक्चरिंग डिफेक्ट के थे। तो ऐसे टायरों के बारे में रोडवेज ने कम्पनी को लिखा ? यदि लिखा, तो कब लिखा ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर। मैंने अवसर दिया···

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या उनको बेचने का अधिकार है ?

एक माननीय सदस्य : खरीदने के सवाल पर आइये न। बेचने के सवाल पर क्यों बोल रहे है।

श्री नाथू सिंह : दूसरा प्रश्न है कि इतने अन्तराल के बाद जब टायर बेचे गये तो रोडवेज निगम के इन टायरों के बारे में कब-कब आपको शिकायतें प्राप्त हुईं ? एक साल से, पिछले सैशन से आप को मालूम है, उस समय टायर बेचे थे, एन्टी करप्शन में मामला गया, इसको जांच करने को कि वास्तविकता

(4)

(श्री नाथू सिंह)

क्या है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला महत्वपूर्ण है, 48 लाख रुपये का घोटाला हुआ है इन टायरों को बेचने में। रिट्रेडिंग के लायक जितने टायर थे उनका फिजीकल वेरीफिकेशन करके रिट्रेड कराते। यह 48 लाख का घोटाला हुआ है। इस मामले में जितने दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ अभी तक क्या आपने एफ.आई.आर. दर्ज करायी है? यदि करायी है तो कब करायी? और यदि नहीं करायी तो क्यों नहीं करायी? एन्टी करप्शन के द्वारा जांच हो रही है, वैसे ही इस पूरे सदन की कमेटी द्वारा इसकी विस्तृत जांच हो क्योंकि इतना बड़ा जो स्केण्डल हुआ है। इससे जितने लोग संबंधित हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो, इस दृष्टि से क्या आप सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी बनायेंगे जो जल्दी से जल्दी...

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : क्या सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी बनाकर आप इस सारे मामले की जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पहला सवाल है बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य का, मेरा निवेदन है कि उनमें मेन्यूफेक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था। एक कमेटी थी जिसने उन टायरों को ऐसा पाया, उसकी दृष्टि में वे टायर काम में आने योग्य नहीं हैं। उस कमेटी की राय पर उन टायरों को नीलाम किया गया। दूसरी बात यह है, जैसा कि आपने फर्माया, क्या इसकी शिकायत मिली? तो 4-11-81 को हमारे डिपार्टमेंट में एक शिकायत मिली थी, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके...

श्री नाथूसिंह : शिकायत कब मिली थी?

श्री गोविन्दसिंह (गुर्जर): 4-11-81 को। अभी तक उसकी जांच प्रक्रिया चालू है। जाँच अच्छे तौर पर, निष्पक्ष तरीके से होकर बिल्कुल तकनीकी मामले को देखते हुए जो भी अधिकारी दोषी पाये जायेंगे, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्यवाही की जावेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तीन पूरक प्रश्नों की और इजाजत दूंगा। श्री कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या उन टायरों के बेचान में आप अनियमितता अभी तक रिकार्ड के आधार पर मानते हैं? यदि आप मानते हैं तो जब से आपने यह स्वीकार किया कि अनियमितता हुई है उससे लेकर अब तक उस पर क्या एक्शन हुआ? आगे क्या आपको करना है व कितने समय में कर देंगे? इसका जवाब दे दें।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में बताया है, तीन हजार टायरों का माइन्यूट परीक्षण किया गया है। एक-एक टायर को कब खरीदा, उसको

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)
रिकार्ड में कब लिया, क्यों बेचान किया है, एक-एक टायर का फोटोग्राफ लेकर उसकी कार्यवाही पूरी की है। अभी तक दो आदमियों के एप्रूव्ड बयान लिए गए हैं। जब सारी कार्यवाही पूरी हो जाएगी उसके बाद जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उन पर उनसे सम्बन्धित विभाग कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : जांच की निश्चित अवधि की घोषणा करा दें, अध्यक्ष महोदय, दो महीने, चार महीने, छः महीने, साल, दस साल, बीस साल, कब तक पूरी कर लेंगे ? निश्चित अवधि बता दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय मंत्री महोदय...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने अभी बताया कि 137 टायर ऐसे पाए गए जिनका पैसा कम्पनी से लेना है। तो जिन टायरों का पैसा कम्पनी से लेना है उनको नीलाम क्यों कर दिया ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : नीलाम कर दिये इसीलिए जांच की जा रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो नए टायर बेचे गए हैं, जिनका पैसा कम्पनी से लेना था, उनकी जांच करवाई गई कि वे टायर क्यों बेच दिए ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इस मामले में निश्चित शिकायत 4-11-81 को मिल गई, उसको मिले डेढ़ साल हो गया, उसके बाद भी हम इस स्थिति में नहीं हैं कि यह बता सकें, कब तक फैसला हो जाएगा ? तकनीकी जांच इसमें पूरी हो गई है तो यह बतायें कि कब तक फैसला हो जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह : निश्चित अवधि की घोषणा तो करा दें।

श्री अध्यक्ष : अभी करवा देंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मैं निश्चित अवधि की घोषणा के बारे में यही कह सकता हूं कि एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट छः महीने के अन्दर जांच पूरी कर लेगा।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह : ठेकेदार चक्कर लगाने गए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिलसिले से सब को अवसर दूंगा।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया, नीलामी

(श्री भंवरलाल शर्मा)
से पहले एक कमेटी ने कहा कि उनको बेच दिया जावे, नीलाम कर दिया जावे। वह रिपोर्ट क्या थी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। आपस में बातें नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नीलामी से पहले जिन अधिकारियों ने यह तय किया था कि इनको नीलाम कर दिया जावे, नीलाम करने योग्य माना था, उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें।

दूसरा प्रश्न यह है, उस रिपोर्ट के अनुसार मैं यह जानना चाहता हूं कि उन टायरों में से सबसे अधिक काम में लिया हुआ, कितने माइल चला हुआ कौन सा था और सबसे कम चला हुआ, कितने माइल चला हुआ कौनसा था ?

श्री अध्यक्ष : इसमें विस्तृत जानकारी चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं जांच नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा प्रश्न दुबारा सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुन लिया, पूरे सदन ने सुन लिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह रिपोर्ट क्या है, यह बता दीजिए जिस रिपोर्ट के आधार पर नीलाम किए गए। वह रिपोर्ट जानना चाहता हूं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मेरे पास उपलब्ध नहीं है। वह प्राप्त करके उपलब्ध करा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस कमेटी ने गलत निर्णय लिया, क्या उस कमेटी के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, इतने लम्बे समय तक से यह मामला चल रहा है, जब मंत्री महोदय को मालूम है, सदन को मालूम है कि अपना रोडवेज घाटे में जा रहा है और टायर और दूसरे सामान की नीलामी की प्रक्रिया इतने लम्बे समय से चल रही है, यह जानकारी होने के बावजूद और विधान सभा में पहले भी यह मामला उठाया गया था, उसके बाद भी इतने लम्बे समय तक आप इंक्वायरी पूरी नहीं करा सके, रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर सके, इससे यह लगता है कि जो अधिकारी जांच कर रहे हैं वह भी उनके साथ मिल गए हैं और उनसे कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। तीन हजार की संख्या में टायरों को तीन अधिकारियों की कमेटी ने बेकार घोषित कर दिया, यह सही किया या गलत किया, यह तो मंत्री महोदय खुद जाकर अपनी आंखों से देख सकते थे कि वे ठीक कण्डीशन में थे या

(श्री रामसिंह विश्नोई)
खराब कण्डीशन में थे और पांच दिन में यह प्रक्रिया पूरी कर सकते थे। इसमें इतना लम्बा समय लगा कर क्या आप डिपार्टमेंट के साथ और राजस्थान की जनता के साथ न्याय कर रहे हैं ? जो आदमी बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर आप भ्रष्ट तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जावें।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जल्दी से जल्दी इसकी जांच पूरी करायें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं पुनः कहता हूं कि छः महीने में इसकी जांच पूरी हो जाएगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : छः महीने तक क्या करेंगे ?...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय मंत्री महोदय भ्रष्ट अधिकारियों को समर्थन दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : जो सम्बन्धित मंत्री हैं उन्होंने क्या किया इसके सम्बन्ध में अभी तक ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री नाथूसिंह : सम्बन्धित मंत्री ने क्या किया, यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जावें। अगला प्रश्न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह राजस्थान के खजाने पर डाका है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जावें।

प्रश्न संख्या 2

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) :
(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री लच्छूराम।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसका जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम। आप बैठे बैठे पुकार सकते हैं।

धनूरी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना (झुन्झुनू)

3. श्री लच्छूराम (मंडावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या जिला झुन्झुनू में धनूरी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चालू है ?

(2) अगर हां, तो कौन कौन-कौन से गांव इसमें सम्मिलित हैं ?

(8)

(श्री लच्छू राम)

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बास घासीराम और ग्यांग्यासर इस योजना में शामिल नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (श्री देवेन्द्रसिंह) : (1) जी हां।

(2) योजना में धनूरी, रामपुरा, बासड़ी व खारिया ग्राम सम्मिलित हैं।

(3) जी हां, बास घासीराम ढाणी होने के कारण योजना में शामिल नहीं किया गया। ग्राम ग्यांग्यासर दूसरी क्षेत्रीय योजना में शामिल कर स्वीकृत किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे बैठे पूछ सकते हैं।

श्री लच्छूराम : क्या बास घासीराम रेवेन्यू विलेज नहीं है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : जी नहीं।

श्री लच्छूराम : ग्यांग्यासर धनूरी के पास रेवेन्यू विलेज है, क्या स्कीम में शामिल नहीं है ?

श्री देवेन्द्रसिंह : नहीं है। लेकिन कुछ योजना बनी है, लाइन जा रही है उसमें सम्मिलित किया है।

श्री लच्छूराम : कौनसा गांव ?

श्री देवेन्द्रसिंह : रामपुरा आदि आपकी ढाणियां सम्मिलित की गई हैं।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, लगातार दो सालों से शिकायत आ रही है। जिन रेवेन्यू विलेजेज की आबादी दो सौ और ढाणियों की आबादी 1000 है उन्हें स्कीम में शामिल करें। सदन में पुकार रहे हैं। पहले स्कीम गलत बनी अब फिर स्कीम बन रही है। ग्राम घासीराम में मिडिल स्कूल है, झुन्झुनू से जोड़ने वाली सड़क गांव से जा रही है। जनसंख्या 400 से अधिक है। हमेशा से प्रक्रिया चल रही है। सारे माननीय सदस्य कहते हैं ढाणियों को जल प्रदाय योजनाओं से जोड़ा जाये। खारिया गांव है बास घासीराम है। खारिया छोटा है और घासीराम बड़ा गांव है। क्या मंत्री महोदय बास घासीराम को धनूरी जल प्रदाय योजना से जोड़ने का विचार रखते हैं।

श्री देवेन्द्रसिंह : अभी विचार नहीं है। लेकिन सरकार आगे ध्यान रखेगी।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या ढाणियों में बसने वाले इन्सान नहीं हैं, जानवर हैं ?

(व्यवधान)

ढाणियों के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या वह पानी नहीं पीते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : हमें बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, माननीय मन्त्री महोदय, ढाणियों के अन्दर भी इन्सान बसते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री महाराम चौधरी : × × ×

श्री अध्यक्ष : व्यर्थ में समय ले रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

श्री महाराम चौधरी × × ×

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : यह राजस्थान की जनता के...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत से अवसर मिलेंगे। बहुत से प्रश्न हैं। नीति सम्बन्धी प्रश्न को इस तरह से हल नहीं करा सकते हैं। कृपया बैठ जायं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पानी से महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

जयपुर नगर की कच्ची बस्तियां

4. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैंने प्रश्न पुकार लिया है।

क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर में कुल कितनी कच्ची एवं गन्दी बस्तियां हैं ? कृपया निर्वाचन क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बस्तियों में से कितनी को बसाया जा चुका है और उनके बसाने का क्या आधार है ?

(3) क्या यह सही है कि कच्ची बस्तियों का नियमन करने की दरें 3 रुपया प्रति वर्ग गज से बढ़ा कर आय के आधार पर 5 रुपये से 50 रुपये प्रति वर्ग गज कर दी गई है ?

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री प्रद्युम्न सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को अगले टर्न के लिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। अगले टर्न पर उत्तर दिलवा देंगे।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : आपको शर्म आनी चाहिये, उत्तर नहीं दे रहे हैं। बहुत गलत है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय बताते क्यों नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। मैंने निवेदन किया, अगले टर्न पर इसका उत्तर दिला देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नेक्स्ट फ्राइडे को इसका रिप्लाई दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(10)

पंचायत समितियों में रिक्तियां

5. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में काफी समय से 10 हजार रिक्तियां पड़ी हुई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन रिक्त पदों में अध्यापकों, वरिष्ठ लिपिकों व कनिष्ठ लिपिकों की जगह खाली पड़ी हैं जब कि राज्य में करीब 5 हजार बी.एस.टी.सी. छात्र बेरोजगार हैं ?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पंचायत राज (श्री शीशराम ओला) : (1) यह पूर्णतया सही नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा 2,000 अध्यापकों के पद ही स्वीकृत किये गये थे जो दिसम्बर, 1982 में पंचायत समितियों को आवंटित कर दिये गये थे। इन पदों पर अस्थाई नियुक्ति करने के लिए पंचायत समितियों को निर्देश भी दे दिये गये थे तथा वे अस्थाई नियुक्तियां कर रही हैं।

(2) वरिष्ठ लिपिकों व कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त नहीं हैं। अध्यापकों के रिक्त पद अस्थाई तौर पर भरने के लिये पंचायत समितियां कार्यवाही कर रही हैं।

(3) इसका उत्तर भाग (1) व (2) में दिया जा चुका है। राजस्थान स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया गया है अतः भविष्य में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा के रिक्त पदों की शीघ्र ही स्थाई तौर पर चयन कर पूर्ति कर दी जावेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों में इस समय अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं, इसका जवाब आपने नहीं दिया। दूसरा, बी.एस.टी.सी. ट्रेण्ड कितने अध्यापक हैं जो नौकरी के लिये मौजूद हैं ? वह संख्या भी आपने नहीं बताई।

श्री शीशराम ओला : क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पंचायत समितियों में वर्तमान में कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? बी. एस. टी. सी. ट्रेण्ड कितने अध्यापक हैं जो नौकरी के लिए मौजूद हैं ?

श्री शीशराम ओला : बी.एस.टी.सी. ट्रेण्ड कितने हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। पंचायत समितियों में शिक्षा विभाग अध्यापकों के पद स्वीकृत करके देता है। जितने पद शिक्षा विभाग देता है, शिक्षा मंत्री जी मेरी बात को समझ रहे हैं, उतने ही व्यक्ति पंचायत समितियों में लगा सकते हैं। हमको शिक्षा विभाग ने दो हजार पद स्वीकृत करके दिये हैं। हमने दिसम्बर में उनको भरने के आदेश पंचायत समितियों को दे दिये हैं।

श्री भगवान दास शास्त्री : आप उत्तर क्या दे रहे हैं ?

श्री शीश राम ओला : जितने स्थान रिक्त थे और जितने शिक्षा विभाग ने पद स्वीकृत किये थे उन पर नियुक्तियां हो रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रश्न मेरा साफ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : उनका उत्तर भी स्पष्ट है।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : मेरा सप्लीमेण्ट्री।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, कुल कितने पद स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं ? माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि बी.एस.टी.सी. वालों से मेरा संबंध नहीं है। आपने प्रश्न स्वीकृत किया है, प्रश्न में लिखा है, राज्य में पांच हजार बी.एस.टी.सी. छात्र बेरोजगार हैं। प्रश्न आपने स्वीकार किया है।

श्री शीश राम ओला : इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब सरकार की ओर से आ रहा है या माननीय शीशराम जी ओला से आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न और उत्तर से स्थिति बनती है उसके मायने यह हैं कि यों तो कोई पद रिक्त नहीं है लेकिन ज्यादा शिक्षकों की पंचायत समितियों की मांग है। मांग अधिक हो सकती है लेकिन दो हजार पद स्वीकृत किये हैं। जो पद विभाग के अन्दर स्वीकृत हुए हैं, दिसम्बर से उन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है। इतनी सी स्थिति है। अब क्या है, क्यों है इसके लिए अलग से किसी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

आप समझते हैं दस हजार पद रिक्त हैं, जो बेरोजगार हैं, बी. एस. टी. सी. ट्रेण्ड हैं इसके कोई मायने नहीं हैं। जितने पद इनके पास हैं उनके अनुसार दो हजार नये पद रिक्त थे उनको भरने की कार्यवाही की जा रही है।

अनेक माननीय सदस्य : यह नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : दुबारा कहलवा देते हैं।

श्री शीशराम ओला : दो हजार पदों की करीब-करीब संख्या पूरी हो गई है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब कितने पद रिक्त हैं ?

श्री त्रिलोकसिंह : प्राइमरी स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। मेरे गांव में एक मास्टर है क्या 150 लड़कों को एक मास्टर पढ़ा सकता है ? गांव की जनता अपने हाल पर जिए, गांव की जनता अपने हाल पर व्यवसाय करे, यह हालत है किसान की। हम पूछना चाहते हैं, यह हालत क्यों बनी ?

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, पूरक प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न प्रस्तुत किया उसी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि माह नवम्बर में शिक्षा विभाग ने जो पद स्वीकृत किये, उनकी दो हजार संख्या आपने बताई, इसके पहले से कितने पद रिक्त हैं और कितने भर गये ?

श्री अध्यक्ष : इसका उन्होंने उत्तर दे दिया। दो हजार पद भर दिये गये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माह नवम्बर में नये पदों को स्वीकृत करने के पहले करीब चार हजार पद रिक्त थे और दो हजार पद और रिक्त हुए। इस प्रकार मेरा आरोप है कि 6 हजार रिक्त पद हैं।

श्री शीशराम ओला : विभाग को दो हजार पद मिले और दो हजार ही भर दिये गये हैं। नवम्बर में सरकार ने दो हजार पद स्वीकृत किये थे जिनके लिए दिसम्बर में मैंने आदेश दे दिये और ये सारे पद अस्थाई रूप से भरे जा चुके हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसके पहले का क्या कोई पद रिक्त नहीं है, यह माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे ?

श्री शीशराम ओला : उन पर ही अस्थाई लगे हुए थे···

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : इनके हाथ में पंचायती राज ठीक से नहीं चल रहा है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांत रहिये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आप इनके उत्तर से संतुष्ट हैं क्या, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समय जाया हो रहा है, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : जहां तीन-तीन पद रिक्त हैं वहां एक की भी पूर्ति नहीं हो रही है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्राइमरी शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, चाहे रिक्त स्थानों के हों, चाहे अन्य प्रश्न हों, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर लम्बी बहस चलेगी उस समय कहें। कृपया समय न लें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। आसन पैरों पर है। कृपया नियमों का ध्यान रखें।

अगला प्रश्न। श्री हरीश शर्मा, श्री बालचन्द्र आर्य।

एशियाई नौकायन प्रतियोगिता की व्यवस्था

6. **श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)**
श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर जिले की रामगढ़ झील पर एशियाई नौकायन प्रतियोगिता में कितने देशों की टीमों ने भाग लिया ? उक्त प्रतियोगिता के लिये कहां-कहां पर क्या-क्या व्यवस्थाएं की गईं और उसमें राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि किस-किस मद में कितनी-कितनी खर्च की गई ?

कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खेल-कूद (श्री रामकिशन वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब

(श्री रामकिशन वर्मा)
तैयार नहीं हुआ है, पूरी जानकारी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित। अगला प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी।

आयुर्वेदिक औषधालय, जिला बाड़मेर

7. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या क्या है? कृपया पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, धोरीमन्ना एवं सिणधरी में अन्य पंचायत समितियों की तुलना में आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस कमी को पूरा करने के लिये उक्त पंचायत समितियों में प्राथमिकता के आधार पर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री दिनेश डांगी): (1) बाड़मेर जिले में कुल 58 आयुर्वेदिक औषधालय कार्यरत हैं। पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 83-84 में कम से कम एक औषधालय खोलने का विचार सरकार रखती है क्या?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, इनके विधान सभा क्षेत्र में विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या 8

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैरूंलाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामकिशोर मीणा।

पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच

9. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति, सिकराय के विकास अधिकारी श्री बालस्वरूप के विरुद्ध कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो किन-किन प्रमुख मुद्दों पर तथा किस-किस पंचायत समिति के कार्यकाल की?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विकास अधिकारी के विरुद्ध नादौती पंचायत समिति के कार्यकाल में स्वयं के रेकार्ड में हेराफेरी तथा काट-छांट का मामला सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका क्या निस्तारण किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में पदस्थापन के वक्त जिलाधीश बांसवाड़ा द्वारा उनके विरुद्ध जांच कर यह निर्णय दिया गया था कि उनको भविष्य में विकास अधिकारी का स्वतंत्र चार्ज नहीं दिया जाय? यदि हां, तो फिर किन कारणों से उन्हें सिकराय में पदस्थापित किया गया?

(१५)

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री भीशराम भोला) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को स्थगित करने का निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। अगला प्रश्न।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : यह स्थगित क्यों किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय ?

(व्यवधान)

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय, सदन के संचालन के हित में यह सिद्धान्त की बात है कि जिन प्रश्नों के उत्तर मौजूद हो सकते हैं उनको भी स्थगित कराया जायेगा तो फिर जो अधिकार है···

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी है। इसका उत्तर दिलाया जायेगा, माननीय सदस्य। हो सकता है कुछ सूचनाएं बाकी रह गई हों इसलिये समय मांगा गया है।

(व्यवधान)

मैं सुन नहीं पा रहा हूं। कृपया, माननीय सदस्यगण, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूं।

(व्यवधान)

अगले टर्न पर इसका जवाब दिला दिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर 10 लाख का घोटाला हुआ था। इस पर, अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस पर अब चर्चा नहीं होगी···

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि हाउस में इसका उत्तर आ ही जायेगा और यह केस डिस्पोज आफ नहीं हो जायेगा ? साधारणतया यह देखा जाता है कि स्थगित प्रश्नों की सूची काफी लम्बी हो जाती है···

श्री अध्यक्ष : आपने जो बात कही है उसका ध्यान रखा जायेगा।

अगला प्रश्न। श्री कैलाश मेघवाल व श्री रामकिशोर मीणा।

मैसर्स ए. डागा स्टील एवं इन्डस्ट्रीज, जयपुर

10. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)
श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :–
क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के क्षेत्राधिकार में जयपुर नगर में अजमेर रोड स्थित मदरामपुरा में बम्बई वालों के बाग के पूर्व की दिशा में रिहायशी भूमि पर मैसर्स ए. डागा स्टील एवं इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन नाम से फैक्ट्री चला रखी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री को हटाने के आदेश दिनांक 24-7-1980 को दिये गये थे और उसके बाद सक्षम

(श्री कैलाश मेघवाल)
न्यायालयों में विवाद होकर अन्तिम रूप से फैक्ट्री हटाने के आदेश बहाल रहे हैं ?

(3) यदि हां; तो अभी तक यह फैक्ट्री क्यों नहीं हटाई गई है और अब कब तक हटा दी जायेगी ?

राज्य मंत्री, स्वायत शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला पूरक प्रश्न यह है कि क्या जयपुर के मास्टर प्लान में और जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत यह निश्चित रूप से आवासीय भूमि के अन्तर्गत आती है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां।

श्री कैलाश मेघवाल : दूसरा सवाल यह है कि पहले जो इसको अनधिकृत निर्माण मानने का निर्णय हुआ था वह 24-7-80 को दिया गया था। उसकी अपील जिलाधीश के यहां पर हुई उस पर भी 26-9-81 को जो निर्णय हुआ था उसमें भी इसे अवैध माना गया था। उसके बाद 17 महीनों के अन्दर अतिक्रमण हटाने के अनेकों अभियान होने के बावजूद इसको नहीं हटाया गया। तो यह बतायें कि 17 महीनों में इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कैलाशजी ने जो प्रश्न किया है और जो जो तारीखें बतायी हैं वे बिल्कुल सत्य हैं। इस मामले के अन्दर 24-7-80 को सबसे पहले इस निर्माण को हटाने के आदेश दिये थे उसके बाद ए.डी.एम. कोर्ट से स्टे हुआ। उसके बाद यह वैकेट हुआ। मैं इसके बारे में कहूं कि जो वस्तुस्थिति बतायी गयी है मैं उससे सहमत हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नया जे. डी. ए. एक्ट बना है और जो पास भी हो गया है उसकी दफा 32 के अन्दर इसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की जाए इसके लिये मैंने आदेश दे दिये हैं। यह बात सही है कि आबादी एरिया के अन्दर फैक्ट्री चल रही है। इसलिये इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आदेश दे दिये गये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने इस प्रश्न में माननीय मंत्री महोदय से यह पूछा है कि जो आदेश हो गये थे उन पर इन 17 महीनों के अन्दर अमल क्यों नहीं हुआ ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस मामले के अन्दर कार्यवाही न होने का एक कारण यह था कि··

श्री नाथूसिंह : बगल में।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अगल-बगल की बात क्या करते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं कह दूं कि सामने बैठे हैं, तब क्या होगा !

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके ऊपर तत्कालीन यू. आई. टी. के चेयरमेन ने स्टे आर्डर दिया था। यू. आई. टी भंग हो गयी है। पूर्व में मैंने आपसे जैसा निवेदन किया, उस स्टे आर्डर की वजह से ही कार्यवाही रुकी हुई थी। फिर जब यह मामला मेरे सामने आया और मैंने इसको देखा तो मैंने कहा कि मोटे रूप से यह एरिया रिहायशी है। यह भी नहीं है कि इसके अन्दर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री आ गयी हो या बहुत ज्यादा उद्योग लग गये हों जिससे कि जे. डी. ए. को उस पर पुनर्विचार करना पड़े। यह सही है कि रिहायशी एरिया में फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए। मैं इस प्रश्न की मूल भावना को समझ कर और पत्रावली देख कर उससे सहमत हूं। मैंने इसलिये आज ही आदेश दिया है कि जे. डी. ए. एक्ट की धारा 32 के अन्दर तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री त्रिलोकसिंह : आप धनपतियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और गरीबों की झोंपड़ी गिरा देते हैं· · ·

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने यह पत्रावली देखी है तो यह कब देखी और यह कब से गायब है ?

श्री अध्यक्ष : कहा ना कि आज सुबह ही देखी है।

श्री कैलाश मेघवाल : इस पत्रावली पर क्या कार्यवाही हुयी थी और कब कब अतिक्रमण को तोड़ने की कार्यवाही की गयी थी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान, इस मामले से संबंधित तीन पत्रावलियां चल रही हैं· · ·

(व्यवधान)

मैं सदन से कोई बात झूंठ तो नहीं कह रहा हूं। इस प्रकरण से संबंधित तीन पत्रावली हैं। एक तो जिस फाइल के अन्दर ए. डी. एम. कोर्ट ने फैसला दिया था वह पत्रावली ट्रेसेबल नहीं है। लेकिन और संबंधित दो पत्रावली को मैंने स्वयं देखा है। आप से कहूं कि आप देखना चाहें, अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको दिखा सकता हूं। वे पत्रावली यहां भी मेरे पास हैं। इस सदन के सामने यह बात कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, आपसे और सदन से छुपा नहीं रहा हूं। जो निर्णय लेना होगा ले लेंगे। अग्रिम कार्यवाही के रूप में धारा 32 के तहत कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। आज ही जे. डी. ए. को डायरेक्शन चले जायेंगे। मैं यही कह सकता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : यह बतायें कि किस कारण से इस पत्रावली पर पिछले 17 महीनों से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रश्न कर्ता हूं।

श्री नाथूसिंह : पत्रावली को गायब करने में जिस आफिसर का हाथ है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है। बैठ जायें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आॅर्डर आॅर्डर। श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : यह प्रश्न पैदा होता है कि 17-10-82 को जे. डी. ए. को भी सूचना हो गयी है, उसको यह रिप्रजेन्टेशन दिया गया है उसके पहले

(श्रीमती विद्या पाठक)

तहसीलदार ने आदेश तोड़ने के दिये हैं। तो वह फाइल आपको पुट अप नहीं की गयी है। आप उस फाइल के बारे में बतायें, उस पर क्या एक्शन लिया गया है ? जे. डी. ए. में इस विषय में अब क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उसके लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इसमें उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार हुआ है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ए.डी.एम.ने निर्णय दिया और वह पत्रावली गायब हो गयी। नयी फाइल बनाकर उस पर यू. आई. टी. के चेयरमेन ने स्टे दे दिया। उसके बाद 17 महीनों तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तो आप इसकी जांच करवायें। जांच में जो दोषी पाये जायेंगे, क्या आप उनको दंडित करेंगे ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने यह कहा कि इसके अन्दर उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार हुआ है। तो यह तो ऐसी बातें राजनैतिक दृष्टि से लाभ उठाने के लिये कहते हैं। मैं इनकी इस बात से सहमत नहीं हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो जांच करवायेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न यह है, मैंने कहा कि यू. आई. टी. के चेयरमेन ने स्टे दिया था,

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उससे क्या मतलब है ? ए. डी.एम. ने निर्णय दिया था उस निर्णय की पालना 17 महीनों तक क्यों नहीं की गयी ? एक फाइल चला कर खो दी गई और दूसरी फाइल पर स्टे हो गया। इसमें साफ भ्रष्टाचार है और आप कहते हैं कि राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप किस बात की जांच करवाना चाहते हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जो पत्रावली गुमी है उसकी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर ए.डी.एम. ने निर्णय दिया है तो मैं उसकी सर्टिफाइड कापी ले सकता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पहले आप वह ले लें।

एक माननीय सदस्य : फाइलें गायब होती रहें, भ्रष्टाचार होता रहे और आप उसकी जांच भी नहीं करवायें।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये। अगला प्रश्न।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जांच की बात करें, मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : पत्रावली गायब हुई है, तो जांच भी होगी...

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सदस्य, आपका आरोप सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल !

बारां को बाढ़ से मुक्ति

11 श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बारां (कोटा) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो बारां को बाढ़ से मुक्ति दिलाने हेतु कोई योजना तैयार की गई है ?

(2) यदि हां, तो यह योजना कितनी धनराशि की है और अभी तक इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) क्या बारां को बाढ़ से बचाने के लिए एक तालाब का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस तालाब के लिए 1983–84 में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री दिनेश डांगी):

(1) जी हां ।

(2) इस योजना का 118.50 लाख रुपए का आकलन है तथा माह जनवरी, 1983 तक इस योजना पर लगभग 98 42 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

(3) जी हां। इस तालाब के लिए पृथक् से कोई आवंटन नहीं किया जाता है। वर्ष 1983–84 के लिए बारां बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए 15.00 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 98.42 लाख रुपया खर्च हुआ है लेकिन जब तक यह तालाब नहीं बनेगा तब तक यह बेकार है। हर साल इसी प्रकार से बाढ़ आती रहेगी तो इस पैसे को खर्च करने का अर्थ क्या रह जाता है ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह तालाब भी इसी के अन्तर्गत आता है। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, जो तालाब प्रारम्भ से चालू होना चाहिए था वहां से शुरू न होकर के तालाब प्रारम्भ हुआ उस जगह से जहां पर कि यह खतम हो जाना चाहिए, इस कारण ही बरसात आते ही बाढ़ की समस्या हो जाती है। होना तो यह चाहिये था कि इस तालाब को जल्दी से जल्दी बनाया जाता क्योंकि यहां पर प्रति वर्ष बाढ़ आती है ।

श्री दिनेश डांगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बताया ना कि इस तालाब के लिए 15 लाख का प्रावधान किया गया है। इस काम को हाथ में लिया जा रहा है ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप कितना पैसा दे रहे हैं और आवश्यकता कितने पैसों की है ?

श्री दिनेश डांगी : 15 लाख दे रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपने, मंत्री महोदय, इसका अध्ययन नहीं किया है। जब तक यह तालाब नहीं बनेगा और पुलिया के नीचे होकर पानी जायेगा तो फिर पानी रुकेगा कैसे ? पानी भर जाता है और मकान आधे आधे डूब जाते हैं। आप इस प्रश्न को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपने इसका अध्ययन ही नहीं किया है।

श्री दिनेश डांगी : अध्ययन किया है तभी तो कह रहा हूं कि 83–84 में भी इस काम को हाथ में लेंगे ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप इस साल ले रहे हैं क्या ?

श्री दिनेश डांगी : हां, कह रहा हूं ना।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पानी को रोकने की व्यवस्था नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा ? नाली चौड़ी करने से काम नहीं चलेगा। काम प्रारम्भ से शुरू होना चाहिए या और आप कर रहे हैं उसको एण्ड से। हर बरसात में बाढ़ आ जाती है। लोगों में भय रहता है। आप इस बात को तो समझ ही नहीं रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं...

श्री दिनेश डांगी : इस काम को जनता पार्टी के राज में हाथ में लिया गया था तब यह तालाब क्यों नहीं बनाया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी!

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : श्रीमान्, यह बतावें कि आप जो 15 लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं, उसकी डिटेल्स क्या है ?

श्री दिनेश डांगी : जब ललित जी सिंचाई मंत्री थे तब चार योजना चालू हुयी थीं बाण गंगा, मनिहारी आदि, इस पर अब तक 98.42 लाख रुपया तो खर्च हो चुका है और 15 लाख का प्रावधान है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप यह बता दें कि यह 15 लाख रुपया आप किस किस मद में खर्च करेंगे ?

श्री यदुनाथ सिंह : आपने तो बजट ही खोल दिया है बजट आने के पहले।

श्री दिनेश डांगी : 15 लाख का प्रावधान है इसमें अलग अलग क्या बताऊं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

सवाई मानसिंह अस्पताल के आस पास मानव अंगों का बिखराव

12. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल के प्रांगण में व आसपास मानव शरीर के कटे-फटे अंगों को सड़क पर कुत्तों द्वारा चबाते देखे जाने की जानकारी राज्य सरकार को है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस विषयक जांच राज्य सरकार ने करवाई है ? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जांच पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) मानव शरीर के कटे-फटे अंगों को सड़क पर कुत्तों द्वारा चबाये जाने की कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। चिकित्सालय की व्यवस्था के अनुसार शरीर के कटे-फटे अंग को मरीजों के वारिश अथवा रिश्तेदार को दे दिया जाता है। यदि किसी मरीज के कोई वारिश अथवा रिश्तेदार नहीं हो तो वह कटा अंग मेडिकल ज्यूरिस्ट को सम्पूर्ण रूप से नष्ट करने हेतु भेज दिया जाता है।

(2) अस्पताल के प्रशासन ने जांच की और पाया कि मानव शरीर का कोई अंग कटा फटा नहीं था।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

(3) कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्रीमती विद्या पाठक : यह बड़े खेद की बात है कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। बातें न करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण कोट करना चाहूंगी। यह अखबार में फोटो छपा है, वह मैं देना चाहूंगी...

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो मेरे पास भी है।

श्रीमती विद्या पाठक : इसमें मामला यह है कि आपरेशन के बाद अस्पताल में नष्ट भ्रष्ट हुये अंगों को डिस्पोज ऑफ किया जाता है उसके लिये कोई न तो उचित व्यवस्था है और न ही उसके लिये कोई उचित स्थान की ही व्यवस्था है। यह एक भावनात्मक प्रश्न है, यह प्रशासनिक कम है भावनात्मक ज्यादा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पत्रिका के अन्दर फ्रंट पेज पर यह फोटो छपा था और यह छापा गया था कि इस तरह से एक कुत्ता किसी महिला के पैर का अंग लेकर दौड़ता हुआ देखा गया था। उसकी फोटो भी छापी थी। जिस रोज यह पत्रिका में आया उसी रोज मैंने सवाई मानसिंह अस्पताल के शीतलराज मेहता को टेलीफोन किया कि वे इसकी जांच करें। उन्होंने इसको जांच में गलत पाया। दूसरे ही दिन दो पेपर्स में इसका खण्डन भी आ गया था। यह बात सही नहीं है। इस बारे में कपूर चन्द कुलिश, प्रधान सम्पादक, राजस्थान पत्रिका को कहा गया कि आप इसकी जांच करवा लें कि जो सूचना आपके संवाददाता ने दी है वह गलत है। उसका जो जवाब दिया कुलिश जी ने आप कहें तो मैं आपको वह पत्र भी पढ़ कर सुना सकता हूं :

प्रिय श्री शीतलराज मेहता...

श्रीमती विद्या पाठक : क्यों समय खराब कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके द्वारा यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्रीमती विद्या पाठक : अब तो आपको ही समझाना होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जो खबर छपी थी वह सही नहीं थी।

श्रीमती विद्या पाठक : यह प्रश्न इस खबर पर आधारित नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसका भी जवाब दे रहा हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आपने कुत्ते से वेरीफाई किया या नहीं किया कि यह सही है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां किया है ?

(व्यवधान)

जी नहीं। कुत्ते से कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। अगर आप जैसा ट्रेन्ड हो तो वेरीफाई आपसे कर सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिस रोज का यह वाकया बताया गया है उससे दो रोज पूर्व तक कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ था, जिसमें किसी अंग को काटा गया हो…

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय; वहां तो बहुत दिनों से पड़े रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्या।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके अलावा कुलिश जी ने और तथ्य भी दिये हैं…

श्री अध्यक्ष : आप किसी पत्र को पढ़ना चाहते थे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, मैं पत्र को पढ़ना चाहता था। दिनांक 9 अक्टूबर, 1982 को राजस्थान पत्रिका के मुख पृष्ठ पर "अस्पताल में कटा पैर कुत्ते के मुंह में" समाचार प्रकाशित हुआ था। यह समाचार एक पाठक की जानकारी के आधार पर दिया गया था तथा जिसने दिया था वह पत्रिका का नियमित संवाददाता नहीं था।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसका मतलब यह हुआ कि यह कोई आथेन्टिक इन्फार्मेशन नहीं है।

(व्यवधान)

इस सम्बन्ध में कुछ और तथ्य हमारे सामने आये हैं, जो कुलिश जी ने स्वयं ने दिये हैं। दिनांक 7 व 8 अक्टूबर, 1982 को किसी भी मरीज के पैर के हिस्से का आपरेशन नहीं हुआ था इसलिये यह समाचार संदेहात्मक बनता है। यह कुलिश जी ने जांच की है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह कुलिश जी किस आधार पर जांच कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सारा मामला राजस्थान पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपे समाचार से सम्बन्धित है। किसी माननीय विधायक ने देखा हो, तो वह बता दें। अखबार की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न माननीय सदस्या ने यह पूछा था कि अब आपने क्या व्यवस्था की है ? हमने उसके लिये व्यवस्था कर दी है, कटा हुआ अंग वहीं पर जलाने की व्यवस्था कर दी गई है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जलाने की प्रक्रिया…

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। कृपया बैठ जायं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि वर्तमान में मानव शरीर के निकाले अवयव का कटा हिस्सा आपरेशन के बाद डाल दिया जाता है उसके डिस्पोजल

(श्रीमती विद्या पाठक)
की क्या व्यवस्था है ? अब क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं आगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने जैसा आपसे निवेदन किया, शायद माननीय सदस्या सुन नहीं पाई क्योंकि आखिर में बैठती हैं। हमने व्यवस्था कर दी है, यह वहीं पर डाल कर के भस्म कर दिये जायेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : वर्तमान में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि वर्तमान में क्या व्यवस्था है ? उसके सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। उत्तर संतोषजनक है।
कृपया बैठ जायं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में नई डिस्पेन्सरीज

2. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में दिनांक 1 अप्रेल, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक कितनी नयी डिस्पेन्सरीज खोली गई हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में 1 अप्रेल, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक कोई नवीन डिस्पेन्सरी स्वीकृत नहीं की गई है।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उदयपुर पेस्टीसाइड कारखाना

8. **श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)** : क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर पेस्टीसाइड का कारखाना महाराणा प्रताप स्टेशन के पास है जिसके चारों तरफ बस्तियां हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस उद्योग में जहरीली दवाइयां बनती हैं और इसकी दूषित गैस से वहां के आस पास रहने वालों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और इसमें कार्यरत श्रमिकों की मौत भी हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्योग को यहां से हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, इस उद्योग में जहरीली कीटाणुनाशक दवाइयां बनती हैं। कार्यरत श्रमिकों की मौत के बारे में राज्य मण्डल के पास इससे पहले कोई अधिकृत सूचना प्राप्त नहीं हुई है। दूषित गैस से सम्बन्धित विधेयक के अन्तर्गत मण्डल की सम्मति इस इकाई द्वारा लेना अभी शेष है। अतः अधिकृत रूप

(पर्यावरण राज्य मंत्री)

से आस पास रहने वाले मनुष्यों के स्वास्थ्य को होने वाली हानि का सही ब्योरा उपलब्ध नहीं है। विधेयक से सम्बन्धित नियम राज्य सरकार के विचाराधीन है। नियमों को स्वीकृति मिलने के पश्चात् मण्डल द्वारा एयर ऐमिसन की सम्मति देते समय आवश्यक रूप से लिए जाने वाले उपायों के बारे में समुचित व्यवस्था कराए जाने के आदेश दिए जाएंगे।

घोषणा

सभापति तालिका

सभापति तालिका की घोषणा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूं :—

1. श्रीमती विद्या पाठक
2. श्री माधवसिंह दीवान
3. श्री देवदत्त तिवाड़ी
4. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री सूर्यकुमार को 17 फरवरी, 1983 से 21 फरवरी, 1983 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री सूर्यकुमार (विभाजन संख्या 186), सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 17 फरवरी, 1983 से 21 फरवरी, 1983 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री बालचन्द्र आर्यवीर, अनंग कुमार जैन, नाथूसिंह, हंसराज शर्मा व चुन्नीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न भागों के किसानों को रात्रि के समय बिजली सप्लाई करने अथवा पूरी एवं पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई न करने के विषय में,

(2) सर्वश्री यदुनाथसिंह, राजबहादुर एवं अन्य 17 विधायकों की ओर से 7 नवम्बर, 1982 को घना पक्षी विहार भरतपुर के उत्तर पूर्व में हुये गोली काण्ड की घटना के विषय में,

(3) सर्वश्री ललित किशोर चतुर्वेदी एवं हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा की जे. के. सिन्थेटिक्स फैक्ट्री द्वारा गत 21 जनवरी के करीब ढाई हजार मजदूरों की छंटनी किये जाने के विषय में,

(4) श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 10 जनवरी

(श्री अध्यक्ष)

को पुलिस थाना मुकलावा; जिला गंगानगर में मीरा पत्नी श्री रूपाराम हरिजन पर किये गये बलात्कार की घटना के विषय में,

(5) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के पुलिस थाना जामसर के ग्राम खारा में श्रीमती मरजा देवी के साथ भारतीय सेना के जवानों द्वारा किये गये कथित बलात्कार की घटना के विषय में,

(6) सर्वश्री कैलाश मेघवाल, त्रिलोक सिंह, महाराम चौधरी व हाजी चाव खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 21 जनवरी की रात में गंगानगर जिले के हनुमानगढ़ सब डिविजन में सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण घग्घर फ्लड कैनाल के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(7) सर्वश्री हीरालाल आर्य, रघुवीर सिंह कौशल, दाऊदयाल जोशी एवं छीतर मल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा क्षेत्र में इटावा ब्रांच कैनाल तथा अयाना ब्रान्च कैनाल से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न छोड़े जाने के कारण फसलों को नुकसान होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(8) सर्वश्री जीतमल जैन एवं समर्थलाल, सदस्य, राजस्थान विधान सभा की ओर से अलवर जिले की तिजारा तहसील के कई गांवों में नीम हकीम डाक्टरों द्वारा आंखों के ऑपरेशन से अनेक व्यक्तियों की नेत्र ज्योति छिन जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में,

(9) श्री लच्छूराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना लूटू, जिला झुन्झुनू की वितरण व्यवस्था ठप्प हो जाने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(10) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा तहसील के मेजा बांध से कृषि हेतु कृषकों को पानी न देने के विषय में।

इस प्रश्न पर माननीय सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव के समय बहस में बोल सकते हैं तथा यह किसी घटना विशेष से सम्बन्धित भी नहीं है। अतः मैं इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(11) सर्व श्री घनश्याम तिवाड़ी एवं गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से असम प्रदेश में किये जा रहे आन्दोलन के विषय में।

यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं तथा इस पर किसी चर्चा की अनुमति भी नहीं दी जायगी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान का अधिकार क्षेत्र है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस सदन के नियमों से माननीय सदस्य परिचित हैं। इस तरह के मामलों की इजाजत इस प्रांगण में नहीं दी जा सकती। मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन···

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : राजस्थान की गलतियों पर डिस्कशन हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मुख्य मन्त्रीजी ने जो बलिदान किया है, राजस्थान के कर्मचारियों को शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

मामूली चेयर के लिये,

(व्यवधान)

पद के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आसाम में लाखों की संख्या में राजस्थानी रह रहे हैं उन राजस्थानियों पर भी आक्रमण हो रहा है, नरसंहार हो रहा है उसके कारण से वहां लोग मारे गये हैं, यह कोई सामान्य बात नहीं है। उनके रिश्तेदार जो यहां है, जो यहां रह रहे हैं वे लोग दुखी हैं। उसके कारण से उदयपुर कल बन्द रहा। उनको यह पता लग रहा है कि उनके रिश्तेदारों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आसाम हिन्दुस्तान का भाग नहीं है ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : राजस्थानी वहां पर नहीं रहते ? उन पर जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं उससे हमारा सम्बन्ध है या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, केरल की एक नर्स राजस्थान में मरी थी तो केरल विधान सभा में उसकी गूंज उठी थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : राजस्थानी आसाम में मर रहे हैं, उनके बारे में आप हमें विचार करने के लिये समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसकी इजाजत इस सदन में नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

सदन की मेज पर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : एक मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे बाध्य नहीं करें कि मुझे अंकित न करने के लिये आदेश देना पड़े।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : परम्परा याद दिला रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि कोई बात है, इस सम्बन्ध में कुछ बात कहनी है तो आप मेरे चैम्बर में आकर···

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज !

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आप इसको सामान्य घटना समझ रहे हैं,

(व्यवधान)

आप नियम सुनिये ···

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं सुनूंगा, माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दे दी है। कृपया बैठ जायें। आप मुझे बाध्य न कीजिये कि मैं अंकित न होने का आदेश दूं।

एक माननीय सदस्य : आप इसको सामान्य घटना समझ रहे हैं। राजस्थान की परम्परा है ····

श्री अध्यक्ष : अच्छा वातावरण रखिये। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वातावरण तो अच्छा है। आप सुन नहीं रहे हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रस्ताव करने के अधिकार पर निबन्धन

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, रूल 50 और 52···

श्री अध्यक्ष : मैं सुन नहीं पा रहा हूं।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य,

श्री भंवरलाल शर्मा : रूल 50 और 52

श्री अध्यक्ष : दुबारा पढ़िये

श्री भंवरलाल शर्मा : "Restrictions on right to make motion—The right to move the adjournment of the House for the purpose of discussing a definite matter of urgent public importance shall be subject to the following restrictions namely......"

यह रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसके अन्तर्गत आना चाहिये, तब ही आप एडमिट, अलाऊ करेंगे वरना नहीं करेंगे। रेस्ट्रिक्शन्स क्या हैं वह मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : लेकिन विषय राजस्थान सरकार के क्षेत्राधिकार का होना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी लीजिये, वही मैं निवेदन कर रहा हूं, वही निवेदन करता हूं

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : (i) not more than one such motion shall be made at the same sitting;

(ii) not more than one matter shall be discussed on the same motion;

(iii) the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence;

(iv) the motion shall not receive discussion on a matter which has been discussed in the same session;

(श्री भंवरलाल शर्मा)

"(v) the motion shall not anticipate a matter, which has been previously appointed for consideration. In determining whether a discussion is out of order on the ground of anticipation, regard shall be had by the Speaker to the probability of the matter anticipated being brought before the House within a reasonable time;

(vi) the motion shall not raise a question of privilege,

(vii) the motion shall not deal with any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India, . . ."

जो रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हैं वे ये ही लगाये हैं। इनका जो प्रस्ताव है वह इनमें से किसी के भी परव्यू में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह है कि राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र की बात होनी चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : है, है, वह भी बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : उसको पहले तय कर लें फिर बात करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं वह निवेदन किये हैं। पहले मैंने आपके सामने जो···

श्री अध्यक्ष : वह कण्डीशन्स फुलफिल होने के बाद में ये रेस्ट्रिक्शन्श हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब सवाल यह है कि यह रेस्ट्रिक्शन्स में आता है या नहीं, राजस्थान से उसका सम्बन्ध है या नहीं। आप यह फर्मा रहे हैं कि राजस्थान से सम्बन्धित मामला है कि नहीं। इस प्रश्न पर निवेदन है, राजस्थान के कर्मचारी, जो राजस्थान की सेवा में लगे हुए हैं, को राजस्थान सरकार के आदेश से आसाम भेज दिया गया। आसाम की जो स्थिति है, वह सबकी जानकारी में है, कितनी भयंकर स्थिति है। जो राजस्थान के कर्मचारी हैं, उनके वहां जाने की आवश्यकता थी। राजस्थान के कर्मचारी इसलिए नहीं भेजे गये कि वहां मतदाता अधिक हैं और वहां के कर्मचारियों की संख्या कम है। वह इसलिए भेजे गये कि आसाम के जो राज्य कर्मचारी हैं वह इस काम को, इस रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, इस खतरे को मोल लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इस खतरे में कूदने के लिए राजस्थान के कर्मचारियों को भेजा गया। आपको जानकारी होगी, अखबारों में यह आया है, सरकार ने यह घोषणा की है कि यदि एक कर्मचारी मर जायेगा तो एक लाख रुपया देंगे, दूसरा मर जायेगा तो उसके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की है। इसका मतलब यह है कि यहां के कर्मचारियों को उस संकट में डाला गया। तो यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय हो गया है। जहां लोगों की जानें जा रही हैं। कर्मचारी अपने पेट के लिए नौकरी करता है उसको वहां संकट में डाल दिया गया तो यह राजस्थान का विषय कैसे नहीं हुआ, साहब। निश्चित रूप से राजस्थान का विषय है इसलिए इस दृष्टि से इस पर व्यवस्था देनी चाहिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक ही निवेदन करना है। आपने यह मौलिक प्रश्न उठाया है कि राजस्थान के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। यदि है तभी यह नियम इस पर लागू होता है। राजस्थान के अधिकार क्षेत्र में था तभी तो आसाम में कर्मचारी भेजे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आप चाहते तो कह सकते थे कि हम नहीं भेजना चाहते। भेजने चाहिएं या नहीं भेजने चाहिये यह अलग बात है। आपने जब जिम्मेदारी ले ली भेजने की तो निश्चित रूप से वह अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए आपकी जो अधिकार क्षेत्र की बात है, मेरा निवेदन है कि यह अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए। इस पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होते हैं। मैं निवेदन करूंगा, अधिकार क्षेत्र में है। अधिकार क्षेत्र में किस प्रकार नहीं है? यह राज्य सरकार का डिस्क्रिशन था, वह अलाउ करती या नहीं करती, वह न करते और जब भेज दिया तो पूरी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : हां, भेजने के औचित्य पर कहा जा सकता है। लेकिन आसाम की घटना, वहां की राजनीति में आप नहीं जा सकते। औचित्य पर आप गवर्नर के अभिभाषण पर थैंक्स मोशन पर डिस्कशन के समय कह देना।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज !

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मुख्य मंत्री में साहस नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सरकारी पक्ष की ओर से···

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप अपना निर्णय दें उससे पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भगवानदास शास्त्री : पूरे भारत में किसी मुख्य मंत्री ने अलाउ नहीं किया कर्मचारियों को···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! विधि मंत्रीजी को सुनिये पहले।

विधि मंत्रीजी। आर्डर प्लीज !

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह जवाब देना नहीं चाहते।

श्री भगवानदास शास्त्री : कुछ नहीं जानते, लॉ मिनिस्टर के लायक नहीं हैं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : भाटी साहब, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी।

श्री अहमदबक्श सिंधी (विधि मंत्री) : आप सुनिये तो, काबलियत की बात मत कहें।

श्री अध्यक्ष : पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्रीजी कुछ कहेंगे। बाद में आप कहें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्रालय और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दोनों की एक ही बात है और एक ही राय है। मैं कह रहा हूं कि आसाम में जो कर्मचारी भेजे गये हैं वह स्वेच्छा से गये हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जाने की इच्छा जाहिर की इसलिए उनको भेजा गया है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : यह एकदम गलत है। ऐसा बयान यहां नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। अब विधि मंत्रीजी कहेंगे। इसके बारे में मैंने पढ़कर व्यवस्था दी है। विधि मंत्रीजी।

श्री अहमदबख्श सिंधी : सर्विस रूल्स, जिसके तहत मुलाजिमों को नौकर रखा जाता है, के तहत वह इन्कार नहीं कर सकते। सरकार उनको असम या हिन्दुस्तान के किसी कोने में भेज सकती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। व्यवस्था दी जा रही है। नाथूसिंह जी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री राजबहादुर : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रश्न आपने रखा था, आपने पूछा था कि राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं ? राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, यह विधि मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने मान लिया कि वह कहीं भी भेजे जा सकते हैं। उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। इसलिए जिम्मेवारी भी इन्हीं की होगी। विवेक इस्तेमाल करने से यह जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इस पर डिस्कशन से नहीं बच सकते He cannot escape his responsibility. He will have to bear the consequences whatever they may be.

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह जी !

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या राजस्थान के कर्मचारी इतने अनाथ हैं कि उनको जहां चाहें भेजा जाये ?

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने एक विचित्र स्थिति हो गयी है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने अभी कहा कि कर्मचारी स्वेच्छा से गये और विधि मंत्रीजी ने ठीक इसके विपरीत बात कही कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को बाहर भेजें तो रूल्स के तहत वह मना नहीं कर सकता, उसको जाना ही होगा। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार ने कर्मचारियों को बाई फोर्स, अण्डर रूल्स वहां भेजा है। इस लिए इसे हाउस के अन्दर विचार के लिए लिया जा सकता है। यह स्वयं विधि मंत्रीजी ने कहा है, सरकार ने जबरन कर्मचारियों को भेजा है।

श्री अहमदबख्श सिन्धी : किसी भी कर्मचारी को जबरन नहीं भेजा है और न ही किसी ने इसकी शिकायत की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं, अध्यक्ष महोदय, असम में आदमियों को भेजने की चर्चा करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैंने इसमें लिखा है···

श्री अध्यक्ष : वह मैंने पढ़ लिया है। दुबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लाखों प्रवासी असम में राजस्थान के रह रहे हैं। वहां पर आर.ए.सी. बटालियन के सिपाही त्रिलोकसिंह को भेजा गया था। वह वहां पर मारा गया। इससे यहां के लोगों में भय और आक्रोश व्याप्त है। इस सारे के सारे विषय पर यहां पर चर्चा, विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह जी !

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल की नर्स यहां नौकरी करने के लिए आई और उसकी मौत हो गई, केरल की विधान सभा में जब उस पर चर्चा हुई, तो राजस्थान का कर्मचारी असम में मारा गया उस पर चर्चा नहीं की जाये, मैं समझता हूं, यह उचित नहीं होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार आये हैं, आर. ए. सी. बटालियन के त्रिलोकसिंह मारे गये। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने मुख्य मंत्री कोष से पांच हजार रुपये उनके परिवार को देने की घोषणा की। उनके मरने के कारण और भी जो लाइबिलिटीज राजस्थान सरकार पर आयेंगी, जिनमें राजस्थान का कोष निहित होगा इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। यह तो एक सिपाही को मारा गया है, जितने सिपाही और जो कर्मचारी यहां से गये हैं, जो किसी तरह की ड्यूटी बजाने के लिए गये हैं उन सबके परिवार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर आ रही है। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा और दूसरे माननीय मंत्री महोदय ने कहा, वह चाहे फोर्स से गये हों, चाहे इच्छा से गये हों, जो मारे गये हैं, वह राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : आर. एस. एस. वालों ने भी भैरोंसिंह जी को भेजा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उन्हें जानकारी करने के लिए भेजा है। जो स्थिति राजस्थान के कर्मचारियों की हो गयी है उसको लेकर स्थगन प्रस्ताव मूव किया गया है वह स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक घटना, जिसका प्रभाव राजस्थान की जनता पर पड़ रहा है, के सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया गया है, आप सरकार से जानकारी कर रहे हैं। यह यहां विचारार्थ नहीं आयेगा, इस पर चर्चा नहीं होगी तो इसका मतलब यह होगा कि राजस्थान के कर्मचारी मरते रहें और इनके सम्बन्ध में यहां चर्चा न हो तो देश की जनता समझेगी, राजस्थान की विधान सभा में इस प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रीजी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय विधि मंत्रीजी ने जो कहा वह रूल्स का हवाला देकर बताया . . .

श्री अध्यक्ष : पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जो कहा वह सिर्फ यह कहा और जहां तक इम्पोर्टेंशन का सवाल है उसके सम्बन्ध में विधि मंत्रीजी ने समझाने की दृष्टि से स्थिति बताई थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वहां पर जो ड्राइवर्स भेजे गये हैं वह राजी-खुशी से गये हैं उनको उनकी इंटेंशन से ही भेजा गया है।

श्री घनश्याम तिवाडी : उनको जबर्दस्ती भेजा गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : विरोधी पक्ष के उप नेता ने जो कहा है उनको मैं कहना चाहता हूं कि आर. ए. सी. और जो मिलिट्री वहां है उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। जो राजी थे वहां पर जाने के लिए उनको ही वहां लगाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अध्यक्षीय व्यवस्था दी जा रही है।

हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। माननीय कटारिया जी, माननीय घनश्याम तिवाड़ी ने असम के सम्बन्ध में कुछ स्थगन प्रस्ताव दिये थे उनको यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि इनका सम्बन्ध राजस्थान राज्य के अधिकार क्षेत्र से नहीं है। तत्सम्बन्ध में हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई, कुछ नियम पढ़कर सुनाए कि किसी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने या उस पर निर्णय देने से पूर्व अध्यक्ष को किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब आसन ने यह निवेदन किया कि यह सब उस एक बड़े नियम के तहत बनाए गए हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो कोई चर्चा यहाँ पर होगी उसका संबंध राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से होगा। उस बात को आपने अस्वीकार नहीं किया, आपने माना कि यह वैधानिक स्थिति सही है। उसके बाद में माननीय सदस्यों ने जो चर्चा उठाई उसमें यह कहा कि जो प्रस्ताव दिया गया है वह राजस्थान से सम्बन्धित है। इस प्रस्ताव को इस तरह का मोड़ देने की कोशिश की गई।

(व्यवधान)

सुन लीजिए, ध्यान से पढ़ें।

उसमें तीन विषय उठाए गए हैं। असम में आन्दोलन चल रहा है, उसमें कुछ लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह बात उसमें उठाई गई है, खून खराबा हो रहा है यह बात...

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री अध्यक्ष : है, आप भी तो पृथ्वी वीरों से खाली नहीं करायेंगे, यह उन्होंने कहा है। सदन के माननीय सदस्यों को यह बात भी मालूम है, कल भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अवसर या उस वक्त भी कई माननीय सदस्य व दल इस बात को लेकर बहिर्गमन कर गए थे कि असम में जो कुछ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए हम उनके भाषण को नहीं सुनना चाहते हैं। तो मुख्य स्थगन प्रस्ताव के विषय राजस्थान सरकार के यहां कार्यरत अधिकारी अथवा वहां का आंदोलन, ऐसे दो तीन विषय दिए गए हैं।

मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि यदि वहां पर राजस्थान की सरकार का कोई अधिकारी घायल हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है तो इस प्रश्न को अन्य किसी तरीके से अलग से उठाया जा सकता है। लेकिन 3–4 मसलों को जोड़ कर जैसी भूमिका प्रारंभ में रही कि यह

(श्री अध्यक्ष)
सत्र शुरू होते ही किसी तरह असम आंदोलन का मसला सदन में आना चाहिए और असम आन्दोलन की बात को आसन रोके तो उस अवस्था में राजस्थान के निवासियों की · · ·

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कयास है।

श्री अध्यक्ष : कयास के आधार पर भी मैं निर्णय दे सकता हूँ। यह भी आसन को अधिकार है।

तो वह बात कुल मिलाकर आई, मुझे ऐसी आशंका है।

(व्यवधान)

ऐसे प्रश्न राजस्थान के नागरिकों के बारे में, राजस्थान के जो कार्यरत अधिकारी हैं उनके बारे में, आप जानते हैं, राजस्थान की आर. ए. सी. सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस बटालियन वगैरह पहले भी गई हैं, बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है। उनकी मौतें भी होती रही हैं। उनके बारे में चर्चा में ये विषय आये होंगे या नहीं आये होंगे लेकिन ये विषय लाए जा सकते हैं, अन्य किसी तरीके से। हमारे यहां खास तौर से एक 1974 में उस वक्त के माननीय अध्यक्ष का विनिश्चय है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि · ·

"अंक 5, संख्या 15, स्कंभ 74।"

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। इस आसन पर आज विराज जायं तो हम तो सादर उसको स्वीकार करेंगे। ऐसी क्या बात है?

"अन्य राज्यों में चल रहे आन्दोलनों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। बिहार राज्य में चल रहे जन आन्दोलन के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर सहमति नहीं देते हुए श्री अध्यक्ष ने कहा, यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसकी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।"

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, · · ·

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। हमारी इस विधान सभा की सदैव यह परम्परा रही है कि दूसरे राज्यों से सम्बन्धित विषय या जिस विषय का सम्बन्ध राज्य सरकार से न हो अथवा उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हो, उस पर हमने कभी चर्चा नहीं की है। मैं समझता हूं, उपयुक्त होगा कि उस पर चर्चा नहीं करें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज!

दूसरा सवाल यह भी है कि अध्यक्ष अगर कोई व्यवस्था दे तो क्या उस विनिश्चय को किसी पाइन्ट आफ ऑर्डर के माध्यम से फिर दुबारा खोला जा सकता है?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पुनर्विचार के लिए. . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात से सहमत होंगे कि अध्यक्ष का निर्णय यहां पर अंकित होता है · · ·

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको पुनर्विचार के लिए निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : न तो मैं पुनर्विचार करने की स्थिति में हूं न इसको बदलने की स्थिति में हूं।

– (श्री अध्यक्ष)

आपने जो यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर भी निश्चित तौर से मेरी यह व्यवस्था है कि इस तरह के प्रश्नों को उठाया नहीं जा सकता। जो अन्य उसमें मामले जोड़े गये थे, उन पर मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अन्य जो मामले हैं उनको अन्य किसी तरीके से उठायें। उसमें यदि आपको कठिनाई हो तो मैं आपका सेवक हमेशा आपकी सेवा में हूं, मेरे से आप चर्चा कर लें।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाए। अगला विषय मैं ले लेता हूं . . .

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, असम की बात नहीं . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान के लोगों को जबरन भेजा गया है· · ·

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है माननीय सदस्य, आॅर्डर आॅर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लोगों पर आक्रमण किया है· ·

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो, स्थान ग्रहण करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, कृपया बैठ जायं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकती, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह की बातों से बचें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था· ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर। मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने अस्वीकार कर दिया है। क्या ?

(व्यवधान)

तो बैठ जायं। रूलिंग पर चर्चा की मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य। भाषण नहीं होगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : घनश्यामजी ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उस पर आपने जो निर्णय दिया है केवल वही बातें· ·

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(34)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उसमें दूसरी बात बिलकुल नहीं है। आपकी रूलिंग के हिसाब से··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। स्थगन प्रस्ताव जैसा था उस पर व्यवस्था दे दी।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बिराज जायं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, वह राजस्थान के नागरिकों से संबंधित है। इस बात को लेकर आप हमको बोलने की आज्ञा नही देंगे तो कर्मचारी मारे जा रहे हैं··

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस रूलिंग के विरोध में हम वाक आउट कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान के लोगों पर जो अत्याचार हुआ है··

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।···

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज। कृपया शान्त रहें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : XXX

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। कृपया बैठ जाइये, माननीय सदस्या। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के बारे में उस पर आपने यह व्यवस्था दी है कि उसको राज्य सरकार को जानकारी के लिए भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये, माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर ऑर्डर।

(व्यवधान)

अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। आप बैठ जाइये। आप व्यर्थ में समय ले रहे हैं। अंकित नहीं हो रहा है। ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य आप बैठ जाइये। आप व्यर्थ समय ले रहे हैं। माननीय सदस्य, मैं आपको नाम से सम्बोधित करूंगा। माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आसन पैरों पर है। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था गंगानगर जिले में ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करता हूं, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैं नहीं सुन रहा हूं। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, मैं नाम से सम्बोधित करता हूं। माननीय सदस्य, श्री देवीसिंह, सदस्य, विधान सभा, आप, कृपया बैठ जाय।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइये, माननीय सदस्य। अगला बिजनेस। ऑर्डर ऑर्डर। मैं नाम से संबोधित करूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। सचिव।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

महामहिम राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा) : महोदय, मैं गत सत्र में पारित निम्नांकित विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 1982।

(2) राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1982।

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(136)

(श्री सचिव)

(1) राजस्थान समाज शिक्षा बोर्ड (निरसन) विधेयक, 1982

(2) राजस्थान लोक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1982

(3) उदयपुर विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 1982

(4) राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 1981

(5) राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश (संशोधन) विधेयक, 1982

(6) राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 1981

(7) राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1982

(8) राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1982

(9) राजस्थान यात्री और माल कराधान (निरसन) विधेयक, 1982

(10) राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1982

(11) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

(12) राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : सहकारिता मंत्री जी।

श्री राजबहादुर : मुझे एक विनती करनी है, अध्यक्ष महोदय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्वान ए पाइन्ट आफ आॅर्डर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : विनती अभी नहीं सुनते क्योंकि पाइन्ट आफ आॅर्डर उठा है। हां, साहब, क्या है पाइन्ट आफ आर्डर ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह जो अधिसूचनायें सदन के पटल पर रखी जा रही हैं उनमें आप देखें अधिसूचना क है, अधिसूचना संख्या एफ. 1/7(2) गृह-5/77, दिनांक 28 अगस्त, 1982 दूसरी जो है वह तारीख 24 मई, 1982 की है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विषय को कई बार सदन में रख चुके हैं कि जब एक बार कोई अधिसूचना जारी हो तो उसके तुरन्त बाद ही वह सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ है इसमें। वैसे सितम्बर में भी सदन की बैठक हो चुकी है। फिर यह विलम्ब क्यों हो रहा है ? इसमें आवश्यकता तो इस बात की थी कि उस सत्र में ही इन अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर रखा जाता। उस समय न रख कर फिर वही गलती राज्य सरकार दोहरा रही है।

श्री अध्यक्ष : यह कहां पर है ? कार्यसूची में कौनसी जगह पर है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह अधिसूचना रख रहे हैं। यह जो अधिसूचना श्री शिवचरण जी माथुर रखेंगे यह अधिसूचना संख्या एफ.1/7 (2) गृह-5/77, दिनांक 28 अगस्त, 1982 है यह नीचे नीचे है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी जो विषय विचारणीय है उस पर आपको कोई आपत्ति हो तो कहें। आप स्थान ग्रहण करें।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र संबंधित मन्त्री जी जब रखें तो इस आपत्ति का भी जवाब दे दें।

(व्यवधान)

आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह जब रखने के लिये खड़े हुए तब ही तो मैंने पाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा रख रहे हैं। सदन की मेज पर आने वाला पत्र।

अध्यादेश

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सहकारिता मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1982) सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचनाएं सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री अध्यक्ष : अब आप देरी क्यों हुई इसका उत्तर भी दे दें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, गृह): हमने तो उस समय प्रस्तुत कर दी थीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब यह कह दें कि गलती हो गयी।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले आपके यहां पर भेज दी थीं।

श्री मायूसिंह (बांदीकुई) : अब आप विधि मन्त्रीजी से राय ले लें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह कोई गम्भीर मामला नहीं है। जब हमने आपके यहां पर भेजी तो यह पाया गया कि इसमें त्रुटियां हैं तो आपके यहां से 19-9 को हमारे पास वापस भेजी गईं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इसका मतलब यह है कि आपके अधिकारी त्रुटिपूर्ण भेजते हैं। उसके लिये क्षमा प्रार्थना करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपके यहां से वापस आने के बाद 19-10 को फिर आपके पास भेज दी थीं। उसके बाद आपसे मिलने का यह पहला मौका है।

श्री अध्यक्ष : हां ठीक है, बाद में सत्र अवसान हो गया। अनुमति दी गयी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह (ग्रुप-5) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(1) राजस्थान सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 10 (4) के अन्तर्गत

(क) अधिसूचना संख्या एफ-1/7(2) गृह-5/77, दिनांक 28 अगस्त, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान सिनेमा (विनियमन) नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

(ख) अधिसूचना संख्या एफ-1(7) (8) गृह-5/80, दिनांक 24 मई, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान सिनेमा (विनियमन) नियम, 1959 में संशोधन किये गये हैं।

(3) अधिसूचना संख्या 1/6(3) गृह-5/82, दिनांक 25 सितम्बर, 1982 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अन्तर्गत समस्त सेवायें अत्यावश्यक सेवा घोषित की गई हैं।

विधायी कार्य

वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1982

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। वापस लिया जाने वाला विधेयक।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : आप नाम बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेता हूं।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अध्यक्ष : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक। मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिनेमा (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। अभी आपने चूंकि आज्ञा दी कि विनती आप नहीं सुनेंगे, मैं नियम 270 के अन्तर्गत आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात सुन ली जाये क्योंकि निर्देश मैं दे नहीं सकता और आपकी नाराजगी जब चेहरे पर और स्वर में आ जाती है तो कहना मुश्किल पड़ जाता है। वाक आउट के महत्व को मैं गिराना नहीं चाहता लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, जैसा मैंने निवेदन किया था कि भरतपुर के मामले को मामूली नहीं समझा जाये। गंभीर नरसंहार हुआ है। उस पर आपने कहा है कि हमें सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे। यह काफी नहीं है। उस पर चर्चा होनी चाहिए और कम से कम पूरा वक्तव्य आना चाहिए। दूसरों के साथ यह लिंक नहीं हो, यह मेरी विनती है। दूसरी बात यह भी है कि वहां से लोग आये हुए हैं, बैठे हुए हैं यहां। उनसे मंत्री महोदय मिल लें तो अत्योत्तम होगा। थोड़ा बहुत उनको समझा दें।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य मुझ से मिले थे कल ···

श्री राजबहादुर : पहले विनती के बारे में कह दिया जाय। जब आप नाराज हो तो आपके स्वर के ऊपर और स्वरूप के ऊपर असर नहीं आना चाहिए ···

श्री अध्यक्ष : नाराजगी का प्रश्न नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता था कि उस सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्य मुझसे मिले थे। कल मैंने उनसे यह निवेदन किया था कि सरकार से जानकारी ले लेते हैं। जब तक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सदन में चलती है तब तक कुछ औपचारिक कार्यों को ही हाथ में लिया जा सकता है इसलिए उसके बाद में मैंने नम्र निवेदन किया था कि बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक इस विषय पर विचार करूंगा ··

श्री भंवरलाल शर्मा : कल चेम्बर में फर्माया था आपने ···

श्री अध्यक्ष : मैंने जो कहा था चेम्बर में तो वह चेम्बर में कहा था। यहां थोड़े ही कहा था। आप अधिक उसके विस्तार में नहीं जायें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने यह कहा था कि पहले वक्तव्य आ जायेगा, 4 दिन के बाद यह वक्तव्य आ जायेगा। बहुत इम्पार्टेन्स का है। रिकार्ड पर नहीं आया है कहीं भी।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों को परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन)

(श्री खेतसिंह राठौड़)

विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सहकारी सोसायटी, (संशोधन) विधेयक, 1983

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 1982 (अध्यादेश संख्या 10 सन् 1982) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन), विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री अहमदबक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वक्फ मंत्रीजी !

सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983

श्री अहमद बक्श सिंधी : (वक्फ मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री अहमद बक्श सिंधी : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा विस्तारण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

18 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न :

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी देना चाहता हूं। एक सूचना आपको देना चाहता हूं, इस बार जो हमको यह अजेण्डा मिला है उसमें तारांकित प्रश्न तो आये हैं लेकिन अतारांकित प्रश्न, जो हमेशा आया करते हैं, हमको मिले नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र मिलने लग जायेंगे, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आज नहीं आयेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : अभिभाषण पर वाद विवाद हेतु समय का बंटवारा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज अतारांकित प्रश्न नहीं आयेंगे क्या ? लिखित प्रश्नों के जवाब मांगे थे वह आज नहीं आयेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन सब प्रश्नों का उत्तर यहां नहीं दिया जा सकता। आप चेंबर में मुझ से मिल लें। सब स्थिति से आप को अवगत करा दूंगा।

घोषणा

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिए कुल करीब 17 घंटे का समय मिलेगा। इस समय का दलों में निम्न प्रकार बंटवारा किया गया है। इस समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है:—

कांग्रेस (आई)	–11½ घंटे
भारतीय जनता पार्टी	– 3 घंटे
जनता पार्टी (जे. पी.)	–45 मिनट
लोकदल	–40 मिनट
कांग्रेस (श)	–30 मिनट

भारतीय साम्यवादी पार्टी और मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी–15-15 मिनट का कह रहा हूं लेकिन मैं 25-25 मिनट कर देता हूं दोनों का।

एक माननीय सदस्य : बी. जे. पी. को ज्यादा दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं कि माननीय सदस्य वाद-विवाद में हिस्सा ले रहे हों और उनका भाषण चल रहा हो तो आम तौर से हम बीच में टोकते नहीं हैं। आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 3 घंटा तो बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष : 3 घंटे का आपने पालन किया है ? हमेशा ज्यादा ही बोले हैं। जितने सदस्यों की संख्या है उसके हिसाब से बंटवारा होता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री हरिसिंह (कुम्हेर), सदस्य, राजस्थान विधान सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल कल हमारे इस सदन में पधारे और पधार कर उन्होंने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। मैं यह उपयुक्त समझता हूं कि महामहिम को उनके अभिभाषण के प्रति धन्यवाद अर्पित किया जाये। वह प्रस्ताव इस शब्दावली में इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं !"

श्रीमान्, महामहिम ने अपने अभिभाषण में चर्चा की है उन सब उपलब्धियों की जो सरकार ने शासन आरूढ़ होने के पश्चात् और विशेषकर इस वित्तीय वर्ष में अर्जित की हैं। राज्यपाल महोदय ने उन सब विकास कार्यक्रमों की, उन सब विकास के कामों की बड़ी विस्तार से चर्चा की है जो सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में व अन्य क्षेत्रों में किये हैं। महामहिम ने यह भी चर्चा की है कि वर्तमान सत्र जो विधान सभा का होने जा रहा है, में सरकार कौन कौन से विधेयक हमारे समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

श्रीमान्, जहां तक सरकार की उपलब्धियों का प्रश्न है और विशेषकर उन उपलब्धियों का प्रश्न है जिन्हें बीस सूत्री कार्यक्रमों में शामिल रखा है, उन उपलब्धियों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि केन्द्रीय सरकार ने और हमारे योजना आयोग ने भी उनकी एक बार नहीं, एक से अधिक बार प्रशंसा की है। श्रीमान्, प्रश्न यह है कि अपने प्रदेश की विधान सभा की परिपाटी रही है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्ताव पर हम चर्चा करते हैं, हम इस बात का लेखा जोखा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हमारी सरकार विकास कार्यों में कितनी अग्रसर हुई है, जिस पथ पर अग्रसर होना चाहिये उस पर कितने माइल स्टोन को क्रॉस किया है। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है, श्रीमान, हम यह देखें कि हमारी मन्जिल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है जिसको हमें प्राप्त करना है, हमारी मंजिल क्या है जिस पर हमको पहुंचना है। हमें जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते पर हम चल रहे हैं या नहीं। इसके लिये, श्रीमान्, मैं आपसे

(श्री हरिसिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो मंजिल है, जो हमारा लक्ष्य है, वह वही हमारी मन्जिल और वही हमारा लक्ष्य है जो हमारी कांग्रेस पार्टी, जब 1980 में जनता के समक्ष गई थी और जनता से जो मेनडेट हासिल किया था, ने जनता के समक्ष जो अपना चार्टर प्रस्तुत किया था और उस पर अपनी मोहर लगाकर स्वीकृति देकर तत्कालीन जनता सरकार को जनता ने पदच्युत करके हमारी सरकार को अपने शासन की बागडोर सौंपी थी, वही हमारा मेनडेट है। इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान्, सन 1980 में जनता के समक्ष हमने इस बात का संकल्प लिया था कि हम एक प्रगतिशील, सार्थक, क्रमबद्ध सामाजिक परिवर्तन कर जनता को आरूढ़ करेंगे। श्रीमान, हमने यह भी अपना संकल्प दोहराया था कि हम देश में ऐसी सामाजिक व्यवस्था लायेंगे, उस समाजवाद की स्थापना हम करेंगे जिस समाजवाद की परिकल्पना जनता ने, इस देश के वासियों ने स्वर्गीय पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की थी। श्रीमान्, हमने यह भी संकल्प दोहराया था कि उस समाजवाद की स्थापना करेंगे जिस समाजवाद को हमारे देशवासियों ने, हमारे मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट ने श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो हमारे देश की प्रधान मंत्री हैं, के नेतृत्व में हमारे संविधान में अंकित किया है। हमने, श्रीमान्, यह भी स्पष्ट किया था, इस समाजवाद की स्थापना के लिये, प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन लाने के लिये जो रास्ता हम अपनायेंगे वह रास्ता हमारा होगा धर्म निरपेक्षता का। कोई भी दबाव हो हम अपने धर्म निरपेक्षता के रास्ते से डिगेंगे नहीं। श्रीमान्, हमने यह भी स्पष्ट किया था, हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के हामी रहेंगे और मजबूती के साथ उस तरफ अग्रसर होते रहेंगे। हमने, श्रीमान्, आर्थिक व्यवस्था के संबंध में जनता के समक्ष यह भी स्पष्ट किया था, हमारी जो व्यवस्था होगी, नियोजन की व्यवस्था होगी। नियोजन की व्यवस्था को लेते हुए हम अपने प्रदेश को और देश को अग्रसर करेंगे आर्थिक उन्नति की ओर। श्रीमान्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हमारा लक्ष्य है, यह जो हमारी मन्जिल है, इसको पार करने के लिये हमने कार्यक्रम रखे थे। जहां तक प्रश्न है गरीब लोग, जो गांवों के अन्दर रहते हैं, 80 प्रतिशत हैं लेकिन जो ग्रामीण जनता ग्रामों में रहती है और जो कमजोर वर्ग है उसके लिये, श्रीमान्, उत्थान के कार्यक्रम हमने जनता के सामने रखे थे। हमने जनता से वायदा किया था कि जो भी कमजोर तबका है उसके लिये पांच वर्ष के अन्दर पीने का पानी उपलब्ध करायेंगे। हमने, श्रीमान्, यह भी कहा था कि हम गृह निर्माण के लिये मुफ्त जमीन देंगे। शहरी क्षेत्र में जो गन्दी बस्तियां हैं उन्हें हम साफ करेंगे। ग्रामीण लोगों के लिये ऋण की सुविधा इस प्रकार से उपलब्ध करायेंगे कि उन्हें सस्ती दर पर, कम व्यय पर उपलब्ध हो सके। हमने, श्रीमान्, किसानों के लिये इस बात का भी वचन दिया था कि हम किसानों के हित में जो छोटे किसान हैं उन्हें बहुत कम दर पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध करायेंगे। कुछ वित्तीय संस्थायें उनके लिए इस प्रकार से रिजर्व करेंगे कि उनको खेतों के काम के लिये ऋण मिल सके। हमने सहायक धन्धे बढ़ाने का उन्हें पूरा अवसर दिये जाने की बात भी कही है। मैं आपसे निवेदन करना

(श्री हरिसिंह)

चाहता हूं, श्रीमान्, यह जो हमारी मंजिल है, यह जो कार्यक्रम है, जो माइल स्टोन है इसको हमारी सरकार ने क्रास किया है, तो इस कार्य के लिये निश्चित रूप से सरकार सराहना की पात्र है। मैं आपसे, श्रीमान्, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो लक्ष्य प्राप्त किये हैं उनको प्राप्त करने में किन चुनौतियों का सामना किया है उस परिप्रेक्ष में, इस परिस्थिति में हमें देखना पड़ेगा कि सरकार कितनी आगे बढ़ी है। यह जो साल गया है उससे पहले साल में सम्वत 2038 के अन्दर, श्रीमान्, राजस्थान के 26 जिलों में 30 हजार गांवों के अन्दर अकाल था····

(1.08 म.प.)

(श्रीमती विद्यापाठक, सभापति, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका बोलने का मन नहीं है। बिना मन के बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : राजस्थान में विषम परिस्थितियां हैं। अकाल की विभीषिका से सरकार जूझ रही है, इस ओर सदन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था। इस वर्ष, श्रीमान्, राजस्थान के 27 जिलों, वैसे मैं तो 27 जिलों में अकाल की स्थिति मानता हूं, में से 26 जिलों में 22½ हजार गांवों में, श्रीमान्, अकाल है। जब यह वर्ष प्रारम्भ हुआ था उस समय सरकार के सामने 340 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था। उन परिस्थितियों में सरकार की उपलब्धियों को आंकना होगा। श्रीमान्, सरकार ने पूरा प्रयत्न किया है इस बात का कि हमारा जो बीस सूत्री कार्यक्रम है उसे पूरा किया जाये। बीस सूत्री कार्यक्रम, मैं आपसे निवेदन कर दूं, विशुद्ध रूप से आर्थिक कार्यक्रम है। इसकी क्रियान्विति से हमारे गांव का जो सबसे नीचा तबका है, सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, वह आगे बढ़ेगा। महात्मा गांधी ने, श्रीमान्, इस बात का सपना संजोया था, जिसको उन्होंने देशवासियों के लिए इंगित किया था कि वह पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति का हिन्दुस्तान में उत्थान करना चाहते थे। उनका यह स्पष्ट लक्ष्य था कि गांव का पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके साथ गांव आगे बढ़ेगा, गांव के साथ साथ इलाका आगे बढ़ेगा, इलाके के साथ प्रदेश आगे बढ़ेगा और इस प्रकार समूचा देश आगे बढ़ेगा। यह महात्माजी का स्वप्न था हिन्दुस्तान की उन्नति के बारे में। हमारे अग्रजनों ने, हमारे नेताओं ने जहां तक आर्थिक नीति का सम्बन्ध है, देश में मिक्स्ड इकानामी को अपनाया। मिक्स्ड इकानामी को अपनाने के लिए आवश्यकता इस बात की थी, श्रीमान्, न तो पूंजीगत आर्थिक व्यवस्था को अपना सकते थे और न ही खुले रूप से प्राइवेट एन्टरप्राइज का हिन्दुस्तान के अन्दर मार्ग प्रशस्त कर सकते थे। समय इस प्रकार का था हमें न तो प्राइवेट इकानामी की तरफ झुकना पड़े और न ही सोशलिस्टिक टाइप इकानामी को हम अपनायें। उस समय यह लाजिमी हो गया कि भारत वर्ष में मिक्स्ड इकानामी को लिया जाय। हमने मिक्स्ड इकानामी ली तो जैसा कि आपने देखा होगा, हिन्दुस्तान के अन्दर एक तरफ प्राइवेट एन्टरप्राइज थे, प्राइवेट एन्टरप्रिन्योर आगे बढ़े और दूसरी तरफ पब्लिक सैक्टर था वह आगे बढ़ा। लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहिये था उतना नहीं बढ़ सका, उसका नतीजा यह हुआ। हमारा लक्ष्य

(N5)

(श्री हरिसिंह)

था कि किसी प्रकार गरीबी और अमीरी के भेद को मिटा सके, गांवों के पिछड़े वर्ग को आगे ला सके तो यह तय हुआ कि इसी प्रकार के कामों को आगे बढ़ायें। प्राइवेट और पब्लिक सैक्टर में असामंजस्यता है, उसको हम दूर करें। इसी परिप्रेक्ष में हमारी देश की नेता, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम देश के सामने रखा। इस सम्बन्ध में जैसा मैं निवेदन कर रहा था हमारे··

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 20 सूत्री कार्यक्रम नया या पुराना ?

श्री हरिसिंह : नवीन जो 24 जनवरी को प्रचारित हुआ था। पुराना वाला नहीं है। पुराने वालें के लक्ष्य तो पूरे कर लिये। अब जो नवीन कार्यक्रम लाया गया है उसके लिये मैं निवेदन कर रहा था।

मैं उस कार्यक्रम की डिटेल में जाने से पहले उसके सम्बन्ध में, श्रीमन्, आपको यह भी निवेदन कर दूं कि किसी भी सरकार का प्रशासन जब तक संवेदनशील नहीं हो तब तक जनता की दु:ख और तकलीफो को दूर नहीं कर सकता। इसलिये जनता के दु:ख और तकलीफों को दूर करने के लिये प्रशासन को संवेदनशील बनाना अत्यधिक आवश्यक हुआ करता है। हमारी सरकार का ध्यान उस ओर गया और सरकार ने अपने प्रशासन को संवेदनशील ही नहीं बनाया बल्कि जो प्रशासन अब तक शहरों में बैठ कर, कचहरियों में बैठ कर, बड़े बड़े नगरों में बैठ कर जनता के दु:ख और तकलीफों को सुनता था उसको इस बात की ओर मोड़ दिया, उसको इस बात का निर्देश दिया कि आप गांवों में जायेंगे। इस तरह प्रशासन को शहर से ले जाकर किसान की चौखट पर खड़ा कर दिया। उस कार्यक्रम को, श्रीमन्, हमारी सरकार ने एक जनवरी से लागू किया और 15 फरवरी तक गांवों में उच्च से उच्च अधिकारी गये। यही नहीं कि कोई तहसीलदार, एस. डी. एम. या कलेक्टर गांवों में गये हों बल्कि हर जिले का एक प्रभारी मंत्री बनाया गया। उन्होंने गांवों में जाकर देखा है कि किस प्रकार यह कार्यक्रम चलता है। मुख्य मंत्री स्वयं गांवों में गये और जो हमारे स्टेट के हैड हैं, राज्यपाल महोदय, वे भी गांवों में गये। हमारे भरतपुर जिले में बानोरी गांव के अन्दर राज्यपाल महोदय पधारे। उन्होंने गांवों में जाकर उन विधवाओं, जिनको पेन्शन की आवश्यकता थी, जिनको सहायता की आवश्यकता थी, को पेन्शन और सहायता दिलाने की कार्यवाही कराई। उन गरीबों, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी, को स्वयं कर्ज बांटे और जो भी विवाद थे उनको देखा कि निपटारा हो रहा है या नहीं।

मैं निवेदन कर रहा हूं, जो "प्रशासन गांवों की ओर" आन्दोलन सरकार ने चलाया वह केवल राजस्व आन्दोलन नहीं था। अब से पहले जो आन्दोलन चलाये गये वे राजस्व आन्दोलन थे चाहे जनता पार्टी की सरकार ने चलाये हों और चाहे कांग्रेस सरकार ने चलाये हों। वह अच्छे कार्यक्रम थे, मैं इससे इन्कार नहीं करता, अच्छे आन्दोलन थे। उनमें किसानों के दु:ख और तकलीफों को सुना गया, बहुत से मामलों का निपटारा किया गया लेकिन अब का जो आन्दोलन था, "प्रशासन गांवों की ओर" वह कुछ और

(श्री हरिसिंह)

अधिक आगे बढ़ने का था। उसमें जनता के दुःख और तकलीफों को अधिक सुना गया। श्रीमन्, न केवल उसमें यह बात थी, आन्दोलन के अन्दर जब गांवों में अधिकारी जाते थे, जितने सम्बन्धित अधिकारी होते थे, किसानों के विवादों से, किसानों की समस्याओं से सम्बन्धित जो अधिकारी होते थे चाहे वह बैंक के कोई अधिकारी हो, चाहे इन्डस्ट्रीज के हों, चाहे पचायत के हों सबके सब गांवों में जाते थे। एक दिन नहीं बल्कि तीन तीन दिन गांवों में रहते थे और जो भी समस्याएं आती थीं उनका निपटारा करते थे। मैं जैसा कि निवेदन कर रहा था, राज्यपाल महोदय ने इस सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये हैं उनको दोहराने में सदन का समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को इससे राहत और सहूलियतें मिली हैं।

आप, श्रीमन्, देखें 81,237 व्यक्तियों को खातेदारी के अधिकार दिये गये, 3,43,332 व्यक्तियों के नामांतरकरण स्वीकृत किये गये हैं, 20,923 व्यक्तियों को पेंशन दी गई है, यही नहीं, जिन लोगों को बेदखल किया गया था उनको पुनः कब्जा दिलाया गया। यह भी देखा गया कि कितने व्यक्ति गांव में ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनकी एक सूची बनाई गई, श्रीमन्, और यह भी देखा गया कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का ऋण मिलना चाहिए। उसके लिए उस प्रकार के फार्म्स तैयार कराये गये, उसको ऋण उपलब्धि की कोशिशें की गईं। यही नहीं, श्रीमन्, यह भी देखा गया कि कितने विकलांग गांव के अन्दर हैं। उनकी सूची बनाई गई और उन्हें फायदा दिया गया। हमारे जिले में यह भी देखा गया कि कितने लोग किस किस बीमारी से परेशान हैं, केटरेक्ट से या अन्य भयंकर बीमारियों से परेशान हैं। उनके लिए डाक्टर भी वहां पर गये। तो यह सब कार्य हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं इस वर्ष सरकार ने जो प्रशासन को अधिक संवेदनशील बनाने का कार्य किया है और जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनके लिए सरकार की निश्चित रूप से सराहना करनी चाहिए।

मैं, श्रीमन्, आपको जैसा निवेदन कर रहा था, हमारे जो 20 सूत्री कार्यक्रम हैं, उन 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक कार्यक्रम में, श्रीमन्, जो भी उपलब्धियां हैं उनमें हमारा राजस्थान किन्हीं मामलों में तो समूचे देश में अग्रणी है, सबसे प्रथम स्टेण्ड करता है, किन्हीं मामलों में बहुत से प्रान्तों से आगे है और किन्हीं में स्थिति सन्तोषजनक है। जैसा कि मैंने निवेदन किया था, केन्द्रीय सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने अनेकों बार इस सरकार के कार्यों की प्रशंसा की है। श्रीमन्, मैं 20 संकल्पों में···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 20 संकल्पों में से कौनसा संकल्प पूरा हो गया ?

श्री हरिसिंह : मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कर रहा हूं न कि 20 संकल्पों की बात कर रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : 20 सूत्री कार्यक्रम है या 20 संकल्प है।

श्री हरिसिंह : किस काम में कितनी प्रगति हुई है, मैं यह बता रहा था अच्छा है, आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

(श्री हरिसिंह)

अब एक एक आइटम में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है वह मैं निवेदन करूंगा। सबसे अधिक जिस पर ध्यान दिया और जिसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात जो वह है पेयजल की। पीने के पानी के सम्बन्ध में राजस्थान में सबसे अधिक परेशानी थी जनता को, उसे सरकार महसूस करती थी, राजस्थान में इसके लिए प्रयास किये गये। केन्द्रीय सरकार को अप्रोच किया। राजस्थान के जो सीमित साधन हैं, उसमें राजस्थान के जो 19 हजार गांव हैं, जो अभावग्रस्त गांव हैं, जहां पानी उपलब्ध नहीं हैं उन 19 हजार गांवों में, जैसा कि हमारा चुनाव मेनीफेस्टो में था कि पानी पहुंचायेंगे, पानी पहुंचाया गया है। केन्द्र सरकार को अप्रोच किया और केन्द्र सरकार ने राजस्थान को ए. आर. पी. के अन्तर्गत पैसा दिया – एसीलरेटेड रूरल प्रोग्राम के अन्तर्गत पैसा दिया उस पैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमन्, आप आंकड़ों को देखें तो हमारे राजस्थान में 24 हजार 37 गांव इस समय अभावग्रस्त हैं और 30 मार्च, 1981 तक 6894 गांवों को पानी दे पाये हैं। उसके पश्चात्, 81–82 में 3890 गांवों को पानी देने का लक्ष्य था, उनमें पानी दिया, 1982–83 में हमारा लक्ष्य 3400 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का था, और दिसम्बर तक 2400 गांवों को पानी उपलब्ध कराया जा चुका है और जो लक्ष्य है अब उसको भी पूरा कर सकेंगे। इस प्रकार 14 हजार 84 जो अभावग्रस्त गांव थे उनमें पानी की पूर्ति कर पाये हैं। यह बहुत बड़ा काम है क्योंकि राजस्थान में एक गांव से दूसरे गांव में बहुत फासला है, कई कई मील, 8–8, 10–10 मील के फासले पर एक गांव से दूसरा गांव है। इस कारण बड़ा पैसा खर्च होता है। इसलिये यह बहुत बड़ी समस्या राजस्थान सरकार के सामने है। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार की मदद से हम आने वाले एक–दो सालों में इस समस्या पर काबू पा सकेंगे। जो इस वर्ष सरकार ने काम किया है वह सराहनीय है। यही नहीं, बड़े बड़े शहरों बीकानेर, जोधपुर, कोटा और जयपुर में जो अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं उनके माध्यम से पेयजल की उपलब्धि कराई है और करीब 18 करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च किया जा रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जयपुर के लिए कितना बनाया है ?

श्री हरिसिंह : बीकानेर, जोधपुर, कोटा और जयपुर इन सबके लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी है और 18.5 करोड़ का प्रावधान है। जयपुर तो राजस्थान में सबसे भाग्यशाली शहर है। इसमें जितना पैसा लगाया है, पूरा पैसा मिलता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री हरिसिंह : इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जयपुर के हित राजस्थान में पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। वर्तमान सरकार के अन्तर्गत जयपुर तो फलेगा फूलेगा, इससे आप निश्चिन्त रहिये। मैं, सभापति महोदय···

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जयपुर का पानी हड़पेंगे।

श्री हरिसिंह : हमारा जो दूसरा कार्यक्रम है, हमने यह भी वायदा किया जनता

(श्री हरिसिंह)

के सामने कि हम हर गरीब व्यक्ति के लिए गांवों के अन्दर मकान, आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यदि इतना नहीं कर सके तो कम से कम हर व्यक्ति, जिसको कि आवश्यकता है, को भू-खण्ड अवश्य उपलब्ध कराएंगे। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने इस वर्ष कार्य किया है, जो हमारे लक्ष्य निर्धारित हुए थे, 50 हजार व्यक्तियों को भू-खण्ड उपलब्ध कराने के उससे कहीं अधिक सरकार भू-खण्ड उपलब्ध करा सकी है। अभी तक 90 हजार लोगों को भू-खण्ड आवंटित कराये जा चुके हैं। इस प्रकार से जहां तक भू-खण्ड आवंटित करने का सवाल है, मकान बनाने के लिए प्लाट देने का सवाल है, उसमें जो हमारे अचीवमेन्ट्स हैं वह 183 पर्सेन्ट हैं। अब सरकार ने अपना लक्ष्य और बढ़ा लिया है, 50 हजार के लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख भू-खण्ड आवंटित करना चाहती है। जैसा कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है, उन्हें आशा है इस बात की कि इस वर्ष के अन्दर एक लाख लोगों के लिए भू-खण्ड उपलब्ध करा सकेंगे।

सभापति महोदया, एक और दूसरा कार्यक्रम है उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, वह है गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम। जयपुर जैसे बड़े शहर के अन्दर, और भी बड़े शहरों के अन्दर बहुत सी ऐसी बस्तियां बन गयी थीं जिनमें कि न पानी की, न बिजली की और न सफाई की सुविधा थी, इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थीं। सभापति महोदया, उस कार्यक्रम को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया है। जो कि हमारा 20 पाइन्ट प्रोग्राम का आइटम नम्बर 10 है, इसमें हमारा लक्ष्य था, सभापति महोदया, 35,500 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का, इन लोगों की बस्ती में सफाई की, बिजली की, पानी की, सड़क की सब सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा लक्ष्य था। हमें यह कहने में, इस बात के लिये सरकार की सराहना करने में कोई संकोच नहीं कि 35,500 व्यक्तियों के टार्गेट के अगेन्स्ट में सरकार ने अब तक 40 हजार लोगों को इस प्रोग्राम में लाभान्वित किया है। इस सम्बन्ध में हमारा जो अचीवमेन्ट है वह भी 134.7 पर्सेन्ट है। इन सभी तीनों कार्यक्रमों में प्लानिंग कमीशन ने राजस्थान सरकार द्वारा किये गये कामों की सराहना की है।

इसके अलावा और जो एक मुख्य कार्यक्रम है, वह है वृक्षारोपण का कार्यक्रम। हमारे देश के अन्दर एक समय ऐसा आया कि वृक्षों पर ध्यान बहुत कम गया, वृक्ष बहुत बेरहमी के साथ और बहुत बुरी तरह से काटे गये। नतीजा यह हुआ कि पर्यावरण के अन्दर दिक्कतें पेश आने लगीं, जलवायु बिगड़ने लगी, वर्षा में कमी आने लगी, हवा दूषित होने लगी और वृक्ष के लाभ होते हैं, उनसे देश और प्रदेश महरूम होने लगे। सरकार ने इस पर अधिक ध्यान दिया। उसने एक कार्यक्रम के रूप में, एक अभियान के रूप में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर एक सूत्र बनाकर इस पर ध्यान देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। राजस्थान सरकार के लिए इसमें जो लक्ष्य दिये थे, वह थे, सभापति महोदया, 3.5 करोड़ वृक्ष लगाने के। मैं आपको यह निवेदन करूं कि 3.5 करोड़ वृक्ष लगाने के जो लक्ष्य थे, वह कभी के पूरे कर दिये गये, उससे आगे चले

(श्री हरिसिंह)

गये। राजस्थान के अन्दर 4.15 करोड़ वृक्ष लगे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां): आंकड़ों में लगे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह: यह तो वह भी जानते हैं और मानते हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल: आपने फिजीकल वेरीफिकेशन किया है कि गांवों में कितने पौधे जिन्दा हैं। आप जवाब दीजिए, एक भी...

एक माननीय सदस्य: माननीय सदस्य उत्तेजित क्यों हो रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्री महोदय आपस में बात नहीं करें। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें।

श्री हरिसिंह: सभापति महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो सरकार के सामने लक्ष्य थे, उनको पूरा किया। इतना अवश्य है कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो सड़क के दोनों किनारों पर आपको वृक्ष लगे हुए मिलेंगे। हमारे मन्त्री महोदय ने अब की बार और दूसरा अभिनव कार्यक्रम वृक्षारोपण के सम्बन्ध में चलाया। उन्होंने हवाई जहाज के माध्यम से चम्बल जैसे रिवाइन जहां आदमी जाकर पेड़ लगा नहीं सकता, बीज लगा नहीं सकता, पौधों की रक्षा कर नहीं सकता, वृक्ष आगे बढ़ नहीं सकता, के अन्दर उस कार्यक्रम को हाथ में लिया और हवाई जहाज के माध्यम से बीज बिखेरकर चम्बल रिवाइन के अन्दर 1701 हैक्टेयर भूमि के अन्दर यह कार्यक्रम अपने हाथ में लिया और उसको पूरा किया।

इसके साथ साथ, सभापति महोदया, सरकार ने एक और कार्यक्रम हाथ में ले रखा है जिसको हम वानिकी कार्यक्रम के नाम से पुकारते हैं। गांवों के अन्दर ऐसे वृक्ष लगाना जो कि ईंधन का काम भी दें और चराई के काम भी आयें। इस सिलसिले के अन्दर सरकार ने ध्यान देकर योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को किया है। पिछले वर्ष तक 8 जिलों के अन्दर यह कार्यक्रम चलता था, इस वर्ष दो जिलों को और बढ़ाकर 10 जिलों में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। उन गांवों को इस कार्यक्रम से बड़ी राहत मिलती है। आपने देखा होगा कि जो निर्धन व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी रोटी बनाने के लिए, अपने अन्य कामों के लिए लकड़ी और ईंधन उपलब्ध नहीं होता, उन लोगों के लिए इस कार्यक्रम से ईंधन की उपलब्धता होती है, यह कार्यक्रम उन गरीबों का साथ देगा जो कि लकड़ी भी बाजार से खरीद नहीं सकते। दो जिले इस कार्यक्रम के अन्दर और बढ़ाकर सरकार ने अपने हाथ में यह कार्य लिया है और इसमें जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारी उपलब्धि 103 पर्सेन्ट हो चुकी है।

श्री यदुनाथ सिंह: यह अच्छी बात है।

श्री हरिसिंह: सुन्दर कार्यक्रम है और इसकी सराहना हमको, आपको और सबको करनी चाहिए।

(श्री हरिसिंह)

मैं इसके अतिरिक्त आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारी सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की तरफ। जैसा कि सभी जानते हैं, आज बेरोजगारी आबादी के साथ साथ बढ़ रही है और इस कदर बढ़ रही है कि उसका हल सरकारी नौकरियों से निकल नहीं सकता। इण्डस्ट्रीज जो आज हैं, उसमें भी सभी लोगों को खपाया नहीं जा सकता। सभी लोगों को रोजगार दिया नहीं जा सकता, तो सवाल यह पैदा होता है कि ग्रामों के अन्दर किस प्रकार से हर व्यक्ति को रोजगार मिले। हमने तो यह वायदा किया है कि हर परिवार, जिसमें आवश्यकता है, के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करा सकें...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : तो इस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। इसके तहत इस वर्ष सरकार के जो लक्ष्य थे 28.93 लाख कार्य दिवस के रोजगार उपलब्ध कराने के, उस सिलसिले में सरकार ने 40 लाख कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध कराया है। इस प्रोग्राम में भी राजस्थान सरकार और प्रान्तों के मुकाबले में बहुत अग्रणी है। इस कार्यक्रम में केवल रोजगार उपलब्ध कराये, लोगों को रोजी रोटी दी इतना ही नहीं बल्कि इसमें कुछ रचनात्मक कार्य भी किये गये हैं। जिन लोगों को इसमें रोजगार दिया गया है, माननीय सभापति महोदया, उन्होंने इस कार्यक्रम के अन्दर राजस्थान में 237 स्कूल भवनों का निर्माण किया है, 52 पंचायत भवनों का निर्माण किया है और 19 डिस्पेंसरीज के भवन बने हैं। कितना सार्थक कार्यक्रम सरकार का यह रहा है। एक तरफ उन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, दूसरी तरफ जहां स्कूल भवन नहीं बन पा रहे थे, जहां पर पंचायत भवन नहीं बन पा रहे थे, जिनके लिए पैसा नहीं था, वहां भवन बना दिए। ग्रामीणों के उत्थान कार्यक्रम में यह योजना सार्थक सिद्ध हुई है।

इसके अतिरिक्त, माननीय सभापति महोदया, सरकार का एक और सुन्दर कार्यक्रम है, जो बीस सूत्री कार्यक्रम का ही अंग है, वह है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसमें जैसा कि मैं आपको निवेदन कर रहा था, लक्ष्य हमारा यह है कि ग्रामों के अन्दर जो भी व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको चिन्हित किया जावे, उनकी सूची बनाई जावे और फिर इस बात का प्रयास किया जावे कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिये उपयुक्त है, किस व्यक्ति को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा सकती है, किस प्रकार से वह स्वयं अपना नियोजन कर सकता है, किस प्रकार से वह स्वयं अपना धन्धा कर सकता है। इस बात का प्रयास हुआ उसमें एक लाख इकतालीस हजार परिवारों की सूची बनी जिनको रोजगार उपलब्ध करवाना था, जिनको इस बात के लिए प्रेरित करना था कि वह कहीं से ऋण उपलब्ध करके या अन्य प्रकार से स्वयं रोजगार को चला सकें। इस सम्बन्ध में सरकार के सामने 1 लाख 41 हजार व्यक्तियों को रोजगार देने का, स्वयं उनको स्थापित करने की प्रेरणा देने का कार्यक्रम था। माननीय सभापति महोदया, उसमें भी अभी तक एक लाख नौ हजार परिवार सरकार ने लाभान्वित किए

(श्री हरिसिंह)

हैं। इस प्रकार हमें पूरी आशा है कि इस वर्ष में हमारा जो लक्ष्य है उसको पूर्ण-रूपेण पूरा कर लेंगे। उसमें ध्यान यह भी रखा गया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं उनको अधिक लाभ पहुंचाया जावे। । इसमें अनुसूचित जाति के जो परिवार हैं उनकी संख्या 40 हजार है और जो अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं उनकी संख्या 17 हजार है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 53 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो उन व्यक्तियों, जो पिछड़े से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, के लिए है। उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, माननीय सभापति महोदया, जो कार्य किया है, उसके लिए भी मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूं। यह कार्यक्रम जितना आगे बढ़े, उसको जितना अधिक पैसा दिया जावे उतना ही सुन्दर रहेगा। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से और अधिक धन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं कुछ सिंचाई के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं। वैसे राजस्थान सिंचाई के सम्बन्ध में पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यह एक भौगोलिक मजबूरी है इस प्रदेश की। यहां पर कोई भी नदी, सिवाय चम्बल के, ऐसी नहीं है जिसको कि पेरीनियल कह सकें, जो निरन्तर बहती रहे। राजस्थान में जितनी भी पानी की उपलब्धता है, वह सतही पानी की उपलब्धता है, जैसा कि आंकड़े बताते हैं, 41 लाख 20 हजार घन फीट की उपलब्धता है इसमें से हम 16 लाख 96 हजार घन फीट पानी का उपयोग करते हैं। बहुत पुराने बंधे बने हुए हैं। कुछ बन्धों के पानी का उपयोग सिचाई विभाग के माध्यम से करते हैं, कुछ नहरें हैं, उनके द्वारा पानी का उपयोग करते हैं। सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश की; प्रयास किया कि ऐसी क्या दिक्कत है कि बांधों के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, जो कि नहरें हैं उनके पानी का उपयोग नहीं कर पाते। इस वर्ष मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सरकार ने इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिया और यू.एस.सी. के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक खोज इस सम्बन्ध में की गई और उन दिक्कतों को उन रुकावटों को, उन अवरोधों को चिन्हित किया गया जिनकी वजह से पानी की उपलब्धता जितनी होनी चाहिये, जितना पानी का उपयोग होना चाहिये उतना हो नहीं पाता। ऐसा कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। मैं, माननीय सभापति महोदया, एक और इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस वर्ष जब 31 तारीख को, 31-12-81 को रावी और व्यास का समझौता हो गया था, उसके बाद में ध्यान दिया गंगनहर की तरफ, ध्यान दिया बीकानेर नहर की तरफ। गंग-नहर बहुत पुरानी नहर है। उसकी हालत कोई विशेष, बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी मरम्मत की काफी आवश्यकता थी। सरकार ने गंगनहर फीडर के निर्माण और गंग-नहर की मरम्मत का निर्णय लिया और उसके लिये 12 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। जहां तक प्रश्न बीकानेर नहर की मरम्मत करने, नहर के आधुनिकीकरण के कार्य का है, उसकी, माननीय सभापति

(श्री हरि सिंह)

महोदया, कुल लागत 87.5 करोड़ होगी ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य । माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

माननीय सदस्य, निवेदन यह करना है कि आपस में आप लोग बात करें तो इतना धीरे करें कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनको डिस्टरबेन्स नहीं हो ।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : तो मैं, माननीय सभापति महोदया, निवेदन कर रहा था कि 31-12-81 को समझौता हुआ रावी और व्यास के पानी के सम्बन्ध में और उसमें राजस्थान के लिये 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी दिया जाना निश्चित हुआ । मैं इस सदन में विशेष चर्चा के रूप में तो नहीं लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो दबाव डाला जा रहा है केन्द्र के ऊपर पंजाब की तरफ से, अकालियों की तरफ से, उसमें हमारी सरकार, और सरकार ही क्यों इस सदन के सभी दल और सभी दल ही क्यों, राजस्थान की पूरी जनता जागरूक है, वह इस बात के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है कि किसी भी प्रकार हमारा जो हिस्सा है रावी और व्यास के पानी में 8.6 मिलियन एकड़ फीट का, उस पर कोई आंच नहीं आवे । जो अपना मत है, राजस्थान का जो मत है, जो हमारे विपक्ष के नेताओं ने भी मिल कर स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी प्रकार से इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे कि जो समझौता हुआ है उसको पुनः खोला जावे, उस पर पुनः विचार किया जाय । यह मत हमारे मुख्य मंत्री ने कई बार केन्द्रीय सरकार के सामने रखा है । मैं फिर यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का हित सुरक्षित करने के लिये हमें इस सम्बन्ध में एक मत होकर के दृढ़ता के साथ में अपनी बात रखनी चाहिये और किसी भी हालत में जो समझौता हुआ है उसके पुनरावलोकन के लिये कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिये । सिंचाई के सम्बन्ध में, माननीय सभापति महोदया, जहां तक राजस्थान नहर का सवाल है, मुझे कोई अधिक ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं, अधिक विस्तार से चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी है कि इस साल में कहां कहां कितने मील पक्की नहर बनाने का सरकार प्रयास कर रही है, कहां कितने ग्रामों में पानी पहुंचाने का प्रश्न है, क्या उपलब्धियां हैं । मैं एक ही बात इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत विशाल कार्यक्रम राजस्थान सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है । विश्व की महानतम सिंचाई योजनाओं में से एक योजना यह है । इसको पूरा करने के बारे में जैसा हम सोचते थे कि हमें सीमेंट, कोयला नहीं मिलने के कारण से सम्भवतः छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर इसे पूरा नहीं कर पायेंगे, शायद सप्तम पंचवर्षीय योजना में हमारा यह प्रोजेक्ट जायेगा । लेकिन बड़ी खुशी की बात है, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है, हम इस योजना को, राजस्थान नहर को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर ही करीब-करीब पूरा कर लेंगे । केन्द्र से इसके लिए हमें अधिक

(श्री हरिसिंह)

सहायता मिल रही है। इस वर्ष 1983-84 में कुल मिला करके सम्भवत: पचास करोड़ रुपया उस पर व्यय होगा। यह इतना बड़ा प्रोजेक्ट छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार पूरा कर पायेगी जिससे कि राजस्थान का जो हिस्सा जो डेजर्ट है, जहां कुछ पैदा नहीं होता, जहां पानी पीने तक के लिए नहीं मिलता है, उसके हालात बदल जायेंगे। यह ग्रेनरी के रूप में परिवर्तित हो जावेगा। यह सब करने के लिए सरकार ने एक अलग से मंत्रालय कायम किया। राजस्थान नहर का काम अलग से वरिष्ठ मंत्री का सौंपा गया जो कि इस कार्यक्रम पर अपना पूरा ध्यान दे करके इसको पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं।

इरिगेशन के सिलसिले में, माननीय सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान जो योजना अभी स्वीकृत हुई है, जो अभी पूर्ण होने जा रही है, उसकी ओर दिलाना चाहूंगा। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के सहयोग से निर्माणाधीन है, जून सन् 1983 में इसके बांध का निर्माण पूरा होने जा रहा है जिससे 1983 में 24,900 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा बढ़ा सकेंगे।

किसान के लिये सिंचाई के अतिरिक्त, सभापति महोदया, बिजली की बहुत आवश्यकता होती है। जहां तक बिजली का प्रश्न है, राजस्थान बिजली के मामले में सैल्फ सफिसियेंट नहीं है। उसकी स्वयं की दिक्कतें हैं। जो बिजली उत्पादन केन्द्र हैं वह हमारे राजस्थान से बाहर हैं। कोई 180 लाख यूनिट की राजस्थान को आवश्यकता होती है इतनी हम पैदा नहीं कर पाते हैं। अब की आर.ए.पी.पी. की यूनिट्स बन्द हुई और जो चम्बल परियोजना में पानी की कमी रही, मध्य प्रदेश से मिलने वाली बिजली की भी कमी रही। इस सम्बन्ध में कोशिश की सरकार ने कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश के सिंगरोली से, उत्तर प्रदेश के बदरपुर पावर स्टेशन से बिजली ले सकें। हमारे ऊर्जा मंत्रीजी ने केन्द्रीय सरकार से, प्रधान मंत्री से एक नहीं अनेकों बार सम्पर्क साधे। उन्होंने इस कठिनाई को, राजस्थान के किसानों की कठिनाई को उनके सामने रखा। राजस्थान में बिजली की कमी को दूर करने के लिये जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, जैसी मैं आशा करता हूं, जैसा कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से होना चाहिये, अभी कुछ और बिजली देने का आश्वासन दिया गया है। बिजली मिलना किसानों के लिये नितान्त आवश्यक बात है। बिजली की जितनी आवश्यकता है उसकी तुलना में छः घण्टे, सात घण्टे, आठ घण्टे हम दे नहीं पा रहे हैं। बिजली सिंचाई के लिये आवश्यक है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले बीस-पच्चीस-तीस दिन में चाहे अन्य लोगों को बिजली हम नहीं दे सकें, अन्य उद्योगों में बिजली की कटौती करनी पड़े लेकिन आवश्यक यह है कि किसानों को 20-25 दिन, एक महीने तक पूरी बिजली मिलनी चाहिये।

सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर जैसा ध्यान देना चाहिये वैसा ध्यान दिया है। जो हमारा लक्ष्य था 1981–82 में 1500 गांवों को विद्युतीकृत करने का, उस लक्ष्य के मुकाबले 1522 गांवों को बिजली दी। 25 हजार कुओं को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य था उसमें से 26,143 गांवों को

(श्री हरिसिंह)

हमने बिजली दी। लेकिन विद्युत की पूर्ति हो नहीं रही, विद्युत का जनरेशन बढ़ नहीं रहा और हम अधिक गांवों में बिजली और पहुंचाते जा रहे हैं, अधिक कुओं पर बिजली और ले जाते रहे हैं, उनको इस छोटी उपलब्धता में हमें पूरा करना पड़ेगा। सरकार ने कुओं और गांवों को बिजली देने का लक्ष्य रखा वह इसी नीयत से रखा। 1982-83 के अन्दर 1,068 गांवों को बिजली देने के लिये और 10,000 कुओं को बिजली देने का लक्ष्य रखा गया किन्तु अभी तक इसमें 50 प्रतिशत पूरे हुए हैं। उम्मीद है कि सरकार यह लक्ष्य पूरा कर लेगी। जहां तक बिजली की कमी को पूरा करने और बिजली उत्पादन को बढ़ाने का प्रश्न है, सरकार इस सम्बन्ध में, जैसा कि महामहिम ने अपने अभिभाषण में कहा है, पूर्ण रूप से सचेष्ट है। इस बात का प्रयास कर रही है, आने वाली योजना बिजली की है, वह जल्दी से आये, उसमें बिजली का उत्पादन शुरू हो। जैसा कि महामहिम ने अपने अभिभाषण में बताया है, बीकानेर के अन्दर लिग्नाइट के आधार पर विद्युत पैदा करने की योजना, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है केन्द्रीय सरकार से और सैन्ट्रल बिजली आथोरिटी से, को स्थापित करने का प्रयास भी चल रहा है। उसमें 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा।

एक माननीय सदस्य : क्या होगा इससे?

श्री हरिसिंह : ठीक है, बहुत कम है 120 मेगावाट।

इसके अतिरिक्त माही पन विद्युत परियोजना, जो अगले साल तक, मैं समझता हूं शुरू हो जायगी, में 140 मेगावाट बिजली पैदा होने की बात है। कोटा के अन्दर जो हमारी प्रथम इकाई शुरू होने जा रही है उसमें जो 52 लाख यूनिट...

श्री यदुनाथ सिंह : हो रही है क्या, साहब?

श्री हरिसिंह : शुरू होने जा रही है। यह तो प्रयास की बात है। आप भी राज के अन्दर थे तो आपने भी प्रयास किया था बिजली उत्पादन करने का।

श्री यदुनाथ सिंह : उत्पादन बढ़ाया था।

(व्यवधान)

मांग और पूर्ति के बीच जो गैप आज है वह नहीं था।

श्री हरिसिंह : यही मैं कहना चाह रहा था। गैप तो इसलिए है आवश्यकता बढ़ गई है। अधिक कुओं पर बिजली दे रहे हैं। अधिक ग्रामों में बिजली दे रहे हैं। आप अगर बिजली की उत्पादकता हमारे लिए काफी छोड़ जाते तो आज यह दिक्कत नहीं होती।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आपको क्या मालूम, गैप था या नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : 25 हजार कुओं में से 10 हजार कुओं को बिजली दे रहे हैं। टार्गेट पूरा कहां कर रहे हैं। आप बिजली कहां दे रहे हैं। जो फिफ्थ प्लान में 25 हजार कुओं को देने का लक्ष्य था पिछले वर्ष

(श्री यदुनाथ सिंह)
में उसमें से आपने 10 हजार कुएं विद्युतीकृत कर दिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी योजनायें व्यावहारिक हैं। इन्होंने सब गड़बड़ करके ऐसा घोटाला किया, बिजली तो दी नहीं, 30-30 हजार कुओं को कनेक्शन देते चले गये। जानते थे कि राज तो जाना है, जाते-जाते कर जाओ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आपकी योजनायें व्यावहारिक हैं तो ढाणियों में पीने का पानी क्यों नहीं देते हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो अभी अभिभाषण पर बात हो रही है। रेवेन्यू जिले कई बचे हुए हैं, पहले वह होंगे। बाद में ढाणियों की बारी आयेगी।

श्री महाराम चौधरी : रेवेन्यू जिले तो हैं ही। वह इसी क्रम में आते हैं। रेवेन्यू जिले के गांवों की आपकी आबादी पांच प्रतिशत ही नहीं है, आदमी तो सब ढाणियों में रहते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदया, मैंने आपको बिजली के सम्बन्ध में निवेदन किया।

हमारे दूसरे और विशेष महत्व के कार्यक्रम भी हैं, जिस प्रकार से उस वर्ग, जो सबसे नीचे दबा हुआ है, जिसे हम हरिजन के नाम से पुकारते हैं, भंगी के नाम से पुकारते हैं, को उठाने के लिए उसके उत्थान के लिए सरकार ने इस वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण काम किये हैं। सन् 1982 में 39 भंगी कष्ट मुक्ति छात्रावास शुरू किये गये हैं। उसके अन्दर यह प्रयास किया जाता है, यह प्रावधान किया जाता है, जो भी बच्चा भंगी का, हरिजन का, वहां रहेगा उसके खाने का, उसके पीने का, उसके कपड़े का, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इस प्रकार से राजस्थान में इस समय 39 छात्रावासों के अन्दर 900 छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। यह कार्यक्रम सन् 1982 में सरकार ने लिया।

श्री यदुनाथ सिंह : लाखों में से 900।

श्री हरिसिंह : इस बात का प्रयास किया जो कमजोर विद्यार्थी हैं, दर्जा एक से लेकर दर्जा तीन तक पढ़ते हैं, उनके मां-बाप उन्हें स्कूलों से पीछे ले लेते हैं, उनको पढ़ा नहीं पाते हैं, उनके लिये सरकार ने कार्यक्रम हाथ में लिया है। ऐसे 3,32,000 बच्चों के लिये मुफ्त पुस्तकें, और पोशाक सरकार ने उपलब्ध कराई हैं। 1982-83 में ऐसे 1,02,500 अनुसूचित जाति के परिवारों को चयनित किया गया है, जिन्हें इस प्रकार सुविधा सरकार उपलब्ध करायेगी।

माननीय सभापति महोदया, ट्राइसम योजना सरकार की चल रही है, उस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ट्राइसम योजना, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उन युवकों के लिए है जो और किसी इण्डस्ट्री में या सरकारी नौकरी में जा नहीं पाये हैं या जाना नहीं चाहते हैं, जो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं उनके लिये इस प्रकार की योजना है। उनसे पूछकर कि वह किस प्रकार का कार्य स्वयं करना चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। हर पंचायत समिति के अन्दर व्यक्तियों को

(श्री हरिसिंह)

चयनित करके ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के पश्चात् जिस पर्पज से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, जिस काम के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसको स्थापित करने के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 1981-82 में इस प्रकार के 31,395 नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया था उनमें से 16,060 नवयुवकों के लिये रोजगार सरकार ने उपलब्ध कराया है।

मैं, माननीय सभापति महोदया, सरकार की दूसरी ओर उपलब्धि है, किसानों के लिये कृषि उपज मण्डी के माध्यम से राहत पहुंचाने की, उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सरकार ने उन गांवों, जो सड़क से जुड़े हुए नहीं है, को सड़क से जोड़ने का प्रयास इस वर्ष किया है। मैं निवेदन कर सकता हूं, आंकड़ों के आधार पर इस वर्ष सरकार ने 250 किलोमीटर सड़कें, जिन पर चार करोड़ रुपये की लागत आई है, उन गांवों को जोड़ने के लिए बनाई हैं जो कृषि उपज मण्डी से दूर थे। उन किसानों को लाभान्वित करने के लिये बनाई है जो अपनी फसल मण्डियों में ला नहीं पाते थे। यह सरकार की उपलब्धि है जो हमें नोटिस करने के लायक है। यही नहीं, सरकार ने इस वर्ष में कृषि उपज मंडियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है। इस वर्ष 7 और मंडियां स्थापित करने की संभावना है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही उनकी स्थापना होगी।

इसके साथ साथ सरकार ने यह भी प्रयास किया है कि किस प्रकार से भंडारण व्यवस्था की कैपेसिटी को बढ़ाया जाय। ग्रामीण किसान जब मंडी में आता है, उसकी फसल बिकती नहीं, वापस ले जा नहीं सकता उसको आढ़तियों के पास फसल को रखना पड़ता है। इस कारण फसल की बरबादी होती है। तो किस प्रकार से स्टोरेज की फेसिलिटी प्रदान करें, इस ओर सरकार ने ध्यान दिया है। इसके लिये सरकार ने सहकारी गोदाम निर्माण की परियोजना योरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से अपने हाथ में ली है।

श्री महाराम चौधरी : जो गोदाम बने थे वह तो गिर गये। ऐसा मैटीरियल लगाया 50 प्र.श. पैसा खा गये और गोदाम घुड़ले जैसे हो गये।

श्री हरिसिंह : इसीलिये तो मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार ने बहुत अच्छी योजना योरोपीय सहयोग के माध्यम से अपने हाथ में ली है।

श्री यदुनाथ सिंह: जब कृषि उत्पादन ही 13 लाख टन घट गया तो गोदामों की क्या आवश्यकता है ? किसान रखेगा क्या ?

श्री हरिसिंह : आप क्या नहीं चाहते कि किसानों को स्टोरेज की फेसिलिटी प्रोवाइड की जाय ?

श्री यदुनाथ सिंह : जब मां है ही नहीं तो बेटा कहां से आयेगा ?

श्री हरिसिंह : यह तो इस साल का प्रश्न अकाल की वजह से। यह तो मैंने शुरू में ही निवेदन किया • •

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री हरिसिंह : सरकार ने अकाल में क्या क्या कार्यक्रम हाथ में लिये हैं उस पर मैं बाद में निवेदन करूंगा। अभी तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक भण्डार व्यवस्था का प्रश्न है, इस संबंध में 3,521 गोदाम निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये धन की समुचित व्यवस्था है। करीब 1 हजार गोदाम गत वर्ष बने थे और एक हजार इस वर्ष बनने का लक्ष्य है।

श्रीमन्, जहां तक राजस्थान में औद्योगीकरण का प्रश्न है, इस क्षेत्र में भी इस वर्ष में ऐसी सफलताएं मिली हैं जिनके लिये सरकार को धन्यवाद दिया जा सकता है। सिरोही में इस वर्ष एक नई टैक्सटाइल यूनिट कायम हुई जिसने उत्पादन करना शुरू किया है। इसके साथ-साथ सिरोही में एक सीमेंट का कारखाना इस साल स्थापित हुआ जिसने लेटेस्ट टैक्नालॉजी के साथ काम करना शुरू किया। इसके साथ अलवर में अशोक ले-लैंड फैक्ट्री ने इस वर्ष उत्पादन शुरू किया है। भारत सरकार ने इस वर्ष राजस्थान में 37 आशय पत्र, 12 औद्योगिक अनुज्ञप्तियां और 3 नई टैक्सटाइल मिल लगाने के परमिट स्वीकृत किये हैं। सवाई माधोपुर में खाद का वृहद् कारखाना स्वीकृत हुआ है। उसके लिए जगह भी निश्चित कर दी गई है। यह कारखाना सवाई माधोपुर के पास स्थापित होकर वहां के क्षेत्र की उन्नति में सहयोग प्रदान करेगा।

खनिजों के सम्बन्ध में, सभापति महोदया, राजस्थान के राज्य खनिज विकास निगम ने अपने कार्य में प्रगति की है। अब तक 132 खनन परियोजनाओं पर काम किया जाता था, अब उसको बढ़ा कर उन्होंने 1981–82 की तुलना में दुगुना कर दिया है।

इसके साथ-साथ हम लोकतंत्र के विकेन्द्रीकरण पर भी पूरा पूरा ध्यान रख कर इसको अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। पिछले वर्ष में सरकार ने जितनी पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें थीं उनके चुनाव कराये और उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए हर पंचायत समिति के लिए दो लाख रुपये की फ्री ग्रान्ट राजस्थान सरकार ने उपलब्ध कराई है। मैं समझता हूं, इससे पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होकर यह अच्छा काम करने की ओर अग्रसर हो सकेंगी।

जहां तक चिकित्सा सेवाओं का प्रश्न है, हमारे चिकित्सा मंत्री जो विराज रहे हैं...

श्री यदुनाथ सिंह : चिकित्सा मंत्रीजी ध्यान दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : आप तो अपने भरतपुर का पूछ लें, कितनी डिस्पेंसरियां बन्द हैं।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्पेंसरियों की संख्या राजस्थान में कम है, वह बढ़ाई जाय। लेकिन जो काम किया है उसकी सराहना करनी चाहिये। कितना आगे बढ़े हैं, कितना बढ़ना है उसका और प्रयास करना चाहिये। यह हमारा लक्ष्य होना चाहिये। तो आपने इस वर्ष में सात प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 30 रोगी शैयाओं वाले प्राथमिक

• (श्री हरिसिंह)

स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया है। 250 नये उप केन्द्र राजस्थान में स्थापित किये हैं और 25 चिकित्सालयों को सहायक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है। यह उपलब्धियां हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : स्टाफ किसी में नहीं है। बिल्डिंग से रेफरल हास्पिटल चलता है क्या ?

श्री खेतसिंह राठोड़ : यह सारा जवाब साथ में देंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह : अब आपके सामने बहुत ही महत्व का कार्यक्रम परिवार नियोजन का कार्यक्रम है। उसमें आपके जो लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। एक लाख 10 हजार के करीब आपरेशन आपने इस वर्ष कराये और जितने और होने चाहिये उसके लिये आप कोशिश कर रहे हैं। नई लेप्रोस्कोपिक टेक्निक से आप इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाहते हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस ओर राज्य सरकार ध्यान दे रही है। और भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का प्रश्न है, मैं समझता हूं, इस वर्ष शिक्षा जगत में आशातीत सफलताएं सरकार ने हासिल की हैं। 232 प्राइमरी स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किया गया है। 212 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। 228 स्कूलों में नये विषय खोले गये हैं। इसके साथ आपने कोटा में नया इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया है।

श्री महाराम चौधरी : स्टाफ नहीं लगाया।

श्री खेतसिंह राठोड़ : स्टाफ लगाने के लिए शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन किया जायेगा अगर स्टाफ की कमी है तो।

श्री हरिसिंह : सरकार ने न केवल नया इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया है बल्कि और रीजनल इंजीनियरिंग कालेज थे उनमें हरेक में 60–60 सीटें बढ़ाई हैं। जयपुर में महिला पोलिटेक्निक स्थापित किया है। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी प्रगति की है जिसके लिये सरकार की सराहाना करना हमारा कर्त्तव्य है।

मैं एक और निवेदन करूंगा, सभापति महोदया, शिक्षा के क्षेत्र में नये विचार शिक्षा मंत्री महोदया देना चाहती हैं कि जब कोई भी विद्यार्थी स्कूलों से पढ़ कर निकले···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इशारे न करें। सदन के कुछ नियम होते हैं।

श्री हरिसिंह : उस समय वह प्रोफेशनली प्लान कर सके, किसी रोजगार की तलाश करना चाहे तो उसको रोजगार उपलब्ध हो सके एवं नियोजन स्वनियोजन कर सके, अपना धंधा स्थापित कर सके। इसके लिए उन्होंने एक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है कि जितने भी 10वीं क्लास के बच्चे है, उन सबसे इस बात की पहले से ही फार्म में जानकारी ली जाती है कि वह क्या काम करना चाहते हैं, अगले ही साल में, जो काम करना चाहते हैं, उसके सम्बन्ध में उन्हें

(श्री हरिसिंह)

लेक्चर्स की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे उनका मैन्टल एप्टीट्यूड बन सकें। यह कार्यक्रम सरकार अपने हाथ में ले रही है। यह एक सराहनीय कार्यक्रम है।

जहां तक प्रश्न है खेलकूद की तरफ सरकार का ध्यान देने का, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। यह प्रथम बार है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक अलग से विभाग कायम किया है, उसका चार्ज अलग से मंत्री महोदय को दिया है, इस समय वह इसकी देख-भाल करते हैं। सरकार ने एशियाड के सिलसिले में राजस्थान में जमवारामगढ़ में नौकायन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। बड़ा सफल आयोजन उसने इस सम्बन्ध में किया। इसकी सर्वत्र चर्चा हुई। इस फंक्शन का आयोजन भी उच्च स्तर का हुआ। एशियाड में जिन खिलाडियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त किए, उन्हें भी उचित रूप से सरकार ने पुरस्कार दिया है। इसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है।

जहां तक प्रश्न अकाल राहत, अकाल सहायता का है, जैसा कि मैंने निवेदन किया, इस साल 26 जिले, मैं तो 27 जिलों में मानकर चलता हूं लेकिन सरकार ने घोषित किया नहीं, 26 जिलों में 22,417 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। इसमें 1,61,227 मजदूर काम पर थे 16 फरवरी को आने वाले समय के भी लक्ष्य निर्धारित किये हैं। फरवरी में अधिकतम श्रमिक संख्या 3.16 लाख तक तय की गयी है। मार्च में भी वही रहेगी। ये इन्होंने अकाल के काम हाथ में लिए हैं, ले रखे हैं। यह बहुत भीषण समस्या है जिससे सरकार को जूझना पड़ रहा है, केन्द्र सरकार से भी निवेदन किया है लेकिन अभी तक उचित राशि की प्राप्ति की आवश्यकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : अकाल में भी तरक्की की है, इसके लिए धन्यवाद।

श्री हरिसिंह : धन्यवाद तो अपने आप को भी दो, यह तो ईश्वर की माया है, किसी को धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि किसी प्रकार दिक्कत से, परेशानी का मुकाबला किया जाये।

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ किया है। 1982-83 में दो हजार उचित मूल्य की दुकानें खोलकर उन बस्तियों, जहां पर सुविधा प्राप्त नहीं थीं, में सुविधा बढ़ायी है। मैं, माननीय सभापति महोदया, निवेदन यह करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर कि नदियों का पानी उपलब्ध नहीं होता, जहां पर और सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां पर केवल एक मात्र आशा यह है कि ट्यूब वेल खोद करके सम्भवतः पानी निकाल सकें। सरकार ने इस बात की कोशिश की है। सरकार एक भू-जल कार्पोरेशन की स्थापना करने जा रही है, लेकिन उसके सम्बन्ध में द्रुत गति से प्रगति करने की आवश्यकता है। कुछ जिले, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर, झुन्झुनू हैं जहां पर इस कार्पोरेशन को स्थापित करके ग्रामीण जनता को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने का वह एकमात्र माध्यम हो सकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह भू-जल कार्पोरेशन की स्थापना करने की बात सोच रही है, उसमें

(श्री हरिसिंह)

शीघ्रता लाई जाये, जल्दी ही कार्पोरेशन काम शुरू करे, ऐसा सरकार से निवेदन है।

दूसरा, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का, ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूलों का स्तर है, ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी मिडिल, हाई स्कूल शिक्षा का स्तर शहरी क्षेत्र के स्तर से बहुत नीचे है। इस स्तर में जो असामंजस्य बना हुआ है उसे दूर करने के लिए सरकार को कोई न कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के लड़के, जो कि ग्रामीण स्कूलों से पढ़कर निकलते हैं, शहरी क्षेत्रों के उन लड़कों के मुकाबले में प्रतियोगिता में टिक नहीं सकते हैं जो शहर में अच्छे पब्लिक स्कूलों से निकलकर आते हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अतिरिक्त, श्रीमान्, मैं यह भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को ग्रामीण कुटीर उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में कुछ इण्डस्ट्रीज में रोजगार लोगों को मिल जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य धंधा कृषि का है, वह भी अब इतना है नहीं क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। यह सम्भव नहीं है कि वे कृषि पर कायम रह सकें क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े, होल्डिंग हो गये हैं। कृषक परिवार गांवों के अन्दर ही रहें और जीवन स्तर को भी ठीक रखें, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि गांव में कुटीर उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देकर उनका प्रचार प्रसार किया जाये। गांव में नहीं तो पंचायत समिति स्तर पर इस प्रकार के ब्यूरो खोले जायें, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में हैं, जो ग्राम के लोगों के कैरियर के सम्बंध में प्रोफेशन के संबंध में उनकी मदद कर सकें, दिशा-निर्देश दे सकें।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं, सरकार राजस्थान के अन्दर स्टेट टैक्सटाइल कार्पोरेशन की स्थापना करे। इसकी बहुत आवश्यकता है।

एक मैं और निवेदन करना चाहता हूं सरकार से, हम राजस्व अभियान के अन्दर गये थे ग्रामों में, वहां एक दिक्कत सामने आयी थी कि जो लोग विकलांग हैं, उनको पेंशन देने का नियमों में प्रावधान है कि अगर किसी विकलांग का भाई है तो उसको पेंशन नहीं मिल सकती है। अगर कोई भाई है और भाई का जीवन यापन का साधन है तो उसको पेन्शन नहीं दी जा सकती है। आज कितने भाई अपने विकलांग भाइयों का पोषण कर सकते हैं महज इस नाते कि उसका भाई है। उस विकलांग का वह पोषण कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका ध्यान न रख कर उस विकलांग को पेन्शन से महरूम कर दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इस बात के लिए नियमों में शिथिलता दी जानी चाहिए। भाई-भाई को इस प्रकार से सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, वह बात दूसरी है, इस बात की बाधा नहीं होनी चाहिए। जो अफसर विशेष हैं, पेन्शन देता है उसका डिस्क्रिशन होना चाहिए कि भाई के होते हुए भी, मुनासिब समझे तो भाई के लिए पेन्शन दे सके।

मैं, माननीय सभापति महोदया, एक और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री हरिसिंह)
जैसा कि प्लानिंग कमीशन ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, जितने भी प्रोजेक्ट आज चल रहे हैं, उनको समय के अन्दर पूरा नहीं होने से दो नुकसान होते हैं, एक तो समय पर पूरा नहीं होने से जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रह जाते हैं दूसरे उनकी कास्ट बढ़ती है। समय में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोई भी आदमी इस बात का जिम्मेदार हो, जिसने कि लैप्सेज़ किए हों, उस लेप्स को दूर करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ···

श्री यदुनाथ सिंह : कोई मन्त्री नहीं सुन रहा है, सभापति महोदया, धन्यवाद प्रस्ताव रखा जा रहा है, रेलेवेन्ट बातें कही जा रही हैं, पूरा मन्त्रिमण्डल ही बात कर रहा है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : इस बजट के सम्बन्ध में ही चर्चा कर रहे हैं··

श्री यदुनाथ सिंह : यह कह रहे हैं, जो गलत कह रहे हैं···

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ···· इस पर अपनी राय देना चाहते हैं··

श्री सभापति : माननीय सदस्य अगर अपनी बारी में उसका समर्थन करें तो ठीक है। कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

माननीय मुख्य सचेतक जी, आप अपने दल का जरा ख्याल ···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें.

श्री हरिसिंह : माननीय सभापति महोदया, मैंने आपके समक्ष सरकार की उपलब्धियों और इस वर्ष के अन्दर उनके लेखे जोखों की चर्चा की। कुछ बातों की ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कुल मिला करके हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार ने जो सफलतायें और मंजिल प्राप्त की है वह सराहनीय हैं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय डा. हरिसिंह·

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदया, हमारी सरकार एक पॉलिटिकल पार्टी है। पालिटिकल पार्टी की सरकार का लेखा जोखा, उसका आइना आम आदमी, गरीब आदमी, गांव में रहने वाला किसान और मजदूर होता है। मैं आपको विश्वास से कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो बात कही है, उसमें यह बात शामिल है। प्रजातन्त्र का नाप-तोल वहां की पब्लिक उस पार्टी के कितने साथ है, इससे होता है। इस बात की पुष्टि के लिये मैं कहना चाहता हूं कि वर्षों से जो चुनाव नहीं हो रहे थे, पंचायतों के, पंचायत समितियों के, जिला परिषदों के, सहकारी

(डा. हरिसिंह)
समितियों के, नगर पालिकाओं के, सरकार ने जब से कार्यभार संभाला है वह सब चुनाव करवाये है। जहां चुनाव नहीं हुये वहां कानूनी अड़चन के कारण नहीं हुये, जैसे को-आपरेटिव सोसाइटीज, कुछ नगर पालिकाओं के, लेकिन हमारी सरकार इस बात के लिये कमिटेड है···

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : जयपुर में क्या कानूनी अड़चन है ?

डा. हरिसिंह : हमारी सरकार इस बात के लिये कमिटेड है कि जहां चुनाव होने बाकी रह गये हैं वहां निकट भविष्य में चुनाव करवा दिये जायेंगे।

सभापति महोदया, जैसा मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि आम आदमी क्या सोचता है ? उसको हमें ध्यान रखना है। इस देश में आजादी के पहले और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार, जिसका नेतृत्व प्रारम्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे और आज श्रीमती गांधी करती हैं···

(व्यवधान)

पार्टी में एक बात का ध्यान रखा कि जो सामाजिक इम्बेलेन्स, सोशल इकानामिक इम्बैलेन्स आजादी से पहले था उसको कैसे कम किया जाय। 8–10 साल से इसी प्रयत्न में यह पार्टी लगी हुई है···

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : पहले आप हमारे साथ थे।

डा. हरि सिंह : उसी अनुभव से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों का मैं बहुत बड़ा भुगतभोगी हूं। माननीय सभापति महोदया, कुछ दिनों मैं प्रतिक्रियावादी तत्वों के साथ रिएक्शनरी फोर्सेज के साथ रह गया। मेरे माननीय साथी, जो इधर बैठे हैं, को शायद यह मालूम नहीं है कि प्रतिक्रियावादी लोग जो समाज में इम्बैलेंस करने में भागीदार हैं वह कितने खतरनाक हैं। जब मुझे इस बात का पता लगा, मैं उनकी इस बात से मजबूर होकर उन लोगों से अलविदा हो गया। मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जाति भेद-भाव नहीं है, पॉलिसीज के डिफरेन्सेज हैं। उस वक्त भी खिलाफत करता था और आज भी जबर्दस्त...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपने सब्जेक्ट पर बोलिये। माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

डा. हरिसिंह : माननीय सभापति महोदया, मेरा और मेरी पार्टी का मानना है कि समाज का चहुंमुखी विकास हो, सामाजिक और आर्थिक . . .

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें.

डा. हरिसिंह : उनके लिये जो खास-खास चीजें जरूरी हैं और जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, चलाना चाहती है और चलायेगी उनके बारे में जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया

(डा. हरिसिंह)
है, मैं उनका एक-एक करके जिक्र आपके समक्ष करूंगा . . .

(व्यवधान)

डेयरी के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्वेत क्रान्ति राजस्थान में जितनी तेजी से हो रही है, प्रगति हो रही है उसके संबंध में तो राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसमें पढ़ा होगा। खास-खास करके जो कार्यक्रम हाथ में लिये गये हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। डेयरी डवलपमेन्ट सही मायने में अगर देखा जाय, तो दूध इकट्ठा करना ही नहीं होता है

(2.15 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

बल्कि उसका उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं को चिकित्सा का प्रावधान करना; पशुओं की बीमारी की समस्या को सुलझाना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। हमारी सरकार ने, आपने अभिभाषण में पढ़ा होगा, दूध को इकट्ठा करने के साथ-साथ पशुओं की नस्ल सुधारने में और उन्नत किस्म हाई ब्रीड . .

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : दूध का उत्पादन ज्यादा हुआ है या कम, यह बता सकते हैं क्या आप ?

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : यह क्या आप बता सकते हैं ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : गोटेवालाजी, यह आपका मामला नहीं है। मैं तो बता सकता हूं। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि डेयरी का उत्पादन कम हुआ या ज्यादा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे तब सुनना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुओं की चिकित्सा के बारे में जो व्यवस्था इस समय की जा रही वह उल्लेखनीय है। मसलन आज जो भी दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हैं अगर उनका पशु बीमार हो जाता है, तो बहुत कम पैसों में, 25 रुपये में 30 दिन तक उनको चिकित्सा सुविधा मिलती है। बाकी का खर्च डेयरी डवलपमेंट डिपार्टमेंट वहन करता है. . .

श्री महाराम चौधरी : बिना दवाइयों के. . .

(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : कितने रोगी पशु आ रहे हैं, बता सकते हैं क्या आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बाधा नहीं डालें।

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे, पंचायत समितियों को ब्रीड सुधारने के लिये पांच सौ रुपये में अच्छी किस्म के सांड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं, जो नस्ल सुधार में कारगर हो रहे हैं। मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुये हैं, बम्बई की आर्य दुग्ध समिति

(64)

(डा. हरिसिंह)
के पेटर्न पर एक्सपेरीमेंट बेसिस पर राजस्थान में भी कारगर हो तो लागू करनी चाहिये। वहां पर यह काफी सक्सेसफुल रही है . . .

श्री महाराम चौधरी : एक सांड कितने रुपये में आता है ? पांच सौ रुपयों में तो बकरी भी नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज !

डा. हरिसिंह : इसलिए तो सरकार यह सब कर रही है। बकरी की कीमत में सांड दिलवा रही है । वैसे साण्ड 10 हजार रुपये से कम का नहीं आता है। 9 हजार 500 सौ रुपये की सरकार सब्सिडी दे रही है, यह आपको मालूम होना चाहिये ।

तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, मैंने सुझाव दिया था कि बम्बई की आर्य दुग्ध समिति के पेटर्न पर सरकार को यहां भी कार्य करना चाहिए।

दूसरे, आनन्द डेयरी के बारे में मंत्री महोदय से मैंने बातचीत की थी, उन्होंने आनन्द डेयरी देखी है, वहां की व्यवस्था भी देखी है। आनन्द डेयरी जिस तरह से इस देश में सफलतापूर्ण कार्य कर रही है उसका भी अध्ययन करना चाहिए ताकि दूध उत्पादकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

दूसरे, इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फीड के बारे में सरकार क्या कर रही है ? अकाल राहत के अलावा भी सब्सिडाइज्ड फीड सरकार जो डेयरी सहकारी समितियों के मेम्बर हैं, उनको मुहैया करवा रही है। सस्ती रेट पर एक रुपये पर, बैलेंस्ड फीड, जो डेयरी डिपार्टमेन्ट अपनी फीड फैक्ट्री में पैदा करता है, इस समय 5 फैक्ट्रियां राजस्थान में काम कर रही हैं। यह सारा काम काफी हद तक पिछले 10 सालों में हुआ है। सबसे पहले राजस्थान में फैक्ट्री क्रय विक्रय संघ ने लगाई थी। डेयरी डवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस फैक्ट्री को 4–5 साल पहले लिया और 4 फैक्ट्रियां और खड़ी कीं। किसान के पशुओं के लिए फीड प्रोग्राम बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बगैर फीड के, ब्रीड के डेयरी डिपार्टमेंट अधूरा रहता है। सिर्फ पशु होना, गाय रखना ही काफी नहीं, गाय की नस्ल अच्छी हो, अच्छी तरह से चारा अनाज दिया जाये तभी वह दूध दे सकती है। जो तीन प्रोग्राम हैं नस्ल, फीड और ब्रीड, यह डेयरी डिपार्टमेंट अच्छी तरह से टेक-अप कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में अच्छे नतीजे आयेंगे। सरकार इसके लिए धन्यवाद की पात्र है।

(व्यवधान)

पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में महामहिम राज्यपाल ने इस भाषण में जो तारीफ की है सरकार की उपलब्धि की, वह सराहनीय है। 6 हजार गांवों को 1981 तक पानी और सन् 1981–82 में करीब 3 हजार गांवों को पानी और 1982–83 में चार हजार गांवों को पानी· ·

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : कागजों में।

डा. हरिसिंह : वास्तव में ये लक्ष्य हैं जिनमें से 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं और बाकी मार्च तक· ·

श्री रामकंवार बैरवा : इन योजनाओं से सिर्फ 15 प्रतिशत आबादी को पानी मिलता है।

डा. हरिसिंह : इस मामले में सुझाव देना चाहता हूं, मेरी मान्यता है कि डेजर्ट स्टेबलाइजेशन के लिए डेजर्ट में आदमी रहता है और उसकी केवल पशुधन ही सम्पत्ति है, उसके लिये खेती का महत्व इतना नहीं है। आदमी के खाने के लिए अनाज ट्रान्सपोर्ट हो सकता है। आदमियों की संख्या इतनी कम है कि 4-5 साल में एक दफा भी बरसात हो, अध्यक्ष महोदय, आप तो जानकार हैं तो अनाज की समस्या हल हो जाये। फोडर भी ट्रान्सपोर्ट किया जा सकता है लेकिन पानी की कमी के कारण वहां के पशुधन को माइग्रेट करना पड़ता है, आदमी को माइग्रेट करना पड़ता है। इसलिए कम से कम वहां पानी की व्यवस्था आदमी और पशु के लिए करनी चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि जितनी भी लिफ्ट कैनाल योजना राजस्थान कैनाल से लायी जायें वह इस जगह में पीने के पानी और पाश्चर लैण्ड डवलपमेन्ट के लिए लायी जानी चाहिए। क्योंकि चाहे डी. पी. ए. पी. में काम करेंगे या किसी और प्रोग्राम में काम करेंगे, जब तक आदमी और पशु का स्टेबलाइजेशन नहीं होगा तब तक उस इलाके की उन्नति नहीं होगी, पश्चिमी राजस्थान की नहीं होगी। इसके लिए मैं पशुपालन मंत्रीजी से जब मिला, बात हुई, तो उनके दिमाग में काफी अच्छा इसका आइडिया हैं, प्रोजेक्ट है। राजस्थान कैनाल के बायें किनारे पर जितना ज्यादा पाश्चर लैण्ड डवलप हो; इसके लिए सरकार ने निर्णय किया है कि हरा चारा पैदा करने के लिए पर एकड़ 265 रुपये किसान को अनुदान देती है। ऐसे काम और हों तो डेजर्ट स्टेबलाइजेशन में सहायता मिलेगी और डेजर्ट की इकानामी भी सुधरेगी।

अब मैं प्रशासन गांवों की ओर का जिक्र करना चाहूँगा; ग्राम गांव के आदमी, गरीब आदमी के पास 20 मील दूर जाने का किराया नहीं है। आदमी जायेगा तारीख पेशी पर, खड़ा होगा, उसके बाद में तारीख बदल जायेगी। तो बार बार जाना उसके लिए मुमकिन नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुमकिन नहीं है इसलिए सरकार ने प्रशासन गांव की ओर जाने का कार्यक्रम हाथ में लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासन गांवों में जाकर बैठ जाये, वहां जाकर ग्राम सभा करे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि ग्राम सभा बुलाई जाती है, ग्राम सभा के सामने फैसले होते हैं; अदालत में जब फैसले होते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, दलीलें, गवाही, कानून की आड़ में फैसले होते हैं, तर्क से फैसले होते हैं किन्तु प्रशासन गांव की ओर में जो फैसले किये हैं वह ग्राम सभा में बैठकर किये गये हैं, पंचायत में बैठकर किये गये हैं। उनमें निष्पक्ष फैसले हुए हैं। उन फैसलों के आंकड़े बहुत लम्बे चौड़े हैं लेकिन इतना काम निपटाया गया है कि रूटीन से 10 साल में भी नहीं हो सकता था..

एक माननीय सदस्य : प्रशासन गांव की ओर आपने भी अटैण्ड किया ?

डा. हरिसिंह : मैं तो गांव में ही रहता हूं, गांव में ही जनमा था...

एक माननीय सदस्य : आप बता सकते हैं होल्डिंग के बंटवारा का तरीका क्या है ? क्या होल्डिंग का बंटवारा हुआ है ?

(66)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में बाधा नहीं डालें, मानतीय सदस्य।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

डा. हरिसिंह : पहले जो गरीबी की रेखा से नीचे आदमियों का चुनना होता था वह 2–3 आदमी, सरपंच, वी.डी.ओ. वगैरह बैठकर छांट लेते थे। बहुत सी शिकायतें थीं। शिकायतें यह थीं कि फलां आदमी को गलत चुन लिया गया, उसके पास इतनी जमीन है, इतना साधन सम्पन्न है। गरीबों को सब्सिडी मिलती है, करीब 25 प्रतिशत हर जाति को मिलती है और 50 प्रतिशत सब्सिडी अनुसूचित जाति वगैरह को मिल जाती है। सम्पन्न आदमी भी इसमें अपना नाम लिखा लेते थे। ग्राम सभा में चुनाव चालू हुआ तो गलत आदमियों का चयन करीब करीब रुक गया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्या आप लोग यह नहीं सोचते कि भ्रष्टाचार को मिटाने का कितना जबर्दस्त कदम उठाया है इस सरकार ने; कितने गलत काम होने से रुक गये। सरकार के आई.आर.डी. प्रोग्राम में, एन आर. डी. प्रोग्राम में जो सब्सिडी का पैसा गलत आदमी ले जाते थे उनकी जगह सही आदमियों को फायदा होता है। सोशल इम्बैलेंस को भी कम करने में योगदान हुआ है, यह सराहनीय है।

एक माननीय सदस्य : कितने मामले निपटाये गये?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

डा. हरिसिंह : यह आंकड़े अगर आप चाहते हैं तो मैं दे दूंगा। 80 हजार खातेदारी अधिकार दिये गये, 3,49,562 व्यक्तियों के नामान्तरण स्वीकृत किये गये। 50 हजार व्यक्तियों को 70 हजार 147 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। 1 लाख 43 हजार अतिक्रमण के मामले निपटाये गये। यह आंकड़े तो बहुत लम्बे चौड़े हैं॰॰

श्री अध्यक्ष : पूरे पढ़ दें आंकड़े?

(व्यवधान)

जाने दीजिये। आंकड़ों को छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

शांत रहें, माननीय सदस्य।

डा. हरिसिंह : प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम में, अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम पर बड़ा ध्यान दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम, आप सब लोग जानते हो, आम आदमी, गरीब आदमी, असहाय, समाज के नीचे तबके के आदमी के कल्याण का काम है। बड़े हर्ष की बात है और सरकार धन्यवाद की पात्र है कि 50 प्रतिशत सूत्रों में लक्ष्य निर्धारित लक्ष्यों से ज्यादा प्राप्त किये गये। यह भी कहो तो पढ़कर सुना दूं॰॰

श्री यदुनाथ सिंह : उसको सुनें।

डा॰ हरिसिंह : ग्रामीण भूखण्ड वितरण 182.9 प्रतिशत। आल मोस्ट 200 प्रतिशत। गांधीसागर बांध 136 पर्सेन्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 129.58 पर्सेन्ट, वृक्षारोपण 102.12 पर्सेन्ट, अनुसूचित जन-

(डा. हरिसिंह)

जाति परिवारों का कल्याण 106.3 पर्सेन्ट, पीने का पानी 102.7 पर्सेन्ट, जो लक्ष्य निर्धारित किये उनके अगेन्स्ट ये कार्य हो चुके हैं।

श्री हंसराज शर्मा : कितना सूखा पड़ा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया बीच में बाधा न डालें। उनकी बात सुन लीजिये इसके बाद आपको भी अवसर दिया जायगा तब आप अपनी बात कह दें।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के बारे में जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहा है वह एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय एप्रिशिएबल अभिभाषण है। राजस्थान नहर, जैसा कि आपको मालूम है, अन्तर्राज्यीय योजना है। राजस्थान को जो भी पानी मिलता है गंग कैनाल का, और भी, वह अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के तहत 8 और 7 के रेश्यों में मिलता है। 8 मिलियन एकड़ फीट राजस्थान को और एकीकृत पंजाब जिसमें हरियाणा भी शामिल है, को 7 मिलियन फीट पानी मिला था। 1981 में जो समझौता मुख्य मन्त्रीजी ने किया बाकी की स्टेट, हरियाणा और पंजाब के साथ में मिल करके उस वक्त पानी का बंटवारा हुआ, उसमें 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान के हिस्से में आया। यह उपलब्धि हमारा जो पिछले अन्तर्राष्ट्रीय समझौता, इन्टर स्टेट समझौता ...

एक माननीय सदस्य : इन्टरनेशनल ?

डा. हरिसिंह : इन्टरनेशनल पाकिस्तान से हुआ। टोटल पानी का समझौता रावी व्यास और सतलज का पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान से जो समझौता हुआ 15 मिलियन एकड़ फीट टोटल पानी का हिन्दुस्तान को मिलने का, उसमें से राजस्थान का 8वां हिस्सा था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : 8 क्या ?

डा. हरिसिंह : 8 मिलियन एकड़।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप बात किससे कर रहे हैं ? डा. हरिसिंह से।

डा. हरिसिंह : अब, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, मेरे अकाली भाई, जो इस राष्ट्र के उतने ही जिम्मेदार देशवासी हैं जितने आप और हम, बड़े बहादुर लोग हैं लेकिन किन्हीं परिस्थितियोंवश उन्होंने इस विवाद को दुबारा उठाया।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सरकार निकाल देगी ऐसा कहोगे तो।

डा. हरिसिंह : तो क्या देशद्रोही हैं।

क्या सरकार देशद्रोही है, कोई भी हिन्दुस्तान में रहने वाला देशद्रोही हो सकता है ? क्या आपकी पार्टी इनको देशद्रोही मानती है ?

श्री यदुनाथ सिंह : अकालियों की मांगे देशद्रोही हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

डा. हरिसिंह : वह हमारे भाई हैं लेकिन राजस्थान के पानी के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन नहीं है हमारे, दुश्मन शब्द एक बड़ा गलत शब्द है, अपने भाई हैं ...

श्री मेघराज तावड़ : आसाम में गोलियां क्यों चल रही हैं ?

(व्यवधान)

68

डा. हरिसिंह : राजस्थान सरकार मुस्तैदी से, कानून से और स्वतन्त्र तरीके से अधिकार से, दबाव से नहीं, अपने पानी का हिस्सा नहीं खोयेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : खो दिया 1981 में।

डा. हरिसिंह : 1981 में मैंने बताया समझौते में हमने गेन किया, लूज नहीं किया 15 मिलियन—17.7...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बातें नहीं करें, आसन को सम्बोधित करें। जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे हैं वह भी आसन को सम्बोधित करके बोलें, उधर देखें ही नहीं ज्यादा।

डा. हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, गंग कैनाल, जो बीकानेर स्टेट के उस वक्त के राजा थे गंगासिंहजी, लाये थे। उस कैनाल की हालात आज ऐसी हो गई कि केपिसिटी का पानी वह ले नहीं सकती। उस इलाके में पानी किसान को बहुत कम मिल रहा है, बहुत दिनों से यह समस्या थी। जब मैं जनता पार्टी की सरकार में था तब मैंने बहुत कहा था ललितजी को।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुनो।

डा. हरिसिंह : यह कहा था ललितजी को कि राजस्थान कैनाल की तरफ आप ध्यान दीजिये, मुख्य मन्त्रीजो भैरोंसिहजी को कहा था कि गंग कैनाल की तरफ आप ध्यान दीजिये यह गंग कैनाल टूट फूट जायगी, इलाका बह जायगा, ध्यान दीजिये लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने अब इस गंग कैनाल के जीर्णोद्धार का जो कदम उठाया है उसमें एक तो 12 करोड़ गंग कैनाल फीडर; जो कि टेम्प्रेरी पानी डाइवर्ट करने के लिये है, के लिए रखा है ताकि गंग कैनाल की मरम्मत हो सके। यह किया और फिर उसकी पूरी मरम्मत की लागत 87.5 करोड़ है उसका निर्णय लिया है। इतना जबर्दस्त फैसला किसानों के हित में...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डाक्टर साहब, जो पिछली बार था वही पैसा है ना ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया। आर्डर आर्डर।

डा. हरिसिंह : दूसरा, सिंचाई के मामले में किसानों के लिये पानी की व्यवस्था करने में, बिजली की व्यवस्था करने में सरकार सक्रिय है उसका उल्लेख मैं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में गांधीसागर का कैचमेन्ट एरिया जितना भी उस कैचमेन्ट एरिया में छोटे-छोटे हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सरकार बना रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सकलेचा सरकार कहो।

डॉ. हरिसिंह : ये ज्यादा नाराज हो जाते हैं, मेरे भाई लोग हैं इसलिए मैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि उस कैचमेन्ट एरिया में पानी कम आ जाने से, वैसे ही बरसात कम हुई गांधीसागर बांध में पानी कम आने से सिंचाई और बिजली

(डा. हरिसिंह)

दोनों ही कम उत्पन्न होने लगी, इससे बड़ा ही हमें घाटा होने लगा। मुख्य मंत्रीजी ने 31 अक्टूबर, 1981 को मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री से बातचीत की और यह सहमति हुई कि राजस्थान के अफसरान कैचमेन्ट एरिया में निरीक्षण कर सकते हैं और यदि समझौते का उल्लंघन हो रहा है तो यह बात वह देख सकते हैं। यह बात नहीं होने दी जायगी। क्या यह कम उपलब्धि है, अध्यक्ष महोदय·····

श्री महाराम चौधरी : अनअथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन बन्द हो गये क्या ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह रिप्लाई में आयेगा।

डा. हरिसिंह : सरकार की जानकारी है उसके हिसाब से अब नहीं है, आपकी जानकारी में है तो आप बता दीजिये।

दूसरी बात, मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि राजस्थान कैनाल की जो कुल लम्बाई 649 किलोमीटर है, फेज वन में काम पूरा हो चुका है मेन कैनाल का और फेज 2 में 145 किलोमीटर बन चुकी है, बाकी जो टोटल में से बची है 256 के करीब, 100 किलो मीटर बन रही है वह जब तक नहीं बनेगी तेजी से तब तक जैसलमेर तक की जो समस्या है वह नहीं मिटेगी। सरकार ने इस मामले में केन्द्र सरकार से बात की और 40 करोड़ रुपया रखा और वह चालीस करोड़ रुपया, 15 करोड़ 1982–83 में, 15 करोड़ 1983–84 में और 10 करोड़ 84–85 में खर्च होगा ताकि छठी पंचवर्षीय योजना में मेन कैनाल बनकर तैयार हो जाय। यह उपलब्धि हमारी सरकार की है जो सराहनीय है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने तो लैप्स किया था।

(व्यवधान)

डा. हरिसिंह : एक साल पहले क्या हुआ ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : 9 करोड़ रुपया ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लैप्स करके चले गये, अपना चेहरा तो देखो कांच में, हुजूर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता ने दिखा दिया।

डा. हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, राजस्थान कैनाल को सरकार ने गम्भीरता से लिया है। इससे पता चलता है कि इस मामले को कितनी गम्भीरता से लिया जा रहा है। इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बना दिया है, वह एक वरिष्ठ मंत्री, जो सक्षम हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाने में सक्षम हैं, को सौंपा गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस काम को निर्धारित समय में पूरा करेंगे।

हमारे सामने बिजली का बड़ा गंभीर संकट है इससे किसान और उद्योगपति दोनों परेशान हैं। यह क्यों हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। एडवांस प्लानिंग बिजली प्रोडक्शन का नहीं करते हुए बिजली का डिस्ट्रिब्यूशन अन्धाधुंध कर दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : ट्रांसमिशन लॉस है 37 परसेंट।

डा. हरिसिंह : मैं इस पर भी आ रहा हूं। जब 1977 में आप लोग हारे और हम लोग जीते उस वक्त क्या हुआ कि वाही-वाही लेने के लिए जनता सरकार ने दो-तीन काम बड़े जोरदार किये। बिजली तो आपके पास थी नहीं और अंधाधुंध दे दी।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने कहा, यह भी तब उसमें थे। यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि गवर्नमेंट के साथ होते हुए आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। उसमें आपका भी डिसीजन था।

डा. हरिसिंह : माननीय सदस्य, कारण नहीं बताऊंगा तो बात आपकी समझ में नहीं आयेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी ने दो-तीन काम किये, एक तो बिजली को खतम किया और दूसरा अनाज था उस अनाज को अंधाधुंध बेचा।

श्री मेघराज तावड़ : आप भी उस मंत्रिमण्डल में थे, आप भी उसके लिए जिम्मेदार थे।

डा. हरिसिंह : हिन्दुस्तान के रिजर्व का ध्यान नहीं रखते हुए सोने को अंधाधुंध वेचा।

श्री अध्यक्ष : और प्रशासन में अव्यवस्था यह भी तो एक विषय है।

डा. हरिसिंह : कांग्रेस सरकार ने जो इकट्ठा किया था वह इन्होंने ढाई साल में बखेर दिया। बिजली वाले मामले में, अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहता हूं कि अगर मैं थोड़ी-बहुत पोल खोल दूं तो वह स्वाभाविक है, सारी नहीं खोलूंगा। बिजली वाले मामले में, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के सामने भयंकर संकट है, कारण मैंने निवेदन किये हैं। हमारी सरकार इस मामले में क्या कर रही है यह मैं आपको बताता हूं। बिजली उत्पादन की दिशा में ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें लिखा हुआ है, डाक्टर साहब।

डा. हरिसिंह : सरकार ने हिमाचल से दो समझौते किये हैं बिजली लेने के लिए, एक तो पार्वती और दूसरा कालीसिंध योजना। यह ऐसे बिजली उत्पादन के मामले हैं जो दूरगामी नतीजे लाते हैं। बिजली एक ऐसी चीज है कि यह जैसे ही आती है वैसे ही खर्च हो जाती है, इसका स्टोरेज नहीं हो सकता। इसके लिए दूरगामी नतीजे लेने पड़ेंगे। इसलिए इस दिशा में सरकार ने हिमाचल प्रदेश से समझौते किये हैं। दूसरा, सरकार ने जो फैसला किया है वह लिग्नाइट पर आधारित है। 60 मेगावाट के दो विद्युत संयंत्र पलाना में लगाने की स्वीकृति केन्द्रीय बिजली अथारिटी ने दे दी है। योजना आयोग से स्वीकृति लेनी है, जल्दी ही वह मिल जायेगी और यह संयंत्र लग जायेंगे। इस दिशा में राज्य के बाड़मेर और नागौर में जो लिग्नाइट के भण्डार हैं उनका भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसमें एक करोड़ से ज्यादा सरकार ने रखा है। यहां काफी मात्रा में लिग्नाइट मिल जाय तो ताप बिजली घर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे।

(डा. हरिसिंह)

(2.45 म.प.)

(श्री माधव सिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

दूसरी ओर कोटा थर्मल के लिये भी सरकार बड़ी तेजी से सक्रिय है। आशा है कि जून तक कोटा थर्मल अपनी पूरी केपिसिटी में शामिल हो जायेगा। माही सागर परियोजना में करीब 1984 में बिजली उत्पादन शुरू हो जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पिछले साल भी यही कहा था।

डा. हरिसिंह : इन सब बातों से ऐसा लगता है, लगता ही नहीं मुझे विश्वास है कि आज की स्थिति में जो हमारी 22 मिलियन यूनिट की जरूरत है, उसमें से 10 मिलियन यूनिट मिल रही है। किसानों को आज के मौसम में बिजली की ज्यादा जरूरत है किन्तु दुर्भाग्य से उधर एटामिक का विद्युत-गृह का खराब हो जाना और कोटा थर्मल, जो एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर चालू किया गया था, का सही रूप से काम नहीं करना खेद की बात हैं, लेकिन शीघ्र ही यह चालू हो जायेगा। सिंगरोली से जो सरकार ने अतिरिक्त बिजली ली है···:

श्री यदुनाथ सिंह : उसमें हमारा हिस्सा है 600 मेगावाट का।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको कुछ मालूम तो है नहीं।

डा. हरिसिंह : यह मौजूदा परिस्थिति में है। बदरपुर और सिंगरोली से हमारे हिस्से से ज्यादा बिजली सरकार ले रही है जिससे किसान की कुछ समस्या हल होगी। मैं जानता हूं कि किसान को 12 घण्टे से ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। कोई भी सत्ता धन्धे के खिलाफ नहीं हो सकती। 100 प्रतिशत तक बिजली किसानों को देना हमारी सरकार का काम है, वे दूसरी सरकार नहीं कर पाई।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप लोग तो डुबो कर गये थे।

डा. हरिसिंह : दूसरा, राजस्थान कैनाल में मिनी हाइड्रो स्कीम को लगाने का सरकार का इरादा है। इससे राजस्थान कैनाल में आज से ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा। इसके लिए राजस्थान सरकार सक्रिय है। मुझे विश्वास है कि 1984 तक बिजली का संकट हल कर पायेगी।

श्री हंसराज शर्मा : आपका भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

डा. हरिसिंह : कृषि उपज मण्डी और भण्डारों के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। कृषि उपज मण्डी राजस्थान में किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही हैं। कृषि उपज मण्डी का निर्माण भी काफी तेजी से हो रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो कृषि उपज मण्डी की इस वक्त हो रही है, जैसा पूर्व में माननीय सदस्य ने निवेदन किया था, मण्डी को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आपको याद होगा कि जनता सरकार ने इस तरफ कुछ नहीं किया।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप बतायें कुछ एक मण्डियों को डिवीजन से जोड़ने के अलावा, आपने कितनी मण्डियों को सड़कों

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

से जोड़ा है। सड़क बनाने की जगह वहां पर रेस्ट हाउस बनाने में पैसा खर्च किया जा रहा है।

डा. हरिसिंह : माननीय सदस्य, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको उस सड़क पर घुमा लाऊंगा। वह सड़क यहां नजर नहीं आएगी, इस सदन में नजर नहीं आएगी। वह सड़क तो मौके पर गांवों में बनी हुई है, अगर आप चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं, मैं सड़क पर घुमा लाऊंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मण्डी क्षेत्र के विकास के लिए इतना कर्जा ले लिया कि 10 साल तक भी मंडी कर्जा नहीं चुका सकेगी, सड़कें क्या बनाएंगी ?

डा. हरिसिंह : कृषि उपज मण्डी का जितना भी पैसा था, जनता पार्टी के राज में पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रांसफर किया और वह यूटिलाइज नहीं हो पाया।

सभापति महोदय, भण्डारण, वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की व्यवस्था बड़ी अच्छी है लेकिन किसानों को इसका सही लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ? उपज में जो पैसा है वह किसान ले सके और उचित मूल्य से ज्यादा पर भी बेच सकें, यह सही इसका रूप होना चाहिए लेकिन क्योंकि फाइनेन्शियल अरेंजमेंट्स सही नहीं हैं इसलिए किसान गोदाम को यूज नहीं कर रहा है। भण्डारण में अपना सामान रखने से, अपना अनाज रखने से फलक्चूएटिंग प्राइस से बच पाएगा और जो बिचौलिया है जो मिडल मैन है उसके शोषण से बच पाएगा जिसके आप लोग हामी हो। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो फाइनेन्शियल प्राब्लम्स किसान के सामने हैं उनको हल किया जाए ताकि वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के गोदामों का किसानों को उचित फायदा मिल सके।

अब मैं अकाल राहत के बारे में आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आंकड़ों के हिसाब से, जो कि सही हैं, मोनीपूलेटेड नहीं हैं, सही है····

श्री हंसराज शर्मा : आपके आंकड़ों के हिसाब से कितने काश्तकारों का कितने लाख टन माल रखा है ? अब तक कहीं रखा भी है, उदाहरण भी है ? चलो आपके आंकड़ों से ही बताओ। सवाईमाधोपुर जिले में कितना रखा है ?

डा. हरिसिंह : यहां पर तो कागज पर जो काम हो रहा है वही बताया जा सकता है····

श्री हंसराज शर्मा : कागज को घर ले जाओ।

डा. हरिसिंह : वरना आपको देखना है तो जहां रिलीफ कार्य हो रहे हैं वहां चलिये। यहां यह बहस करने से क्या फायदा कि कार्य नहीं हो रहा है। आपके कहने से तो मजदूर गाइड नहीं हो सकते। आपके कहने से जो कार्य हो रहे हैं वह अदृश्य तो नहीं हो सकते। आप यथार्थवाद की बात करें। हमारी सरकार यथार्थ की पालिसियों को ही लेकर चल रही है।

सबसे बड़ी सराहनीय बात यह है, मार्च तक आंकड़े इकट्ठे नहीं होते थे कि कौन-

(डा. हरिसिंह)
कौन से गांव अकाल से पीड़ित हैं, क्या-क्या वहां की समस्यायें हैं। इस साल सरकार ने तत्परता से दिसम्बर में ही 13 जिलों में कार्य सैंक्शन कर दिए। बाकी और 11 जिलों में 16-2-83 को सैंक्शन कर दिए जहां 1.61 लाख के करीब लोग काम कर रहे हैं और मार्च के अन्त तक 3 लाख और 3½ लाख तक लेबर रखने का प्रोविजन है। अगर सरकार को जरूरत पड़ी और लेबर आने लगी, सबसे ज्यादा रिलीफ कार्य में खामी क्या हो रही है कि····

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, अकाल से ग्रस्त कितने गांवों में कितनी पापूलेशन थी, कितनी लेबर लगानी चाहिए ?

डा. हरिसिंह : इन गांवों में 169.57 लाख की जनसंख्या है। आपने जनसंख्या पूछी, माननीय सदस्य, 169.57 लाख और पशुओं की संख्या 259.16 लाख····

श्री यदुनाथ सिंह : सवा करोड़ में से एक लाख आदमी ?

डा. हरिसिंह : 26 जिलों में 22,417 गांव शामिल हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जहां अकाल राहत में लोगों को काम देने का सरकार का वायदा है···

श्री हंसराज शर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह अकाल राहत कार्य जो चल रहे हैं वे बहुत बढ़िया चल रहे हैं लेकिन आपके स्वयं के क्षेत्र में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितनों को पेमेण्ट हो गया ? आप ईमानदारी से जवाब दें।

डा. हरिसिंह : हम जो सत्यता पर आधारित है वह बात कर रहे हैं, यहां ईमान और धर्म नहीं चल रहा है। यह सदन ईमान और धर्म के लिए नहीं है। यहां यथार्थवाद की जो बात हो रही है, वह सही हो रही है। यहां धर्म और ईमान से निकलवाने के लिए कौन बाध्य कर रहा है ?

सभापति महोदय, सरकार इस बात से चिन्तित है कि जितने भी अकाल राहत कार्य हैं वह तत्परता से चालू हों और 15 जुलाई तक ये कार्य होंगे। जो सरकार की पालिसी है उसके आधार पर डिसीजन लिया गया है कि 60:40 का जो कम्पोनेन्ट है लेबर और मैटीरियल का, उसमें सारे जिलों को शामिल किया जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ है ? कुछ काम तो ऐसे हैं जैसे पी. डब्लू. डी. में हैं, सड़क बनाने के हैं। उसमें मैटीरियल कम्पोनेन्ट ज्यादा हैं, फारेस्ट के काम हैं वे लेबर के ज्यादा हैं, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां न इरिगेशन की कोई योजना बनाई जा सकती है, न वह पेयजल की योजना बनाई जा सकती है वहां सिर्फ पी. डब्लू. डी. का काम हो सकता है। पी. डब्लू. डी. के काम में जो रुकावट आती थी वह यह थी कि कम्पोनेन्ट 60:40 से ज्यादा नहीं हो सकता। 40 से ज्यादा मैटीरियल कम्पोनेन्ट नहीं हो सकता। तो वह इलाका अकाल राहत कार्य से महरूम रह जाता है। तो सरकार ने यह फैसला लिया कि पूरे जिले का 60:40 रेश्यो होना चाहिए ताकि उन जगहों पर भी जहां और तरह के कार्य संभव नहीं हैं, वहां सड़क के कार्य हो सकें।

(डा. हरिसिंह)

सभापति महोदय, क्या यह सराहनीय कार्य नहीं है ? क्या यह व्यावहारिक नहीं हैं, क्या यह यथार्थवादी नहीं है···

श्री महाराम चौधरी : जितना एशियाड का कार्य था वैसे का वैसा यह कार्य है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यहां कहां से एशियाड ले आए। आपको तो नागौर तहसील लाना चाहिए।

डा. हरिसिंह : सभापति महोदय, वन, फार्म फारेस्ट्री व इकोलाजी के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूंगा। पर्यावरण सिर्फ पौधों से ही संबंधित नहीं है। पर्यावरण जीवों से भी संबंधित है। इस जमीन पर जो भी चीज है चाहे पक्षी हों, चाहे पशु हों, चाहे आदमी हों, चाहे पेड़ हों, जो चीजें जीव आत्मायें हैं उन सब को मिलाकर पर्यावरण बनता है। एक बैलेन्स नेचर का बना हुआ है उस बैलेंस को किसी भी रूप में टिल्ट किया जाए तो वह सारा प्रकृति के खिलाफ जाता है, जैसे पशुओं का कम होना। तो सरकार ने इस दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। जैसे कि लक्ष्य से ज्यादा वृक्षारोपणों की पूर्ति कर ली गई है। 350 लाख वृक्षारोपण का टार्गेट था वह 4 लाख कर दिया गया है, sorry 4 करोड़।

जहां तक प्रोटेक्शन आफ वाइल्ड लाइफ है, सरकार ने पिछले दो साल में नए अभयारण्य घोषित किए हैं। जो सरिस्का है उसको नेशनल पार्क घोषित किया है। यह इकालाजी को बैलेन्स करने की दिशा में सराहनीय कदम है।

लॉ एण्ड आर्डर समृद्धि और खुशहाली के लिए जरूरी है। इस दिशा में पिछले साल में जितनी शांति रही है, छुटपुट घटनायें हुई हैं, मजदूरों की हड़ताल, राज्य कर्मचारियों की हड़ताल, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में सक्रिय थी, शांति से सारा काम निपटा गई, क्योंकि सरकार ने सद्भावना से हड़तालियों से बातचीत की और उनकी वाजिब समस्यायें निपटाई।

जहां तक चोरी, डकैती, क्राइम्स का सवाल है, कम्पेरेटिव आंकड़े अगर आप और राज्यों के देखो, राजस्थान में पहले सालों के बनिस्पत काफी शांति रही है। इसका एक कारण यह था कि सरकार ने पुलिस प्रशासन को चुस्त किया। दूसरा, केस रजिस्ट्रेशन में सरकार का जो रवैया था, कोई भी केस अनरजिस्टर्ड नहीं जाएगा क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, अनरजिस्टर्ड केस जाने से क्राइम बढ़ते हैं। कहावत है कि अगर एक आदमी को एक स्टेज पर नहीं रोका जाय तो आगे के स्टेज पर चला जाता है और किसी बदमाशी के स्टेज पर जाता है। इस दिशा में यह कार्य सराहनीय है और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन संतोषप्रद है।

अन्त में मैं, सभापति महोदय, सदन का ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही निवेदन करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में दिया वह एक प्रगतिशील, विकासशील अभिभाषण दिया जिसके मुद्दे ऐसे हैं, जिसके कार्य ऐसे हैं कि जिनसे राजस्थान प्रगति के पथ पर जायेगा और इस देश की जनता, जो कि राजस्थान

(डा. हरिसिंह)
में रहती है, की तरक्की होगी। इस अभिभाषण पर कुम्हेर से आने वाले माननीय ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तावित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और आप लोगों से भी और जो दूसरे माननीय सदस्य हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह व्यक्तिगत बातों को छोड़ दें और इस अभिभाषण को समर्थन दें।

धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

एक माननीय सदस्य : यह तालियां किस लिये बज रही हैं।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : आदरणीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन के सामने एक भाषण पढ़ा, उस भाषण को पढ़ने के लिये उनके प्रति धन्यवाद प्रस्ताव कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका समर्थन किया। सभापति महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण किया है इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद यह नहीं कहा जा सकता कि यह अभिभाषण राज्यपाल महोदय की गरिमा के अनुकूल है या राज्यपाल महोदय की अपेक्षाओं के अनुकूल है या उन अपेक्षाओं को यह पूरा करता है। यह, सभापति महोदय, किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता है। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश की और कुछ उस दिशा की ओर बढ़े भी, उन्होंने यह कहा कि हमारी एक राजनैतिक पार्टी है और हमारा राजनैतिक चिन्तन है किन्तु बाद में, सभापति महोदय, वह बदल गये क्योंकि वे भी जानते थे कि इस भाषण में ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे यह कहा जा सके कि यह किसी ऐसे राजनैतिक दल का अभिभाषण है या किसी ऐसे राजनैतिक दल के शासन के राज्यपाल महोदय का भाषण है जिसका कोई चिन्तन हो या जिसका कोई सिद्धान्त हो या जिसका कोई दर्शन हो या जिसकी कोई भविष्य की कल्पनायें हों। तो, सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस अभिभाषण को लिखने के लिए सांख्यिकी विभाग के किसी भी अराजपत्रित अधिकारी या मूल्यांकन विभाग के किसी भी राजपत्रित अधिकारी को दिया जाता तो ज्यादा बढ़िया होता। वह ज्यादा बढ़िया लिख सकता था।

सभापति महोदय, हम लोकतान्त्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था के कुछ तकाजे हैं, कुछ कार्यप्रणाली है, कुछ दिशायें होती हैं। सभापति महोदय, आज सवेरे लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को अखबारों में छापा गया? अखबारों में छपने के बाद, जनता के पास उसके पहुंचने के बाद में जनता ने क्या प्रतिक्रिया की? साल भर तक विश्वास के साथ हमारी जनता देखती है

(श्री कैलाश मेघवाल)

कि हमारा बजट सत्र आयेगा उस बजट सत्र में राज्यपाल महोदय एक अभिभाषण पढ़ेंगे उस अभिभाषण में होगा कि अगले साल के अन्दर सारे राजस्थान की जनता के लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है, किस तरह से जनता की तकलीफों को दूर किया जायेगा, किस तरह जनता के लिए क्या किया जायगा, किस तरह से सामाजिक-स्तर जनता का ऊपर उठ सकेगा और उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या मदद करेगी, किस तरह जनता के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए मदद देने के क्या क्या कार्यक्रम होंगे। सभापति महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर सोशियो-इकानामिक पालिसी की बात कही थी। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि इसमें उसके लिए क्या लिखा है? आप ही मुझे बता दीजिए, एक शब्द भी कहीं कोई राजनैतिक दर्शन का हो तो आप बता दीजिये। यह तो एक टेबुलेशन की हुई पुस्तक है, सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। अगर इसी प्रकार का और इसी तरह का आप राज्यपाल महोदय से अभिभाषण दिलवाते हो, यह एक औपचारिकता पूरी करनी है तो बात दूसरी है। सभापति महोदय, आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मुझे तो शंका है कि लोकतान्त्रिक संस्थाओं में और लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में धीरे धीरे मतदाताओं और नागरिकों का विश्वास उठता चला जा रहा है। उनको आप विश्वास पैदा नहीं करा सके हो। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह होना चाहिए था कि जन-जीवन को किस प्रकार ऊपर उठाया जायेगा। उसके लिये क्या क्या मुद्दे रखेंगे और उन मुद्दों को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार क्या करने जा रही है। सभापति महोदय, इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद, आपने भी, सभापति महोदय, इस अभिभाषण को पढ़ा होगा, यह स्पष्ट लगता है कि यह अभिभाषण सिर्फ एक टेबुलेशन आफ फीगर्स है, सिर्फ आंकड़ों का समावेश इसमें किया गया है। यह आंकड़ों का मायाजाल है। इसमें यह है कि पिछले साल की तुलना में कितना किया गया, सिंचाई के लिए कितना किया गया और पहले कितना किया गया सिंचाई के लिए, कितना ज्यादा बढ़ाया गया। तो, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सिर्फ यही मुद्दे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जो समर्थन करने की बात कही गयी...

(व्यवधान)

डाक्टर हरिसिंह (फुलेरा): सन् 1977-78 के अभिभाषण में जो था वह क्या था। It was more full of figures.

श्री कैलाश मेघवाल: सभापति महोदय; मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि आप तो यह कहते थे कि हमारी सरकार चुनाव करायेगी। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मुद्दा उठाया। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान की सरकार ने आज तक उन नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये, जिनके पहले चुनाव नहीं हुए वह कब होंगे? कब आप चुनाव करायेंगे?

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : हमने चुनाव कराये हैं। आपने नहीं कराये।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अगर आप नहीं करा सके तो आप इधर आ जाइये, गोटेवाला साहब, हम उधर आकर करा देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा 80 प्रतिशत नगर परिषदों के चुनाव कराये जा चुके हैं। आपने जिन लोगों के चुनाव कराये उनको अधिकार नहीं दिये थे। उन पंचायतों के चुनाव हमने कराये और उनको अधिकार भी दिए जा चुके हैं। हमने पंचायतों से लेकर पंचायत समितियों के और जिला प्रमुखों के चुनाव करा दिये हैं। अगर आप उन चुनावों में गायब हो गये तो हमारी गलती नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, एक तरह से आधारहीन और बिना चिन्तन के माननीय मंत्रीजी ने बात कही है। जो चुनाव हुए हैं उसको तो सभी जानते हैं हम भी उसको स्वीकार करते हैं। जो पंचायतों के चुनाव आपने कराये हैं उनको सभी स्वीकार करते हैं। जो कर दिया उसकी क्या वाहवाही लूट रहे हैं। जो होना है वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना चाहिये।

तो, सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि एक यू. डी. सी के भाषण की तरह अभिभाषण यहां पर राज्यपाल महोदय ने दिया वह उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं था। केबिनेट ने आंकड़ों का जाल, आंकड़ों का संकलन करके कह दिया कि इसको पढ़ दो। इसमें आपका चिन्तन कहां है, वह नजर नहीं आता है। आप तो अपने आपको बहुत ही काबिल मानते हैं, गोटेवाला साहब बहुत मुस्तेदी की बातें करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें आपका क्या दर्शन है, आपका कौनसा राजनीतिक चिन्तन है? क्या दर्शन है आपका, क्या दिशा देने जा रहे हैं आप इस अभिभाषण के माध्यम से? क्या आप समाज को ऊपर उठाने के लिए कर रहे हैं, क्या आपके कार्यक्रम हैं उसके लिये? कमजोर लोगों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप राजस्थान की जनता के लिए क्या कार्यक्रम रख रहे हैं यह बतावें? सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अभिभाषण है इसमें सिर्फ आंकड़ों का संकलन किया हुआ है। जो संकलन किया है उसका नमूना मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंश को पढ़कर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उसमें उन्होंने अपनी उपलब्धि क्या बताई है, इस अभिभाषण में लिखा है,

"बड़े नगरों के आसपास कच्ची बस्तियों और गन्दी बस्तियों की समस्या का भी हल किया जाना आवश्यक है। राज्य के 15 बड़े नगरों में गन्दी बस्ती सुधार कार्यक्रम लागू किया हुआ है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 31,500 लोगों को नल, बिजली, सड़क एवं नाली आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के पेटे लगभग 42 हजार व्यक्तियों को ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। राज्य में चल

(श्री कैलाश मेघवाल)

रहे इस कार्यक्रम की भी योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार, दोनों ने बड़ी सराहना की है।"

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों चाहे इधर बैठने वाले माननीय सदस्य हों वह अपने दिल को टटोलने के बाद क्या कोई यह कह सकते हैं कि 42 हजार लोगों को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो सुविधा प्रदान की गयी है वह क्या है। हां, सभापति महोदय, अगर माननीय गोटेवाला साहब कह देंगे तो मैं मान लूंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे एक परिवार में पांच व्यक्ति होते है तो 42 हजार के आठ हजार परिवार हुए। आठ हजार परिवार जहां छोटी गन्दी बस्ती म एक कमरे में रह रहे हैं वहां पर आपने नाली बनादी, सड़क बना दी या पानी पहुंचा दिया तो क्या इसके लिये आपकी योजना आयोग या केन्द्रीय सरकार ने बड़ी सराहना की है? आप 20 सूत्री कार्यक्रम का ढिंढ़ोरा पीट रहे हैं। आपके राजस्थान में 33 हजार गांव हैं, गोटेवाला साहब, वहां पर आपने सिर्फ 42 हजार लोगों के लिये नल, बिजली और सड़क की सुविधा बनायी हैं। आप गन्दी बस्ती कार्यक्रम की सफलता मानते हैं बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत? आपकी योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार ने सराहना की है।

माननीय सभापति जी, मैं दूसरे आंकड़े बताना चाहता हूं। आंकड़े इसलिए कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का स्तर गया है। उस अभिभाषण का समर्थन माननीय विधायकजी कर रहे थे, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तो शायद जल्दी नहीं जायेंगे माथुर साहब, लेकिन हिलने वाले है। अभी तो चिन्तन करो, कुछ दर्शन पैदा करो, कुछ पढ़ो-लिखो। आप में पढ़े लिखे लोग हैं, चिन्तन वाले लोग हैं। डाक्टर हरिसिंहजी तो अपने आपको बौद्धिक चिन्तन और सिद्धान्तों के धरातल पर इधर से उधर जाना कहते हैं।

तो, माननीय सभापति महोदय, इसके बाद एक चिन्तन आपको बता दूं। जो उपलब्धि इन्होंने कही है जो राज्यपाल महोदय के इस वर्ष के अभिभाषण में है पेज 26 पर:

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चीनी, कैरोसीन तेल, पाम आइल, नियंत्रित कपड़ा, लेवी सीमेन्ट तथा साफ्ट एवं हार्ड कोक का वितरण करवाया जा रहा है। इनमें से अधिकांश चीजें उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरित की जाती हैं। वर्ष 1982-83 में 2000 उचित मूल्य की दुकानें खोलने का लक्ष्य है, जो पूरा हो जायेगा।"

लक्ष्य है वह पूरा हो जायेगा। कब होगा? आज तक कितना हुआ, इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, इसके आगे लिखते हैं:

"इनमें 50 चलती फिरती दुकानें भी होंगी जो दूर दराज के इलाकों में जहां दुकानें खोलना सम्भव नहीं है, वहां लोगों की जरूरत की चीजें मुहैया करवायेंगी। लक्ष्य पूर्ण होने पर शहरी क्षेत्र में 2500 यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3000 यूनिट पर एक

(श्री कैलाश मेघवाल)
दुकान हो जायेगी।''

यह माननीय राज्यपाल महोदय ने कल ही अभिभाषण दिया है। यही अभिव्यक्ति, यही भावना, यही शब्दावली है बीस संकल्प में जिसको आप भूल गए। इस सारे अभिभाषण में बीस संकल्प का नाम भूल गए, बढ़िया शिक्षा का नाम भूल गए। गरीबों के सिर पर छत का नाम भूल गए। कहीं भी बीस संकल्प, जिस बीस संकल्प पर बड़े-बड़े पौधे आपने हमको दिये थे, माननीय मुख्य मंत्रीजी का तो कहीं भी कोई अभिभाषण में वर्णन नहीं है। यह बीस संकल्प गया किधर? माननीय गोटेवाला साहब, पढ़ लीजिए इसको और दूसरे माननीय मिनिस्टर साहब भी बता दें कि बीस संकल्प कहां चला गया?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने तो पढ़ा ही नहीं क्रियान्वित भी किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जिस तरह से बीस संकल्प गया है उसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री भी जाने वाले हैं जो आपको भी मालूम है...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप चिन्ता मत करो। आपका तो नम्बर आने वाला नहीं है। आप तो इस सदन से जाने वाले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे।

श्री कैलाश मेघवाल : तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई नयी बात नहीं है। वही भाषा, वही शब्दावली और वही तथ्य हैं–

"वर्ष 1982-83 में 2000 नयी उचित मूल्य की दुकाने खोली जायेंगी। इनमें से 50 वह दुकानें होंगी जिनसे दूर दराज और छोटी छोटी जनसंख्या वाले गावों में वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। मरु क्षेत्र और जनजाति के क्षेत्रों में इस प्रकार के क्षेत्र हैं उनके लिए ही चल दुकानों की व्यवस्था की जाती है। साथ ही जहां ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अथवा अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक कार्य कर रहे हैं वहां भी चन्द दुकानों की व्यवस्था उपलब्ध होगी।''

आज से ठीक आठ दस महीने पहले बता दिया उसमें होगी और कल राज्यपाल महोदय, ने बोला उसमें भी आ गया यह माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है जिसके लिए हमको कहा जाता है कि इस अभिभाषण का समर्थन करो। माननीय सभापति महोदय मैं पूछना चाहता हूं, कहां है इनकी आत्मा, कहीं तो यह ईमानदारी से दिल टटोलें कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान को अक्षुण्ण रखें जिस राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान को विकसित करना है, अगर विकास का आधार बनाने के लिए अच्छी योजना बनानी है, अच्छे ढंग से राजस्थान के विकास को गति में लाना है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, रेगिस्तानी इलाका, अर्द्ध रेगिस्तानी इलाका, दक्षिण का पहाड़ी इलाका, चम्बल का बीहड़ का इलाका, सुदूर पूर्व का इलाका, और दक्षिण पूर्व का इलाका–राजस्थान के यह 6 भाग हैं। इन 6 भागों का वातावरण, इन 6 भागों की जलवायु, इन 6 भागों में रहने वालों के तौर तरीके और इन 6 भागों का आर्थिक आधार, यह सारे भिन्न-भिन्न

(श्री कैलाश मेघवाल)

हैं। लेकिन आज इनकी जानकारी किस को है ? न मुख्य मंत्रीजी को इन 6 भागों की जानकारी है और न मंत्री मण्डल को इनकी जानकारी है। आफिसरों ने जिस तरह के आंकड़े दे दिए हैं, उन आंकड़ों पर आधारित अभी एक भाषण लेकर चले आये। इस अभिभाषण की स्थिति यह है। इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सत्य बड़ा कटु होता है। जिस राजस्थान को प्रगतिशील बता रहे हैं, फुलेरा से आने वाले माननीय विधायक, उनकी प्रगतिशील नीतियां हैं और आगे बढ़ने का लक्ष्य है। वह कह रहे थे, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय गोटेवाला साहब, आप तो बड़े अध्ययनकर्ता हैं, यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि आप कहते हैं ज्यादा पढ़े हैं, ऐसा लगता है आपने तो 1981 की सेन्सस रिपोर्ट को पढ़ा होगा। इसके आंकड़े भी आये हैं, माननीय सभापति महोदय, इन आंकड़ों को आपने देखा होगा ? एक आंकड़ा देना चाहता हूं मैं राजस्थान की साक्षरता का वह इसलिए देना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, किसी भी राज्य की प्रगति का मूल्यांकन, किसी भी राज्य की प्रगति के कुछ आधार होते हैं उनमें साक्षरता भी एक आधार है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं साक्षरता का। सारे देश में 22 राज्य हैं और 9 केन्द्र शासित क्षेत्र हैं। 22 और 9 हो गये 31। 1981 की सेन्सस कहती है कि राजस्थान साक्षरता में 28 वें नम्बर पर है। माफ कीजिए, मैं करेक्ट कर लूं अपने को, 28 पर नहीं 26वें नम्बर पर है। आंकड़ों के आधार पर तथ्य देना चाहता हूं, फुलेरा से आने वाले माननीय विधायक की तरह नहीं कहना चाहता। राजस्थान 26वें नम्बर पर खड़ा है, माननीय सभापति महोदय, साक्षरता में। हमारे से नीचे कोई राज्य नहीं है। हमारे से नीचे कौन है 27वें नम्बर पर सिक्किम, 28वें नम्बर पर है दादरा और नागर हवेली और 29वें नम्बर पर है अरूणाचल प्रदेश, जो केन्द्र शासित हैं। तो हम 26वें नम्बर पर हैं साक्षरता में। महिला शिक्षा माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां है 11.32 पर्सेन्ट इस 11.32 पर्सेन्ट के हिसाब से हम 31 में 30वें स्थान पर हैं। यह हम कीतिमान स्थापित कर रहे हैं। कीर्तिमान का आधार मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि क्योंकि यह आंकड़े वह हैं जो 1981 की सेन्सस ने दिये हैं। यह आंकड़े हैं जिनके आधार पर हम महिला शिक्षा में 30वें स्थान पर खड़े हैं। हम उन छोटे छोटे केन्द्र शासित प्रदेशों से भी पीछे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर, सामान्य रूप में शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में हम 26 वें स्थान पर खड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पुरानी बातें दोहरायेंगे कि जनता पार्टी का शासन आया। किन्तु छठी पंचवर्षीय योजना तो श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन में आने के बाद ही चालू हुई है ...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप शिक्षा के आंकड़े, सभापति महोदय, बता रहे हैं। 1951 की सेन्सस की जो रिपोर्ट है उसमें शिक्षा के क्या आंकड़े थे, कृपा करके वह भी बता दें ताकि माइन्ड क्लियर हो जाये कि हमारे जमाने में कितनी शिक्षा में प्रगति हुई है और 1977 से लेकर 1980 तक जब आप रहे तब आपने कौन से फूल बरसाये थे। वह भी बता दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं शुक्रगुजार हूं पशुपालन मंत्रीजी का। जवाब भी उन्होंने वैसा ही दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं शिक्षा की बात पूछ रहा हू। पशुपालन की बात मैं बाद में करूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं शिक्षा की ही बात कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप 1951 से लगाकर 1981 तक 11.32 पर्सेन्ट महिला शिक्षा की तरक्की को तरक्की मानते हैं। यह स्वीकार करते हैं सन् 51 के आंकड़े जीरो मान कर। मैं जीरो स्वीकार करता हूं, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि 1951 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं मानता हूं कि 1951 में जीरो था लेकिन क्या आप मानते हैं कि 1951 में जीरो था तो 35 साल के बाद और 32 साल के बाद 11.32 पर्सेन्ट पर आप साक्षरता में खड़े हैं उसको ही आप तरक्की मानते हैं। उसको प्राप्ति मानते हैं तो यह आपको मुबारक हो।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने 77 से 80 तक क्या नूर बरसाये थे वह भी बता दें।

श्री कैलाश मेघवाल : 1977 से 80 तक शिक्षा में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है···

श्री श्रीराम गोटेवाला : आर.एस.एस. के लोगों को शिक्षा विभाग में लिया था और कुछ नहीं किया। 30 हजार ट्रांसफर किये थे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, 1977 से 80 के शिक्षा के आंकड़े देख लें, महिला शिक्षा की प्रगति के आंकड़े देख लें। दूसरी शिक्षा की प्रगति के आंकड़े देख लें। इनका एक वर्ष उसकी तुलना नहीं कर सकता। चुल्लू भर पानी में नाक डुबो कर मरने के लिये तैयार रहना चाहिये। मैं यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारा समय तो आधा रहा, यह छठी पंचवर्षीय योजना का, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन में आने के बाद पहला साल चालू हुआ, 80-81, 81-82, 82-83, 83-84 में चौथा साल चालू होगा। मैं कहता हूं छठी पंचवर्षीय योजना का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है; छठी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य है कि 90 प्रतिशत लोगों को साक्षर कर दिया जायेगा। 5 से 14 साल तक के शत-प्रतिशत बच्चों को शिक्षा दी जायेगी। पढ़ा है आपने? वैसे पढ़ने से आपका क्या लेना देना है। पढ़ा है तो कहिये मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। यह लक्ष्य है छठी पंचवर्षीय योजना का। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिये ट्रेजरी बैंचेज में बैठने वाले हर सदस्य से पूछना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते सारे राजस्थान या सारे देश में 90 प्रतिशत लोगों को साक्षर कर दिया जायेगा और 5 से 14 साल तक के प्रत्येक बालक को शिक्षा दे दी जायेगी। यह आपकी छठी पंचवर्षीय योजना के आंकड़े हैं लेकिन कहां खड़े हैं आप? मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आखिर हम कहां पर जा रहे हैं? कहते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करो। राज्यपाल ने

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसमें क्या दिया है कि हम समर्थन करें। राज्यपाल के अभिभाषण से राजस्थान की जनता के दुख-दर्द, राजस्थान की जनता के ऊपर जो चोटें पड़ रही हैं, जो उनके मौलिक मुद्दे हैं, उनको समस्या है, उसका हल नहीं निकलता। माननीय सभापति महोदय, आप शायद जिस जमात से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें आज भी लोग अंगूठे लगाते हैं। मैं जिस जमात से आता हूं उसमें 90 प्रतिशत लोग अंगूठे लगाते हैं। इस कारण हमारे यहां साक्षरता 11 प्रतिशत है। जो महिलाओं की शिक्षा है उसमें शिड्यूल्ड कास्टस, शिड्यूल्ड ट्राइब्स एक पर्सेंट से ज्यादा नहीं हो सकते, पाइन्ट 00 पर्सेन्ट पर जायेगा। जो श्रेष्ठ वर्ग है, जो आज तक, अपनी मोनोपोली रखे है शिक्षा के ऊपर शिक्षा कम होने की वजह से, शिक्षा के आधार पर नहीं बढ़ने की वजह से, शिक्षा का दायरा विस्तृत नहीं होने की वजह से गांवों के वे लोग शिक्षा से वंचित रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा शिक्षा मिलनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं कहना चाहता हूं, राज्यपाल महोदय के भाषण में इस तरह की कोई बात नहीं है जिसका कि समर्थन करने की बात हो। फुलेरा से आने वाले माननीय विधायक चले गये समर्थन करके, कुम्हेर से आने वाले माननीय विधायक भी चले गये प्रस्ताव करके। नहीं बैठे हैं सामने, उनकी जगह दूसरे बैठे हैं।

प्रशासन गांवों की ओर।

(3.24 म.प.)

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : समधी जी बैठे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं देख लूंगा। माननीय सभापति महोदय, ··

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : जनता की समस्या का मजाक मत उडाओ। शर्म आनी चाहिये आपको, आप मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, आंकड़े दिये गये हैं प्रशासन गांवों की ओर के। प्रशासन गांवों की ओर का पिछले दो महीने से और एक महीने पहले से प्रचार हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, प्रशासन गांवों की ओर की आधार भूमि क्या है। कौनसे उसके आंकड़े हैं और क्या प्रगति हो रही है। राज्य कर्मचारियों में कुशलता की कमी है, अकुशलता है, उनमें गैर जिम्मेदारी और अक्षमता है। साल भर तो मटर गश्ती करने की उनको छूट दे दी है। मंत्रियों का आशीर्वाद प्राप्त कर लो, विधायक का आशीर्वाद प्राप्त कर लो, काम करने की जरूरत नहीं। जनता के प्रति कर्तव्य परायणता की जो भावना होनी चाहिए वह समाप्त हो गई है इसलिए साल भर काम नहीं करते हैं। उन अकर्मण्य और अकुशल लोगों की पिकनिक का जो कार्यक्रम बनाया है उसको "प्रशासन गांवों की ओर" नाम दिया है। मैं कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा आंकड़े नामांतरण करने के हैं। सरपंच को अधिकार है, माननीय सभापति महोदय, आप तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। सरपंच, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी ठीक ढंग से कार्य करें तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नामांतरण का एक भी मामला बाकी रह सकता है ? गोटेवाला साहब, आप और हम तो नगरीय क्षेत्र से हैं। जो काम साल भर

(श्री कैलाश मेघवाल)

तक नहीं होता है यह नियमित होना चाहिये। किसानों को तुरन्त राहत मिलनी चाहिए। फुलेरा से आने वाले विधायक कहने लगे, मेरी चुनौती है, मैं उनसे कहना चाहता हूं जितने नामांतरण के मामले निपटे हैं, 8-8, 10-10 पेशियों के बाद मौके पर निपटे हैं। यह सही है मौके पर निपटे हैं। लेकिन साल भर तक क्या किया, इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया है? क्या कारण थे कि नामांतरण के मामले पूरे नहीं हुए। हर महीने जितनी फाइलें आती हैं नामांतरण की, वह पूरी क्यों नहीं हुई क्या कारण है?

दूसरे, आपने दिये हैं, खातेदारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये लोग अगर ईमानदारी से 10 से 5 बजे, जो सरकारी दफ्तरों में काम करने का टाइम है, तक काम कर दें तो खातेदारी अधिकार नहीं मिलने का कारण नहीं रहता है? कौनसे कारण हैं? क्या कारण है···

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, उधर आलिंगन कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दीजिये।

श्री नन्दलाल मीणा : हमको शर्म आ रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : आंकड़े बड़े मजेदार हैं। आंकड़े दिये हैं। नकलें दिलवाई। कितनी नकलें दिलवाई? नकलें जो मिलनी चाहिये, 36,660 व्यक्तियों को नकलें दिलवाई।

एक माननीय सदस्य : नकली सरकार नकलें देती है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह नकलें क्यों नहीं मिलती थीं इनको टाइम पर? नकलें अगर अभियान में मिलेंगी तो हर आदमी अभियान का इन्तजार करेगा। दरख्वास्त लगा दी है अभियान में मिलेगी। कब से पेंडिंग थीं? क्यों पेन्डिग थीं, क्यों समय पर नहीं मिली? एक भी मामला किसी ने देखने की कोशिश की? इसी तरह मैं कहना चाहता हूं पेन्शन देने का काम है। पेन्शन देने का काम निरन्तर चलना चाहिये। जो वृद्ध, असहाय लोग हैं उनको पेन्शन निरन्तर मिलनी चाहिये। पेन्शन देने का काम पंचायत समितियों के अधिकार में आपने दे रखा है वे भी फार्म भरवाते हैं। विकास अधिकारी, सारा अमला, सारे आफिसर, एक्सटेन्शन अधिकारी, प्रधान, सरपंच अगर सक्रिय हैं तो पेन्शन के मामले निपटने चाहिये। आपने पेन्शन स्वीकृत की है, 40 रुपया 50 रुपया मिलती है। पेन्शन की स्वीकृति जाती है उसके आंकड़े हैं, माननीय सभापति महोदय।

अभाव अभियोग मौके पर निपटाये 52,433। साहब, इसमें ऐसा कर दिया। यह इस तरह के आंकड़े हैं। 36,268 नये आवंटियों को सहकारी समितियों में सदस्यता दी गई। सहकारी संस्था की सदस्यता मिलने वाली बात तो एक निरन्तर बात है, हरेक को मिलनी चाहिये। हर छोटे गांव में सहकारी संस्था काम कर रही है अगर उन सहकारी संस्थाओं की सदस्यता नहीं मिल रही है तो कहीं न कहीं गलती है, कार्य प्रणाली में गलती है, उसकी क्रियान्विति

(श्री कैलाश मेघवाल)

में गलती है, उसको ठीक करने की कोशिश की है क्या ? ये आंकडे हैं उसके जिसको आप कह रहे हैं प्रशासन गांवों की ओर। मैं कहना चाहता हूं अकर्मण्य प्रशासन, जो दस महीने तक चलता है, को डेढ़ महीना पिकनिक करने की सुविधा दी गई है। सारे राजस्थान में जाते हैं। कहीं पर एस. डी. ओ. साहब 5 बजे पहुंच रहे हैं। कहीं पर टाइम देकर नहीं पहुंच रहे हैं। जितने जिलाधीश, जितने दूसरे स्तर के अधिकारी हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, उन पर कितना खर्चा होगा। उधर डेढ़ महीना सारे कार्यालय ठप्प। प्रशासन गांवों की ओर जा रहा है, मजिस्ट्रेट साहब घर पर बैठे हैं, एस. डी. ओ. साहब घर पर बैठे हैं। यहां काम पड़ता है, जिलाधीश गांवों की ओर, एस. डी. ओ. गांवों की ओर सारा प्रशासन गांवों की ओर जा रहा है। अभियान शुरू करके आपने प्रशासन का जिस प्रकार मखौल खड़ा किया है, उसको बन्द करो। प्रशासन को चुस्त करो और जो काम समय पर होना चाहिए वह हो। कोई भी जिम्मेदार सरकार का व्यक्ति हो वह सुन ले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : कोई जिम्मेदार नहीं है।

श्री नरेंद्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : क्या मतलब ?

(व्यवधान)

हमारे 35 साल के प्रोडक्ट देखिये, कितने अच्छे बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण चालू रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : समझ में नहीं आयेगा आपके।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, एक बिन्दु था प्रशासन गांवों की ओर में कि प्राइमरी स्कूल में जाने के बाद बच्चे ड्राप आउट क्यों करते हैं। प्राइमरी स्कूल में जाने के बाद ये पढ़ने वाले बच्चे ड्राप आउट क्यों होते हैं...

(व्यवधान)

मैं, माननीय सदस्य, तारीफ करता हूं कि यह बिन्दु था लेकिन आंकड़े आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं दिये जिससे यह मालूम होता कि हमने पता लगाया है कि ड्राप आउट होने के क्या कारण हैं और इतने बच्चे ड्राप आउट हुए हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उसमें आपका एक बिन्दु था। माननीय राजस्व मंत्री जी ने दस्तखत करके सभी माननीय विधायकों को जो बिन्दु दिए, आपको भी मिले होंगे, सभापति महोदय, सबको उन्होंने बिन्दु दिए हैं उसमें एक बिन्दु यह भी था कि बच्चे प्राइमरी स्कूल में ड्राप आउट क्यों होते हैं, क्या आंकड़े हैं आपके पास ? पता नहीं क्यों होते हैं। क्या कारण मिले और क्या कारण नहीं मिले, किसकी गलती रहती है, आखिर यह तो आना चाहिये सामने। प्रामाणिक रूप से जो कार्य होना चाहिये वह नहीं हुआ। चूंकि यह नया काम है और यह काम किसी के जिम्मे नहीं दिया हुआ है

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसलिए यह बिन्दू था। इसको नकारात्मक बिन्दू कहा जा सकता है।

एक बिन्दू था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो जमीन आवंटन हुआ है गावों में पूर्व में, उन आवंटनों का भौतिक सत्यापन करना और नये आवंटियों को कब्जा देना। कहां आंकड़े हैं? कितने व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन किया है आपने? एक भी उदाहरण आप ऐसा बता दें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को जो जमीन आवंटित हुई थी वह आज उन्हीं के कब्जे में है...

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: पहला अभियान है।

श्री कैलाश मेघवाल: एक भी आंकड़े बता दीजिये। करने के जो काम थे वह नहीं किये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसमें यह भी था कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की जमीनें हैं वह वापस दिलवायी जायेंगी...

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, साहूकारों की सूची बना करके जिन साहूकारों के चंगुल में जो जो शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग, गरीब कृषक फंसे हुए हैं उनको ऋण से मुक्ति दिलानी थी। कहां हुआ है, किसने किया? कोई भी इस काम को करने वाला नहीं है। नकारात्मक बिन्दू था, प्रशासन गावों की ओर।

यह एक नकारात्मक बिन्दू और है जिसको किसी भी स्टेज पर प्रशासन गांवों की ओर में नहीं लिया गया है किन्तु उसका ढिंढोरा पीटना चाहते है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बड़ी तेजी से आपने कहलवाया है कि यह किया है और वह किया है। मैं माननीय गोटेवाला से पूछना चाहता हूं, आपने क्या कराया? क्या आपने नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव करवाये? नहीं करवा सके। आज राजस्थान में एक गन्दी बस्ती नहीं सारे नगर परिषद के कुछ क्षेत्र गन्दी बस्तियों की श्रेणियों में आ गये हैं चाहे वह अजमेर हो, चाहे ब्यावर हो, चाहे उदयपुर हो और चाहे भीलवाड़ा हो। जहां-जहां भी नगर परिषद हैं, वहां आपने प्रशासक बिठा रखे हैं। स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी आज यहां नहीं हैं। उन्होंने भी भाषण दिया था और कहा था कि मेरे यहां का सारा अमला भ्रष्टाचारी है, सारे लोग खाना चाहते हैं वह भ्रष्टाचारी कब नहीं थे, किसी की जड़ गोटेवाला के यहां है किसी की जड़ मुख्य मंत्री के बंगले, किसी की किसी अधिकारी के यहां है तो किसी की किसी के रिश्तेदार में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, अजमेर विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, ईमानदारी से राजस्थान के राज्य मंत्री जी यह कह दें कि वहां सफाई व्यवस्था ठीक रहती है तो मैं अभी इस्तीफा पेश कर देता हूं लेकिन...

(व्यवधान)

श्री सभापति: जवाब में देंगे।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल: आखिर ये चुनाव कब तक टाले जायेंगे? क्या अधिकार है

(श्री कैलाश मेघवाल)

चुनाव टालने का ? स्वायत्त शासन के लिये, सभापति महोदय, कान्स्टीटयूशन में है पंचायतों को स्वयत्तता मिलेगी, नगर परिषदों को स्वायत्तता मिलेगी। आज 9–9, 10–10 साल से चुनाव नहीं करवा रहे हैं। एक तरफ आप यह कहते हैं कि हम यह कर रहे हैं। यह बात भाषण में आनी चाहिये थी कि हम सहकारी समितियों के चुनाव और सहकारी संस्थानों के चुनाव करवायेंगे। लेकिन आये कैसे ? जो मुख्य मंत्री सहकारी समितियों के चुनाव करवाये वह मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर नहीं रहता है। हालत तो यह है आपकी। बिठा दिये आपने 26 विधायक केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष, 32 दूसरे कार्यकर्ता और विधायक, भूमि विकास बैंकों के अध्यक्ष। उनको कार टेलिफोन और अन्य सुविधायें हैं। उनके काम की क्या आशा है ? उन्हें मौज मस्ती की पावर्स दे रखी हैं। इन सब सहकारी समितियों के चुनाव कब करवायेंगे, यही राजस्थान सरकार की जनता जानना चाहती है, यही राजस्थान के किसान जानना चाहते हैं। सहकारिता बिना सहकारी हिस्सेदारी के एक मखौल है। सहकारिता की हिस्सेदारी तब होती जब आप चुनाव करवाते। सहकारी बैंकों में आपके चेयरमैन बैठते हैं, कौन चुनाव करवाये, कोई हिम्मत नहीं है उनमें, हिम्मत करें तो कुर्सी जाय। जिस तरह का स्वार्थ आज सहकारिता क्षेत्र में फैला रखा है उससे राजस्थान का कृषक वर्ग छुटकारा पाना चाहता है। इस सबके बावजूद भी आप कहते हैं कि यह किया, वह किया। इससे कुछ होने वाला नहीं है। सहकारिता को जीवित रखना है, आपको उसको सहकारी सिद्धांतों के आधार पर खड़ा रखना होगा। इस तरह आपने बिठा दिये हैं जिससे सहकारिता आज एक प्रकार से पंगु होकर रह गयी है। माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार जिस सीमा तक हो रहा है, अगर आप सुन लेंगे आसमान गिर जायेगा। मैंने माननीय स्पीकर महोदय से निवेदन किया, जो आपने कहा एक करोड़ की धनराशि बांटी उसमें भी 75 लाख का गोलमाल है। न औषधि दी है, न रासायनिक खाद दिया है और न कोई बीज दिये हैं। 20सूत्री कार्यक्रम की सफलता के आंकड़े एक जगह नहीं सारे राजस्थान के अखबारों में आये हैं। सहकारिता को पूरे भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। एक अधिकार है, जब मैं सहकारिता मंत्री था तब भी मैं चाहता था और मैंने कहा भी था कि यह अधिकार खतम होना चाहिये, शायद वह नोट होगा भी, वह अधिकार है कि जो सहकारी उपहार केन्द्र है, सहकारी भण्डार हैं उनसे सरकार जो भी सामान लेगी उसके लिये टेण्डर आमन्त्रित करने की जरूरत नहीं है। सहकारी भण्डार की जिनको कार्य-प्रणाली मालूम है उनको जानकारी है कि बाजार में 10 रु. में मिलने वाली चीज को सहकारी भण्डार में 25 रु. में बेचा जा रहा है। सरकार के सार्वजनिक धन पर सारे राजस्थान में डाके डाले जा रहे हैं। किस भण्डार की रिपोर्ट आप लेना चाहते हैं, सब भण्डारों का आडिट हुआ है। किसकी आडिट रिपोर्ट आप चाहते हैं? किस सहकारी उपहार केन्द्र और सहकारी भण्डार के आंकड़े आप लेना चाहते हैं ?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, सबसे इम्पार्टेन्ट मसला आज रावी-व्यास का मसला है। फुलेरा से आने वाले माननीय विधायक ने जिस प्रस्ताव का समर्थन किया उस में रावी-व्यास के मसले

(श्री कैलाश मेघवाल)

का उल्लेख होना चाहिये। रावी–व्यास का मसला, आपको मालूम है, सभापति महोदय, सारे राजस्थान को आन्दोलित कर रहा है। राजस्थान का प्रत्येक राजनैतिक कार्यकर्ता, राजस्थान का प्रत्येक जागरूक नागरिक आज इस बात को जानने के लिये आतुर है कि. .

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिये 12-13 को रिजोल्यूशन आपने रावी-व्यास का पास नहीं किया है. . .

श्री कैलाश मेघवाल : 12-13 को जो हमने निर्णय लिया है वह यह लिया है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए और राज्यों के हित की सुरक्षा को देखते हुए चूंकि उसमें हरियाणा भी था, पंजाब भी था, राजस्थान भी है और...

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, आप भी इस बात में मेरे से सहमत रहेंगे कि राजस्थान के हित, इन्ट्रेस्ट का इन्हें कोई ध्यान नहीं है। 12–13 तारीख को यह प्रस्ताव कर सकते थे। उस दिन क्यों नहीं किया और आज रावी-व्यास की बात कर रहे हैं। उस दिन क्यों नहीं किया· ·

(व्यवधान)

कुछ नहीं किया। रिजोल्यूशन पास किया ?

(व्यवधान)

कुछ नहीं किया आपने, श्रीमन् आपने किया है यह कि सन् 81 वाला जो है उसको वापस ले लिया जाय। सन् 55 के लिए क्या कहा। आपने कोई रिजोल्यूशन पास किया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी। 81 को· · ·

(व्यवधान)

किया जाय · · · ·

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : बस चलता तो ये करवाते। लेकिन बस चलने नहीं दिया। यह आर. एस. एस. वालों की कान्सप्रेसी थी उसमें यह साथ में नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, इनके समझने का अन्तर है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि माननीय पर्यटन राज्य मंत्रीजी ने कहा, यह सच है, कोई प्रस्ताव नहीं हुआ। माननीय अटलजी से स्पष्ट सवाल पूछा गया और उन्होने स्पष्ट जवाब दिया था, सारे देश के जल स्रोत राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। राष्ट्र हित और राज्य के हितों को देखते हुये बातचीत से इसका समझोता होना चाहिए लेकिन आज एक बात कह रहा हूं, ऐसे विषय पर· ·

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : सभापति महोदय, यह अपने पाइण्ट देते रहेंगे लेकिन जो असलियत कहनी थी वह इन्होंने फर्मा दी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय पर्यटन राज्य मंत्रीजी

(श्री कैलाश मेघवाल)

का आन्दोलन था, मैंने उसका जवाब दिया लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कल तो राज्यपाल ने अभिभाषण दिया था, उससे पहले राजस्थान के मुख्य मंत्री हर जगह गरज रहे हैं, बड़ी तेजी से कह रहे थे एक इन्च भी, एक बूंद भी पानी कोई नहीं ले सकता। कांग्रेस के प्रान्तीय अध्यक्ष नवल किशोर जी कह रहे हैं। सारा राजस्थान आन्दोलित है, राजस्थान की जनता राजस्थान की सरकार का रुख लेने वाली थी, इस बात से, इस दस्तावेज से जानना चाहती थी कि राजस्थान सरकार का रुख क्या है। राजस्थान की सरकार का इस सारे मामले में स्टेण्ड क्या है, किस आधार पर वह केन्द्र सरकार के सामने लड़ेगी वह आना चाहिए था। मैंने इसलिए कहा कि यह राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। जिस विषय पर सारा राजस्थान आन्दोलित है, जिस विषय पर आन्दोलन की धमकी दी जा रही है, जिस विषय पर पक्ष विपक्ष में कोई मतभेद नहीं है राजस्थान में ऐसे विषय का हवाला राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं है। अब आप बतायें कि राज्यपाल को किस बात का यह धन्यवाद देना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे राजस्थान के लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं चाहे वह बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे यातायात विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो आज राजस्थान में सब जगह भ्रष्टाचार है। राज्यपाल के अभिभाषण से यह अपेक्षा थी, इसमें यह बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार को मिटाने का या भ्रष्टाचार को समाप्त करने का क्या कदम उठाना चाहते हैं। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका शासन से काम पड़ता है, आज भ्रष्टाचार से पीड़ित है। माननीय सभापति महोदय, पीड़ित होने के साथ आज उसकी खानों में, पटवार खानों में हर जगह लुटाई हो रही है। जिससे वह दुखी है, जिसका सीधा असर उस पर पड़ रहा है आज उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या सक्रिय कार्य करेंगे। या भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, इस सम्बन्ध में राज्यपाल के अभिभाषण में एक भी शब्द नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजे हैं, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के बारे में भी एक पैरा ग्राफ है। राजस्थान की जनता, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी मेरी प्रार्थना है आप नोट करें, आज बीमार है इसके उपचार की व्यवस्था नहीं है, डाक्टर नहीं है। आज गांवों में डिस्पेन्सरीज मैडिकल डिस्पेन्सरीज और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की जो व्यवस्था होनी चाहिये वह आज राजस्थान के सब गांवों में नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पंचवर्षीय योजना में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं, छठी पंचवर्षीय योजना ने 50 हजार की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल जायेगा और हर 5 हजार की आबादी पर एक उप-केन्द्र खुल जायेगा इसके आधार पर राजस्थान की छठी योजना के जो आपके लक्ष्य हैं, वह पूरे होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, पूरे ही नहीं होंगे। आज राजस्थान में चिकित्सा की जो व्यवस्था है, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से उसके सम्बन्ध में मुद्दे उठा रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जजी

(श्री कैलाश मेघवाल)

चिकित्सा व्यवस्था से है। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन मरीज आज बिना लुटाई के अपना उपचार करा सकता है, कौन मरीज है जो राजस्थान के किसी अस्पताल में जाकर भर्ती होना चाहे और बिना पैसा दिये भर्ती हो जाता हो। कल तक जो बेईमानी हो रही थी उसको रोकने के लिए सरकार का उचित कदम था कि प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की। दूसरे क्षेत्रों में प्राइवेट प्रैक्टिस चालू नहीं है लेकिन उच्छृंखल और असामाजिक ऐसे डाक्टर, जो कि इस कल्याणकारी व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं चलने देना चाहते, के दबाव में चिकित्सा मन्त्री जी और राजस्थान के मन्त्रिमण्डल ने आकर प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट दे दी। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट देने से समस्या का निदान नहीं हुआ। आज मरीज मर रहा है बिना डाक्टर के, मरीज मर रहा है बिना इलाज के। यह आपकी व्यवस्था है। तो उपचार और दवा बिना डाक्टर के कहां मिल सकती है। आपकी व्यवस्था में कहां है प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, कहां है दवाई। आज कोई छोटे से छोटा इलाज कराने जाओ, माननीय सभापति महोदय, आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूं परिवार के लोगों को लेकर, दोस्त लोगों को लेकर, एक छोटी से छोटी बीमारी की दवाई लिखवाओ तो 50 रुपये का नुस्खा बनेगा। क्यों बनेगा? उसमें भी आजकल षड़यन्त्र चालू हो रहा है, ड्रगिस्ट, कैमिस्ट, मैन्यूफैक्चरर्स इनकी दवाई लिखो, सीधा डाक्टर का कमीशन। दवाई के बिना मरीज मर रहा है, इसकी चिन्ता नहीं। 50 रुपये की दवाई में 5 रुपये अपने हैं। अब 50 रु. की महंगी दवाई बीमारी के लिए आवश्यक है कि नहीं लेकिन नुस्खा है। सारे राजस्थान में चिकित्सा में जो अव्यवस्था हो रही है, सरकारी औषधालयों में चाहे ऐलोपैथी या आयुर्वेद हो, आयुर्वेद का तो भगवान ही मालिक है, मैं उसकी चर्चा अलग से करूंगा जब आयुर्वेद पर चर्चा होगी। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आज चिकित्सा के क्षेत्र में····

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो आपके रिश्तेदार हैं, क्यों बोलो।

श्री कैलाश मेघवाल : आप भी बहुत नजदीकी हो।

तो मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपने लिख दिया यह किया, वह किया। इससे राजस्थान की जनता को राहत नहीं मिलेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। 5 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं नियोजन कार्यालयों में, वह 5 लाख लोग तो वह हैं जो रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, एक प्रावधान है अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को नियोजन कार्यालय में बिना सूचीबद्ध हुए भी नौकरियां मिल जायेंगी। इसकी वजह से अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग वहां नाम नहीं लिखाते, वह अलग हैं। सारे राजस्थान में बेकारी की समस्या मुंह बाये खड़ी है। बेकारी की समस्या को हल करने के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में जो ट्राइसम और बेरोजगारों के लिए स्व-

(श्री कैलाश मेघवाल)

रोजगार की बात कही है, यह ऊंट के मुंह में जीरे से अधिक कुछ नहीं है। इस कारण राजस्थान के लोगों का आर्थिक आधार सुदृढ़ नहीं हो सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें अस्पृश्यता निवारण के लिए लिखा है, हरिजनों की बात की है और हरिजनों की बात करके राज्यपाल के अभिभाषण में लिखा है, राजस्थान में कहीं भी सामूहिक आक्रमण नहीं किया गया, उत्पीड़न के, अत्याचार के मुकदमे नहीं हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, यह प्रगतिशील, यह गतिशील हमको प्रतिक्रियावादी और रिएक्शनरी कहने वाले आज जिस तरह की राजस्थान में यथास्थितिवाद बनाये हुए हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज राजस्थान का शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति जितना पीड़ित, दलित है और जितनी कुण्ठा महसूस कर रहा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक उदाहरण क्या अनेक उदाहरण दे सकता हूं। आपकी पुलिस का जो मैस चलता है जयपुर में एस. पी. साहब के अण्डर में, वहां एक शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति मैस में चला गया तो घड़े फोड़ दिये, लोगों ने उसे निकाल दिया और कह दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके पुलिस अधिकारियों ने उसको दूदू भेज दिया और उस पर भी आप कहते हैं, हम छुआछूत मिटायेंगे। आप सोशिओ इकॉनामिक आर्डर की बात करते हैं। मारे और रोने नहीं दें, यह हालत है, पुलिस विभाग की। नन्दलालजी की सूचना है, पुलिस विभाग की यह हालत है। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं, दिल टटोल कर गांवों से आने वाले प्रत्येक विधायक, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का प्रत्येक विधायक यह कह दे कि राजस्थान में अस्पृश्यता नहीं है। अगर अस्पृश्यता है तो प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट एक्ट, (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955) जो पहले अनटचेबिलिटी आफेन्सेज एक्ट था, के अन्तर्गत कितने मुकदमें बने, कौन सुनने वाला है। थानों पर जाने पर कोई सुनवाई करता नहीं। सारे दफ्तरों में इस तरह की शिकायतें हैं एक के बाद एक सैंकड़ों प्रार्थना-पत्र इस तरह के मेरे पास पड़े हैं कि सरकारी कार्यालयों में जो शिड्यूल्ड कास्टस् और शिड्ल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको अलग मटके से पानी पीने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके लिए अलग से पानी की व्यवस्था की जाती है। आज गांवों में हर जगह शिड्यूल्ड कास्ट का कुआ अलग खुदेगा, अलग हैण्ड पम्प खोदे हैं, स्वीकार कर लिया आपने, छुआछूत रहेगा, स्थायी रूप से रहेगा। आज वह लोग यह बात करते हैं, जिनकी छुआछूत की वर्तमान व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने की नीतियां चल रही हैं, वह लोग यह कहते हैं कि राजस्थान में कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। उत्पीड़न होगा कैसे नहीं, आज कोई उठते हैं तो जो प्रक्रिया दी हुई उसके आधार पर उन पर चोट पड़ती हैं, उनको कोई राहत नहीं मिलती है। उनको किसी तरह का न्याय नहीं मिलता है, थानों में जायं तो उन पर डन्डे पड़ते हैं, सारे पश्चिमी राजस्थान की हालत, बाड़मेर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कहीं पर दूल्हे को घोड़े से उतार दिया गया, कहीं हवेली के सामने से आदमी जूते पहन

(श्री कैलाश मेघवाल)

कर गुजर नहीं सकता। आज यह वाकये राजस्थान में हो रहे हैं और राजस्थान की सरकार बेशर्मी से यह कहना चाहती है कि हम एक अच्छा सोशिओ आर्डर स्थापित करना चाहते हैं। कौनसा सोशिओ आर्डर ? मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, आज आखिर है क्या ? क्या राजस्थान का पददलित, दबा हुआ, पीड़ित तबका जो आइडेन्टीफाइड है; शिड्यूल्ड कास्टस् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सामने क्राइसिस आफ इकॉनामी नहीं है, क्राइसिस आफ स्टेटस नहीं है ? इसका सामाजिक स्तर क्या है ? सामाजिक मान्यता में वह कहां खड़ा है ? आज जो क्राइसिस आफ स्टेटस की स्थिति है, उसको ठीक करने की, उसको सुधारने की चुनौती को स्वीकार करने का एक भी शब्द राज्यपाल के अभिभाषण में है क्या ? जो अस्पृश्यता समाप्त करना चाहते हैं वह अस्पृश्यता बढ़ाने वाले लोग हैं। मैंने पिछले साल भी जब मुख्य मंत्री जी ने गवर्नर एड्रेस के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुए वाद-विवाद का जवाब दिया था, मेरा नाम लेकर और यह भी कहा कि मेरे मित्र हैं, उन्होंने यह कहा है पर आज भी वही चार्जेज ज्यों के त्यों हैं। केन्द्रीय सरकार ने निर्देश दिये हैं, यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन ने निर्देश दिये हैं कि विश्वविद्यालय में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का संरक्षण होना चाहिये और जो भी सरकार में स्थान हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का संरक्षण होना चाहिए, उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं उधर की तरफ बैठने वाले किसी भी आदमी की आत्मा को झकझोरता हूं, एक नहीं, पिछले दस बारह सालों से लगातार इस तरह के निर्देश केन्द्रीय सरकार दे रही है। इस तरह के निर्देश यूनिवर्सिटी ग्राण्ट कमीशन दे रहा है। इस तरह के निर्देश शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर दे रहे हैं। कहां चली गई आपकी सारी मानवता, कहां चली गई आपके पिछड़ों को उठाने की भावना ? कहां चली गई शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति आपकी भक्ति भावना, प्रतिबद्धता। आज एक भी इस तरह के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात तो छोड़िये, यहां बैठे हैं सभी, कांग्रेस-आई के विधायक भी बैठे हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बन्धु भी उनमें होंगे...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो ओपनिंग बैट्समैन हूं, साहब। ओपनिंग बैट्समैन को तो पूरा समय मिलता है। अब तक मिलता रहा है।

श्री सभापति : तीन घण्टे में से आप 55 मिनट ले चुके हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, इतना नहीं हुआ है। खैर, पांच दस मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता दूं कि आपके महकमें में ही क्या आप कह सकते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन के, डायरेक्ट भर्ती के सारे आदेश माने जा रहे हैं ? जो मिनिमम योग्यता,

(श्री कैलाश मेघवाल)

न्यूनतम योग्यता उस भर्ती में होने वाला रखता है, ऐसी न्यूनतम योग्यता वाले व्यक्ति को आपने सीधी भर्ती में नहीं लिया। न केवल भर्ती में, पदोन्नति में भी नहीं लिया गया है। एक नहीं राजस्थान की जो 94 या 104 सेवायें हैं, माननीय सभापति महोदय, एक सेवा ऐसी नहीं है राजस्थान की जहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये भर्ती, सीधी भर्ती में और पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान हैं उनका पालन हुआ हो। उनको पूछने वाला कोई नहीं। कोई उसका उपचार करने वाला नहीं है। हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के मंत्री महोदय बैठे हैं, उनके पास इस तरह के लोग जाते हैं कि हमको निकाल दिया, हमको पदोन्नति नहीं मिल रही है। हमारे यहां इस तरह की गड़बड़ हो रही है। रोस्टर सिस्टम लागू नहीं है। ऐसी शिकायतें आती हैं, आखिर क्या कारण है? या तो आप साफ घोषणा करो कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। आज राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कर्मचारी सारे राजस्थान में, माननीय सभापति महोदय, कुंठित हैं, पीड़ित हैं, दुःखी हैं। आदेश जो सरकार ने कर रखे हैं उनका पालन नहीं हो रहा है, कोई न कोई तरीके से। मैं एक उदाहरण देता हूं। गये साल यातायात विभाग में एक इन्सपेक्टर की जगह रिजर्व रखी। गये साल, तारीख लाना मैं भूल गया। एक साल हो गया वह जगह नहीं भरी। दूसरी जगह दूसरे लोगों से भर दी गई। वह खाली थी वह नहीं भरी। रोस्टर कहीं नहीं है। चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के अभियन्ता हों, चाहे सिंचाई विभाग के हों, चाहे बिजली विभाग के हों, एक विभाग ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जवाब आए तो मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई तो माई का लाल किसी विभाग का प्रभारी मंत्री तो यह कहे कि मेरे यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सीधी भर्ती, पदोन्नति के अन्दर रोस्टर की पूरी तरह पालना हो रही है और उस पालना में कोई प्रमाण दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि प्रमाण में एक विभाग तो है। यह बात मैं कहना चाहता हूं····

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): सभापति महोदय, अभी साढ़े तीन हजार क्लर्क राजस्थान के सभी जिलों में भर्ती करने के आदेश निकाले गये हैं। साढ़े तीन हजार। यह आपकी सूचना के लिए है।

(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल: जो आदेश निकाले वे तो फाइलों में दबे रहे हैं अभी।

श्री कैलाश मेघवाल: माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं आपका प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट एक्ट, जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, माननीय डांगी साहब, आप कह दीजिये या माननीय चेतरामजी मीणा साहब, आप कह दीजिए, क्या आपने इसको पूरा पढ़ा है, क्या इसमें जो प्रावधान हैं उनकी पालना की गई है? इसमें सब तरह की सुरक्षा है, इसमें सब तरह के प्रोटेक्शन हैं, किस तरह से उसको अधिकार

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिलाना पड़ेगा, किस तरह से इनीशियेटिव लिया जायेगा, उसमें यह दे रखा है। क्या आपने पढ़ा है ? उसके हिसाब से काम हो रहा है राजस्थान में ? ना ना। मैं कहना चाहता हूं कि सागड़ी प्रथा है; अभी आपने कहा कि दो सौ बन्धुआ मजदूर हैं। दो सौ बन्धुआ मजदूर हैं। यहां आदिवासी इलाकों से आए हुए बहुत अधिक माननीय विधायक बिराजे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सागड़ी प्रथा का उन्मूलन हो गया उनके इलाकों में। सलूम्बर से आने वाले कह दें, खैरवाड़ा से आने वाले कह दें···

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि हम तो जो भी सीधी भर्ती कर रहे हैं, एम्पलायमेंट एक्सचेंज के मार्फत कर रहे हैं। उसमें हमने इन्स्ट्रक्शन दे रखा है कि उनके अन्दर इनका जितना पर्सेन्टेज है उसके हिसाब से हर एक इण्टरव्यू में भेजो। आपने तो सारे नियम ताक में रख दिये थे। एम्पलायमेंट एक्सचेंज को खतम कर दिया था। जो आपका लेबल लगा कर पहले आए उसको आपने भर्ती किया। आपके टाइम के कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं, आप बताइये।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा है, कुछ जागा है, आत्मा झकझोरी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने वह आदेश देखा है जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों को एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह मुझे मालूम है।

श्री कैलाश मेघवाल : मालूम है ?

उसके बाद वह नहीं होता। वहां से जो सूची मंगाते हो उसमें वह बात नहीं होती, यह मेरा कहना है और इसलिए भर्ती नहीं हो रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुनो, आप जोर से कितना भी बोलो, जब चीफ मिनिस्टर रिप्लाई देंगे, माननीय सभापतिजी, हमारे मुख्य मंत्रीजी रिप्लाई देंगे, हम आपके सामने आंकड़े पेश करेंगे कि आपकी सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने भर्ती किए, कितनों को पदोन्नति दी और हमारी सरकार के आने के बाद में हमने कितनों को दिया और कितनों को नहीं दिया।

श्री कैलाश मेघवाल : हमारी सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की विशेष भर्ती का आयोजन किया था। हमारी सरकार ने राजस्थान के महाविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लेक्चरर को भर्ती में कन्सेशन दिया था, संरक्षण दिया था···

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह आपकी आइडियोलोजी के लिए नहीं किया था।

एक माननीय सदस्य : माननीय मेघवाल ने यह किया था कि XXX

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(९५)

श्री खेतसिंह राठौड़ : XXX

श्री सभापति : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, माननीय यातायात मंत्रीजी की निगाह तो एक ही है। वे हमेशा जब भी बोले हैं, बारह साल के बाद भी बोले तो भी XXX तर्क का जवाब तर्क से दीजिए। इस तरह की हल्की बातें मत कीजिए।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने तो यह कहा है कि मैंने देखा है तीन साल तक। मेघवालजी, मैंने आपको देखा है तीन साल तक...

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री मोहनलाल मोदी : XXX इनकी तो बात सही हो सकती है लेकिन आपकी बात कहां सही होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य :

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यातायात मंत्रीजी, आपके लिए तो जो एक किताब छपी है वही काफी है, मुझे कुछ नहीं कहना है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विश्वविद्यालय, सौभाग्य से हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षा मंत्रीजी बिराजे हुए थे अभी चले गए, आज सारे राजस्थान में ठीक समय पर परीक्षाएं नहीं हुई। आज सारे राजस्थान में परीक्षा की पवित्रता समाप्त हो चुकी। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति बार-बार कहते हैं कि यह विश्वविद्यालय अनियंत्रित विश्वविद्यालय है। इतना विशाल इसका क्षेत्र हो गया कि नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यही बात माननीय राज्यपाल महोदय ने तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बुला करके जब कही, उनके सामने भी यह कहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं राजस्थान के नवयुवकों से सीधा सम्बन्ध रखने वाली इस उच्च शिक्षा के बारे में राज्यपाल महोदय के सारे अभिभाषण में एक लफ्ज नहीं कहा है। एक लफ्ज भी नहीं कहा है, माननीय सभापति महोदय। आखिर कहां ले जाना चाहते हैं राजस्थान को। या तो सुरेन्द्रजी व्यास, जो विश्वविद्यालय के शिक्षा के प्रभारी मंत्री हैं, के महत्व को कम करने की कोशिश की गई है या राजस्थान के विश्वविद्यालय की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया गया है। "उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष नये विषय, वर्ग विभिन्न महाविद्यालयों में प्रारम्भ किये गये हैं।" बस यह उच्च

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

शिक्षा है राजस्थान की। राजस्थान विश्वविद्यालय में कई दिनों तक हड़ताल सब जगह चली। उच्च शिक्षा का सीधा संबंध है चिन्तन और मनन से। उच्च शिक्षा का सीधा संबंध है विश्वविद्यालय से, यह वह मंच है जो मंच दिशा देता है समाज को। आज इस दिशा देने वाले मंच की हालत, राजस्थान में उच्च शिक्षा की हालत खराब कर दी गई है उसको सुधारने के बारे में क्या प्रयास किये जा रहे हैं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उसका समावेश नहीं किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सागड़ी उन्मूलन अधिनियम एक प्रगतिशील अधिनियम है। माननीय सदस्य, गोटेवाला साहब और कई बंधु सागड़ी उन्मूलन विधेयक राजस्थान में जब पास हुआ उस समय यहां बैठे होंगे। मैंने उनसे पूछा है, क्या सागड़ी प्रथा आज राजस्थान में समाप्त हो गई? और नहीं हुई तो राजस्थान में पिछले एक साल में इस सागड़ी उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत एक मुकदमा भी बता दीजिये। सारा आदिवासी इलाका गुलाम पड़ा है कई लोगों का। आदिवासी इलाके से आने वाले माननीय विधायक से निवेदन करना चाहता हूं, वह आंकड़े बतायें अगर मैं गलत हूं तो स्वीकार कर लूंगा कि सागड़ी प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और अब कोई केस नहीं बन सकता है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं,

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : दिल्ली में एक रिपोर्ट भेजी गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे यहां बंधुआ मजदूर नहीं है हमारे यहां सागड़ी हैं। सागड़ी बंधुआ मजदूर हैं। इनसे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत दयनीय स्थिति के बंधुआ मजदूर हैं, मैं, माननीय सभापति महोदय।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नीरस अभिभाषण, कहीं से तो प्रेरणा लेते। संविधान में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल 47 नम्बर का है या 48 नम्बर, उसमें एक बात कह रखी है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। वह स्वास्थ्य ठीक करने के लिये जिस तरह न्यूट्रीशन डाइट की आवश्यकता होती है वह उसको मिलनी चाहिये।

शराबबंदी के बारे में क्या कहना है आपका। बिलकुल एक शब्द नहीं है। आपने शराबबंदी खोली। आपने कई उसके तर्क दिये। आपने राजस्थान की आय का तर्क दिया। आपने राजस्थान में यह कहा कि बंद नहीं हो सकती है। मद्यनिषेध को राजस्थान में निरस्त किया जा सकता है जिसको आप स्वीकार कर चुके हैं।

संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निर्देशक तत्व हैं उसमें स्पष्ट लिख रखा है आय-व्यय की सीमा कम होनी चाहिये। फुलेरा से आने वाले माननीय विधायक चले गये, वह कह रहे थे कि इम्बैलेंस इकॉनामी में नहीं होना चाहिये। अच्छी बात है। कांस्टिट्यूशन आफ इण्डिया में वही बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कही गई है। लेकिन आज सारी पूंजी सीमित होती जा रही है कुछ हाथों में। आम, जिस गरीब आदमी के लिये कहा गया है इस संविधान में, माननीय सभापति महोदय, गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार मत दो,

(श्री कैलाश मेघवाल)

रोजगार नहीं उनको रिसोर्सेज ग्राफ दी प्रोडक्शन दीजिये। रिसोर्सेज ग्राफ दी प्रोडक्शन का मालिक बनाइये। ऐसे रिसोर्सेज दीजिये, जिनका स्थायीत्व हो। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं ऐसे रिसोर्सेज देने की कोई बात नहीं कि हमने इतनों को मजदूरी दी, जिसमें इतने शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, हमने इतनों को वृद्धावस्था पेंशन मंजूर की जिसमें इतने शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिडयूल्ड ट्राइब्स के हैं।

अकाल ग्रौर राजस्थान दोनों साथ-साथ चलेंगे। अकाल का स्थायी हल क्या है। ग्रापने अकाल का हर भाषण में जिक्र किया है, हर भाषण में कहा, अकाल राहत कार्यों पर हमने इतने लोग लगाये। कब वह स्थिति ग्रायेगी, जब ग्राप यह कह सकेंगे यह हमारे प्रयत्न हैं, यह शासन के प्रयत्न हैं इन प्रयत्नों से हमने राजस्थान को अकाल से बाहर फेंक दिया है। ग्रापका उस दिशा में काम करने का कोई प्रयत्न है? ग्रापका उस दिशा में ग्रागे बढ़ने का कोई कार्यक्रम है? ग्रापका कोई उस दिशा में?

स्टेबलाइज्ड सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे फुलेरा से ग्राने वाले माननीय विधायक। वह होते तो मैं उनसे पूछता, शायद दूसरे मंत्रियों को स्टेबलाइज्ड सिविलाइजेशन के बारे में मालूम नहीं होगा, उनको कहीं से मालूम है। मैं पूछूं, स्टेबलाइज्ड सिविलाइजेशन के लिये क्या प्रयत्न चल रहे हैं थार के रेगिस्तान ग्रौर ग्रर्द्ध रेगिस्तानी इलाके में।

यह एक ऐसा अभिभाषण है जिसमें कुछ नहीं है। राजस्थान की जनता की किसी भी मौलिक समस्या के हल की कोई दृष्टि नहीं देता, दिशा नहीं देता, मरहम नहीं लगाता। ऐसे भाषण का समर्थन, माननीय सभापति महोदय, करने में मेरी तत्परता नहीं है। यह यू. डी. सी. ड्राफ्टेड दस्तावेज है। इस दस्तावेज को खारिज करें, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, ग्रगर ग्रब भी इनके जजबात जागे हों, इनके सिद्धांत जागे हों, इनका राजनैतिक दर्शन जागा हो तो ग्राज इसको विथड्रा कीजिये। यह एक टेबुलेटेड फार्म ग्राफ दी स्पीच है, इसको हटाइये। राजस्थान के निर्माण का नक्शा ग्रपने दर्शन के ग्राधार पर पेश कीजिये। क्या कल्पना है, कौनसी दिशाएं हैं, किधर ग्राप जाना चाहते हैं, राजस्थान की जनता कब पूरी चिकित्सा पायेगी, राजस्थान में कब सब साक्षर हो जायेंगे, राजस्थान में ग्रस्पृश्यता कब समाप्त हो जायगी, राजस्थान के सब वर्ग सही ढंग से कब जी सकेंगे, ऐसी कल्पना हो राज्यपाल के ग्रभिभाषण में। वह नहीं है इसलिये बहस बड़ी नीरस है। कुम्हेर से ग्राने वाले माननीय विधायक ने...

श्री सभापति : समाप्त कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मुझे क्षमा करें, वही सारे भाषण के ग्रांकड़े दोहराये थे ग्रौर बाद में फुलेरा से ग्राने वाले माननीय समर्थक विधायक ने वही ग्रांकड़े दिये। यह ग्रांकड़े पढ़वा दिये हैं राजस्थान के किसी यू. डी. सी. के बनाये हुए। राज्यपाल के ग्रभिभाषण, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, का समर्थन करने को मैं तत्पर नहीं हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

97

श्री सभापति : श्री अमरारामजी।

(अनुपस्थित)

श्री हरीश शर्मा)।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय सभापति महोदय, आज मुझे गहरा दुःख है, एक ऐसी पुस्तिका मुझे दी गई जिसमें प्रदेश के गरीब, बेरोजगार और ऐसे लोगों की कोई बात नहीं कही गई है जिनके पास रहने को मकान नहीं है। इसमें जिस बात का इन्होंने बार-बार उल्लेख किया है वह है प्रशासन गांवों की ओर। माननीय सभापति महोदय, वास्तविकता यह थी प्रशासन गांवों की ओर नहीं था भ्रष्टाचार गांवों की ओर था। आफिसों में से उठकर भ्रष्टाचार गांवों की ओर चला गया। जो प्रशासन आफिस में बैठकर 10 रुपया लेता था उसने गांवों में 50 रुपये लिये। उनसे लड्डू बांटे और खाये। यह हर जगह हुआ है, मेरे इलाके में हुआ है। इसमें तो कोई शक नहीं, लगातार यह चला।

माननीय सभापति महोदय, इसके दूसरे पृष्ठ पर जो लिखा है, वह बहुत गलत बात है। लिखा है कि यह वर्ष मूलतः गरीबों के विकास का वर्ष रहा। यह बिलकुल गलत और असंगत बात है। उनके विकास का नहीं उनके शोषण का वर्ष रहा है। इसके मैं प्रमाण आपको देता हूं। यह गरीबों के शोषण का वर्ष है, आप यहां जो बैठे हैं वह सुन लें ध्यान से इस बात को। इन्होंने बैंक से लोन दिलाये गरीबों की गरीबी मिटाने के लिये, पिछड़े को पहले लाने के लिये। इन्होंने चौमेला झालावाड़ जिले में शिविर लगाया लोन शिविर। मैं आपको बताता हूं कि उसमें इन्होंने क्या-क्या किया। माननीय सभापति महोदय, ऋण दिया गया मालदार आदमियों को और पागलों को। जो नजदीकी आदमी थे अधिकारियों के उन्होंने खूब रुपये खाये और नाम लिखाये गरीबों के। इसके मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं, यह देखिये, प्रमाण-पत्र बिलकुल ब्लैंक, मैं सुना देता हूं आपको। प्रमाणित किया जाता है कि श्री ---- पिता श्री---- उम्र क्या है वह भी---- बी.डी.ओ. पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ के कई उपलब्ध फोटो हैं, प्रमाणित। यह मेरे पास ओरिजिनल भी है और यह बैंक में दे दिये उन्होंने।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पंचायत राज मंत्री को ले जायें इसको दिखाने के लिये।

श्री हरीश शर्मा : मैं कह सकता हूं। इतना गबन हुआ है, इतना घोटाला हुआ है इसका आप परिणाम सुन लें कि गरीब लुट जायेंगे, उनके घर कुड़की हो जायेंगे, उनके बैल बिक जायेंगे, जमीन कुर्क हो जायगी। यह दस हजार का लोन फार्म ब्लैंक फार्म है, इस पर बी.डी.ओ. के साइन, तहसीलदार के साइन हैं। बिलकुल खाली फार्म हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भाषण चालू रखें।

श्री हरीश शर्मा : यह तो ड्यूज प्रमाण-पत्र। माननीय सभापति महोदय, मैं अपना बयान जारी रख रहा हूं। इतना ठोस मामला है जिसमें कम से कम पांच हजार परिवार गरीबों के उजड़ जायेंगे। वह आसाम की स्थिति कर देंगे या तो उनको गोली से उड़वा देंगे आप या वह ऋण नहीं देंगे। किसानों ने लिखकर दिया है बैंक मैनेजर को, माननीय सभापति महोदय, कि मुझे कोई ऋण नहीं

(श्री हरीश शर्मा)

दिया गया। मेरे नाम कैसे लोन निकाल लिया गया। यह उनकी लिखी हुई दरख्वास्त है, उस गरीब किसान का उसमें नाम है। पुरसिंह, पिताजी का नाम लक्ष्मणसिंह, ग्राम जेताखेड़ी का। उसने लिख कर दिया है कि मुझे कोई ऋण नहीं दिया गया। उसके नाम ऋण लिखकर देकर गया है। क्या यह आप गरीबों का उत्थान कर रहे हो या पिछड़ों को आगे ला रहे हो या अधिकारियों की जेबें भर रहे हो। माननीय सभापति महोदय, पंचायत समिति डग का बी.डी.ओ. चीफ परियोजना अधिकारी है और वही बी.डी.ओ. वेटरिनरी डाक्टर है, तीन पावर एक को दे दी गई। चीफ प्रोजेक्ट आफिसर था सोमदत्त, उसने और ××× कैम्प लगाते थे रात को, रात भर चलाते थे, ताकि यह नहीं देख सकें बकरियों, गायें जो ले रहे हैं, या ऋण दे रहे हैं अच्छी हैं या खराब हैं। आज दी और कल मर गई, यह स्थिति हुई। क्या यह गरीबों को ऊपर ला रहे हो। क्या यह 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा कर रहे हो या जनता को धोखा दे रहे हो। इस प्रदेश को धोखा दे रहे हो। आप कब तक धोखा देंगे। माननीय सभापति महोदय, स्थिति यही नहीं बहुत ही दयनीय है। इन्होंने जो आगे कहा है पशुधन के विकास के बारे में, माननीय सभापति महोदय, मेरे सामने गृह मंत्री बैठे हैं जो जाति से गुर्जर हैं हमारे कोटा के खेलकूद मंत्री बैठे हैं वह भी जाति से गूजर हैं। मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, कोटा जिले की तहसील लाड़पुरा में दशहरे के समय अति-वृष्टि हुई उस दौरान जो गूजरों के गांव लगते थे उनमें 14 हजार पशु मारे गये, सड़ते रहे, बदबू आती रही पर उठाया नहीं। डूब मरो तुम, क्या किया, 14 हजार पशु मर गये। उनको कोई अनुदान नहीं दिया, मैंने उनको कहा, आप जाइये। मैंने मुख्य मंत्रीजी से बात की कि इनको अनुदान दीजिये। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इनको अनुदान नहीं दे सकते। वे अनुदान किसको देंगे ?

माननीय सभापति महोदय, यह सहकारिता का उत्थान करना चाहते हैं। कोटा जिले में शाहबाद आदिवासी क्षेत्र है। वहां रेतीली भूमि है। पत्थर ही पत्थर है। केवल एक जगह कुएं का पानी है। पूरा एरिया सूखा है। वहां रिजर्व बैंक द्वारा तीन करोड़ रुपये मिले थे कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक कोटा को गन्ना विकास के लिये। परिणाम क्या हुआ ? गन्ना विकास के लिये लोन दिया गया और 2.33 करोड़ रुपये अधिकारी खा गये। उस समय वहां के चेयरमैन थे श्री पी. एन. भण्डारी, कलेक्टर कोटा। 3 करोड़ में से 2.33 करोड़ खा गये। मेरे पास प्रमाण हैं पूरे। यह भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट है। यह मेरी नहीं, उनके बैंक की रिपोर्ट है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासी एरिया उत्थान के लिये हर साल करोड़ों रुपये देते हैं। यह बार-बार देते हैं और अधिकारी छीन ले जाते हैं। यह रिपोर्ट हैं सैंट्रल बैंक की, मेरी नहीं है। यह ओरिजिनल है सारी। उनका लिखा हुआ पत्र है। इसमें साफ कहा गया है उनके बारे में, सभापति महोदय। इतना जबर्दस्त मामला है कि जिलाधीश कोटा श्री महेशचन्द, जब इसका सत्यापन किया जा रहा था, ने कहा कि सत्यापन बन्द कीजिये। यह क्या बकवास

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरीश शर्मा)
है, क्यों सत्यापन कर रहे हो, क्योंकि उनके अधिकारी फंसते थे। माननीय सभापति जी, इसीलिये जिलाधीश कोटा, श्री परमेशचन्द, जो यू. आई. टी. के चेयरमैन भी थे, ने अपनी सुरक्षा के लिये मुख्य मंत्री के सेक्रेटरी, जो आदर्श किशोर सक्सेना है, को कोटा यू. आई. टी. की जमीन बिना नीलाम के दे दी। आदर्श किशोर सक्सेना के रिश्तेदार लखनऊ में रहते हैं, प्रमाण है मेरे पास। मैं चैलेन्ज करता हूं। मेरे पास सब के आंकड़े हैं। उनको जमीन दी गई।

मुझे इस बात पर गुस्सा आता है। आप आसाम पर उछलते हो। वहां रोजाना एक उधम सिंह को गोली मार रहे हैं। जलियांवाला काण्ड हो रहा है। इनको शर्म नहीं आ रही है। गबन घोटाले हो रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री हरीश शर्मा : मैंने तो इतनी लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं। I challenge you at any cost, अरे, इन्दौर में क्या हुआ ...

(व्यवधान)

भोपाल में तो भाग गये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति महोदय, डिस्टर्ब न करे, जरा इनको रोकिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया चालू रखें।

श्री हरीश शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेडिकल सत्यापन रिपोर्ट की एक कापी पढ़ कर सुनाता हूं जिसमें उन्होंने भौतिक सत्यापन लिख कर दिया। किसानों ने कहा, मुझे ऋण दिया गया 2400 रुपये। मैंने गन्ना नहीं बोया। मेरे पास भूमि नहीं है। यह चाहें तो सत्यापन रिपोर्ट ले सकते हैं। मेरे पास ओरिजिनल है और फोटो स्टेट कापी है। चाहे तो ले सकते हैं। आप 2.33 करोड़ रुपये खा गये तीन करोड़ में से। जिम्मेदार आप हैं। मेरे पास प्रमाण है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। यह सत्य बात है, निराधार नहीं। आरोप अलग चीज होता है।

मैं गृह मंत्रीजी से दुबारा यह बात कहूंगा कि लाड़पुरा जरूर जायं। वहां गूजर ही गूजर रहते हैं। उनके पशु मर गये। उनका जीवन पशुओं पर आधारित था। 14 हजार पशु मर गये। आप देखें, आपको मालूम पड़ जायेगा कि क्या हुआ।

माननीय सभापतिजी, विद्युत् की बड़ी बात हुई है। ऊर्जा की बहुत चर्चा कर रहे थे। मैं पूछूंगा सरकार से कि जीवन बीमा निगम को ऋण के लिये आवेदन किया था। उन्होंने मना कर दिया कि लोन नहीं देंगे क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। जीवन बीमा निगम ने कहा, आप जब तक रिजर्व बैंक की गारन्टी नहीं ले आते लोन नहीं मिलेगा।

आप कोटा थर्मल की चर्चा कर रहे हैं। यह आज तो क्या दस साल में भी नहीं बन सकता। वहां न तो कोयला है, न सामान है और न पानी है। स्थिति बड़ी खराब है। अगर उसको जाकर चैक करें, माननीय गृह मंत्रीजी, मेरी बात पर ध्यान दें। मेरे पास

(श्री हरीश शर्मा)
हर डिपार्टमेंट की न्यूज है जो प्रमाणित है, इस बात को सोच लें। थर्मल का आपका काम चालू नहीं होगा झूठे आश्वासन न दें। कारण, वहां कोयला गायब है, इधर से उधर चला जाता है एक टावर बनाते हैं, दूसरा टूट जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है ? लाड़पुरा पंचायत समिति सन् 80 में सौ प्रतिशत मंजूर हो गई थी। वहां आज तक एक गांव का विद्युतीकरण नहीं किया। यह प्रोग्रेस है आपकी। एक गांव को बिजली नहीं दे सके। एक कुएं पर बिजली नहीं लगाई गई आपसे। क्यों झूठे आंकड़े देते हैं।

इस पुस्तिका के पृष्ठ 33 पर आपने कहा है आवासन सुविधा के बारे में। यह तो सभी माननीय विधायक जानते हैं कि आवासन मण्डल की स्थिति कितनी खराब है। यह वास्तव में आवासन मंडल है क्या ? सीमेंट की जगह लेमेण्ट लगा रहे हैं। कोटा, जयपुर की स्थिति यह है, दिल्ली में भी यही हुआ। मकान बन कर गिर जाते हैं। छतें टपकने लग जाती हैं लेमेण्ट की वजह से। सीमेण्ट नहीं लगा रहे हैं आप। क्यों गरीबों को मारते हैं आप। सन् 73 में भरे हुए जिनके फार्म हैं, आज तक उन्हें मकान नहीं मिल रहे हैं। यह स्थिति आपकी है। ऐसी स्थिति में भी आप बार-बार गरीब जनता को आवासन सुविधा देने की चर्चा करते रहते हैं।

आप पेयजल की बात करते हो। पश्चिमी राजस्थान आज तक सूखा रेगिस्तान पड़ा हुआ है। यही नहीं, कोटा जिले में एक पट्टी तहसील लाड़पुरा की है जहां पानी नहीं दे सके आप। गांव के गांव जहां प्यासे हैं वहां एक बूंद पानी नहीं पिला सकते आप।

आप सिंचाई के उत्थान की बात करते हो। कोटा जिले की तीन लिफ्ट इरिगेशन योजना ऐसी हैं जिनकी मंजूरी कर दी टेण्डर हो गये किन्तु काम बन्द पड़ा है। वर्क आर्डर नहीं मिला। काम बन्द पड़ा है। आप किससे सिंचाई करना चाहते हैं ?

कृषि उपज मंडी की बात करते हैं। आपने जो बीज दिया कोटा जिले में, मैं पूछूंगा, अगर कृषि मंत्रीजी यहां हों, कोई जिम्मेदार मंत्री हो कि जो बीज किसानों को आपने दिया उसमें से एक भी बीज उगा क्या ? किसानों के पैसे अलग खराब हो गये। कितने किसानों की बर्बादी हुई होगी।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु जलता हुआ है जिससे पूरा राजस्थान झुलस रहा है, वह है शिक्षा का। आज तक यूनिवर्सिटी में चुनाव हो रहे हैं एडमिशन हो रहे हैं। उनकी परीक्षा कब होगी ? रिजल्ट भी नहीं निकाले गये अभी तक। यह यूनिवर्सिटी की हालत है। मेरा सुझाव है, राजस्थान यूनिवर्सिटी बन्द कर देनी चाहिये या फिर राजस्थान में तीन यूनिवर्सिटी खोलें अजमेर, बीकानेर और हाड़ौती कोटा में। यह बहुत आवश्यक है। यहां कम से कम 5 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है। न तो उनको मार्क-शीट पूरी देते हैं, न एडमिशन कार्ड और रोल नम्बर मिलते हैं। इतनी व्यवस्था खराब है। इसके परिणामस्वरूप यहां आये दिन हड़तालें होती रहती हैं, जिनकी ओर शिक्षा मंत्रीजी ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा, जो भी बात आप करते हो शिक्षा की, सब राजनैतिक आधार पर निर्णय करते हो। जैसे मैं विरोधी

(श्री हरीश शर्मा)

दल का हूं और मेरे एरिया में स्कूल खोलना है तो आप नहीं खोलेंगे। कांग्रेस (आई) के एम. एल. ए. के यहां खोल देंगे। यह क्यों है ? आप कोई भी काम जनहित की दृष्टि से नहीं कर रहे, केवल पार्टी के हित की दृष्टि से कर रहे हो। इस नाते, यह जो राज्यपाल का अभिभाषण है, यह कतई जनहित में, प्रदेश के हित में नहीं है। मैं इसका समर्थन किसी भी हालत में नहीं कर सकता क्योंकि जो भ्रष्टाचार का नासूर फैल रहा है उसके बारे में इसमें चर्चा तक नहीं की गई है और न ही बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की चर्चा की गई है। आज कौनसा ऐसा जिला हैड क्वार्टर है, डिवीजन हैड क्वार्टर है जहां मां-बहिनों की इज्जत नहीं लूटी गई हो। I challenge you. कानून और व्यवस्था की स्थिति सबसे खराब है। आप धक्के मार रहे हो पुलिस वालों को, आसाम भेज कर मौत के घाट उतार रहे हो। अकाल राहत की आप बात करते हैं, मेरी पूरी तहसील में एक गांव को छोड़कर सारे गांवों में अकाल आ चुका है, लेकिन आपने कौनसा काम चालू करवाया है। एक भी काम चालू नहीं करवाया है। एक भी करवाया हो तो बता दें। माननीय सभापति महोदय, अकाल राहत में एक सड़क बन रही थी आदिवासियों के लिए वह भी छोड़ दी। अब वे कहां पर जायें ? आप काम दिला दो उनको। एक बहुत बड़ा काम किया है लोग तो उदाहरण देने आ जाते हैं। आवासन मण्डल की एक योजना चल रही थी। एक बहुत बड़ा घराना है जिसके मालिक ए.एस.आई. मण्डल के मैनेजिंग डाइरेक्टर हैं वे बहुत बड़े पूंजीपति हैं उनकी जमीन इसके लिये एक्वायर कर ली थी। माननीय सभापति महोदय, लेकिन उस जमीन को छोड़ दिया गया। क्यों ? क्योंकि उससे ये लोग चंदा लेते हैं। इस तरह से ये उनको फायदा देना चाहते हैं ?

इसके अलावा, सभापति महोदय, आज क्या हो रहा है कि जे. के. फैक्ट्री कोटा में जो लोग बीस-बीस साल से नौकरी करते थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। वह इस गवर्नमेंट के आदेश से निकाल दिये गये हैं। वे लोग कहां जायेंगे और क्या करेंगे। सभापति महोदय, ये इस बात को बता दें। फैक्ट्री वालों ने, जो हाई कोर्ट का स्टे था उसको भी नहीं माना है। तो, सभापति महोदय, इसका परिणाम क्या होगा ? आपको बता दूं कि वहां पर क्या हालत है, वे यह तय कर रहे हैं कि करो या मरो, या तो हमको वापस नौकरी पर लिया जायेगा या फिर हम गोली खाकर मर जायेंगे। दोनों में से अब तक एक ही बात होगी। इसलिये आप इस स्थिति को सम्भालें। वहां पर हत्याकांड होने वाला है। पहले भी कोटा में ऐसा हुआ है फिर वही स्थिति पैदा न हो जाये इसलिये आपको पहले सतर्क कर दिया है। मैं तो यह मानता हूं कि यह सरकार जनता की जनता के लिये और जनता के द्वारा नहीं होकर के माथुरों की माथुरों के द्वारा और माथुरों के लिये ही है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रामकिशन जी मीणा नहीं, रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है · · ·

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, आज वन वे ट्रैफिक हो रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि पक्ष वालों की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि यह जो गवर्नमेंट की बुराई यहां पर हो रही है उसमें भागीदार बना जा रहा है ?

एक माननीय सदस्य : कोई बोलने वाला ही नहीं है।

श्री सभापति : उपस्थित ही नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई) : मैं बोल लूं कांग्रेस की तरफ से।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : शिवरामजी बोल लेंगे। आप क्यों तकलीफ करते हैं। सभापति महोदय, हमको बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो हमारे समय में कटौती न की जाय।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : ऐसा लगता है कि एक को छोड़ कर सभी सदस्य इस अभिभाषण के विरोध में है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : आपको बोलने का ज्यादा मौका दिया जा रहा है····

श्री सभापति : बिराजिये। श्री रामकिशोर मीणा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद विपक्ष के ही माननीय सदस्य ज्यादातर बोलते हैं। अगर आपके पास बोलने लिए कुछ नहीं हो तो हम बोल लें ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बोल लें, क्यों मन में रखते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : फिर आपको समय नहीं मिलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): आप समय देने वाले कौन हैं, समय तो आसन देता है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : बोलने वाले बैठे हैं और बोलने के लिए भी तैयार हैं आप बोलें नहीं तो हम बोल लेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बोलने के लिए बहुत तैयार हैं।

श्री चतुर्भुज (टोड़ारायसिंह) : मैं बोल रहा हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप उस तरफ से मौका दे दें।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : आप तो कुछ मत बोलो हम सब ही बोल लेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : आप तो मत बोलिये, चौधरी जी ....

श्री चतुर्भुज : मैं आपका ध्यान····

श्री सभापति : आप बोलना चाहते हैं···

श्री चतुर्भुज : जी हां।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : चाहते क्या हैं ये तो खड़े हो गए हैं।

श्री चतुर्भुज : माननीय सभापति महोदय, एक बात तो मैं अपने साथियों को और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कभी सदन में यह नहीं आया होगा पर आपने पहले सुना तो होगा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सदन की मर्यादा के अनुसार सदन में जिस भाषा का जैसे प्रयोग किया जाता है वह करें। मैं कहता हूं कि यह साढ़े तीन करोड़ की जनता के प्रतिनिधियों का भवन है कम से कम नियमों के अनुसार जिस तरह से बोलना चाहिए उसका ध्यान रखें। एक तो यह निवेदन करना चाहता हूँ।

दूसरा, यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अध्यक्ष महोदय की ओर से जो टाइम दिया गया है उसका ध्यान रखें। आप और हमने जो पहले संकल्प लिया था उसको छोड़ते जा रहे हैं। आप और हमको उस मर्यादा की कोई चिन्ता नहीं है। गलत भाषा का प्रयोग नहीं करें। हमें अपने दायरे में रहना ही चाहिये, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, यह कहना चाहता हूं कि हम बोलते हैं तो आपकी चिड़चिड़ाहट चलती रहती है। आप बोलते हैं तो हमारी ओर से टोका टोकी होती है तो, यह ठीक नहीं है, आप अपने टाइम पर बोलें यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या करें ये आदत से लाचार हैं।

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और उसके समर्थन में दिये हुये भाषणों का स्वागत करता हूं। 82-83 में जो राजस्थान ने प्रगति की और 83-84, आने वाले भविष्य का जो कार्यक्रम है उसका विवरण राज्यपाल महोदय ने दिया है, हो सकता है कमी हो। मैं नहीं कह सकता हूं कि कमी नहीं है। कमी रहती आयी है और पूर्ति होती रही है और होती रहेगी। इस अभिभाषण को सम्पूर्ण नहीं कहा जा सकता है लेकिन जितनी भी हमारी तरक्की हुई है वह काफी हद तक हुई है और आगे भी होने की आशा है।

सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की जो किताब मिली है उसकी कई बातों की सराहना करता हूं। जो कुछ कमी हैं उनके लिये हमारे विपक्ष के सदस्य और हम लोग कुछ सुझाव दे सकते हैं, उससे सुधार हो सकता है यह मैं विश्वास करता हूं।

अब मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से सन् 72 से आ रहा हूं, मैं आज तक सिर्फ यह निवेदन करता आ रहा हूँ आपके माध्यम से और सदन में भी यह पुकारता रहा हूँ कि हमारे यहां पर एक योजना है वह योजना सन् 42 से है, उसका चौथी बार सर्वे हो चुका है। उसके सर्वे पर 62 लाख रु. खर्च हो गये हैं। यह योजना सर्व प्रथम लागू की थी उस वक्त 32 करोड़ की थी, सर्वे के आधार पर और आज जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार वह योजना 92 करोड़ की पहुंच गयी है। काम में देरी होती गयी इस कारण उस परियोजना के अनुसार काम की चौगुनी दर हो गई है। वह योजना बिलकुल ठप्प पड़ी है। मैं आपके द्वारा राज्य सरकार

१०५

(श्री चतुर्भुज)

से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में सिंचाई का माध्यम यही एक योजना है। दूसरी बात यह है कि इससे पेयजल की समस्या भी हल होगी। यह योजना हमारे लिये महत्वपूर्ण है। इसका लाभ हमको ही नहीं होगा बल्कि सवाई माधोपुर तक को इसका लाभ होगा और अजमेर तक को भी इसका लाभ पहुंचेगा।

(4.30 म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आप आये दिन अखबारों में पढ़ते होंगे कि अजमेर और नसीराबाद में पानी की समस्या है। वह समस्या इस योजना के बिना हल नहीं हो सकेगी। इस योजना से एक तो अजमेर-नसीराबाद के किसानों की समस्या दूर हो जायेगी, दूसरे हमारे किसानों को खेती के लिए पानी मिल जायेगा। बरानी योजना को पूरी किये बिना और ईसरगढ़ योजना को हाथ में लिये बिना यह सब समस्या दूर नहीं होगी। आज बीस, पच्चीस, तीस साल से जनता इस योजना की आशा में बैठी है।

इसके अलावा उस योजना के अन्दर जिन गांवों की जमीन डूब में आयी हुयी है उन गांवों के अन्दर न कुएं खोदने के लिए व्यवस्था की जाती है, न विकास करने की व्यवस्था की जाती है और न ही उनकी अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिये बांध बनाये जा रहे हैं, जिसके कारण आज भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है।

इसके साथ ही मैं आपके द्वारा राज्य सरकार को यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 5 साल से भयंकर अकाल की स्थिति है, पानी का अकाल है। जिस योजना से हमारे टौंक और सवाई माधोपुर तक को पानी सप्लाई हो सकता है, अजमेर और नसीराबाद की पेयजल की समस्या हल हो सकती है, ऐसी योजना को हाथ में न लेने का कारण मेरी समझ में नहीं आता है। मैं जानना चाहता हूं, राज्य सरकार का क्या विचार है और क्या राज्य सरकार के सामने समस्या है? मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना को हाथ में लेकर अजमेर, नसीराबाद, टौंक और सवाई माधोपुर की जनता का भला करना चाहती है तो इसका कार्य जल्दी प्रारम्भ करें।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि टोड़ारायसिंह क्षेत्र से मैं आ रहा हूं उस क्षेत्र में विद्युतीकरण की समस्या है सिर्फ 8 गांवों में बिजली है, बाकी के गांवों में बिजली की आशा लिये बैठे हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमें दो मुख्य मंत्रियों, श्री बरकत साहब, श्री हरिदेव जी जोशी और माननीय सदस्य, श्री गिरधारीलाल जी व्यास ने बार-बार स्पष्ट कहा था कि टोड़ारायसिंह क्षेत्र को हम जल्दी ही विद्युतीकरण योजना से जोड़ देंगे। उसके बाद भी वहां की जनता विद्युतीकरण के लिये तरस रही है। हमारे किसानों के पुराने साधन समाप्त हो गये हैं और नये साधन उसे मिल नहीं रहे हैं जिसके कारण उनकी खेती पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(श्री चतुर्भुज)

इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टोड़ारायसिंह क्षेत्र को विद्युतीकरण योजना से जोड़ने में राज्य सरकार मदद करे ।

माननीय सभापति महोदय, मैं 10–11 साल से इस क्षेत्र से आ रहा हूं । हमारे यहां रोड की भयंकर समस्या है । टोड़ारायसिंह से देवली को जोड़ने की राज्य सरकार की योजना है, एक पंचायत समिति को दूसरी पंचायत समिति की रोड को जोड़ने की राज्य सरकार की योजना है । आज हम टोड़ारायसिंह से देवली नहीं जा सकते जो कि टोड़ारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र में ही है । इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि टोड़ारायसिंह से देवली एवं एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में जाने के लिये रोड की व्यवस्था की जाय ।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट बसों को हमारे क्षेत्र से 32 लाख रुपये की आय हो चुकी है । बस स्टेण्ड के लिए राज्य सरकार के पास 58 लाख रुपया जमा हो चुका है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा नहीं दे सकते तो हमारे क्षेत्र का जो पैसा जमा हुआ है वही वहां लगा दीजिए । इतना रुपया जमा होने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, यह बड़े खेद और दुख की बात है । इस क्षेत्र में 11 पंचायतें कवर होती हैं । टोड़ारायसिंह से मालड़ा से इस क्षेत्र में 11 पंचायतें जुड़ती हैं, एक तहसील से दूसरी तहसील जुड़ती है । मैं आपके द्वारा सदन और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नाथदड़ा गांव में एक खरबूजा मण्डी है, 8 हजार की आबादी है वह गांव और कस्बा आज सड़क से वंचित है ।

एक अर्ज और करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से अजमेर, नसीराबाद को पानी दिया जाता है टैंकरों से, वहां पर दो सौ फीट पानी नीचे चला गया है जिसके कारण स्थानीय जनता की क्या दशा होगी, यह आप सोच सकते हैं । पांच-सात गांवों के अन्दर पीने के पानी की भयंकर समस्या है, मवेशियों के लिये पानी नहीं मिलता है । मनुष्य तो कहीं पर भी जाकर पानी पी लेगा किन्तु मवेशियों को पानी पिलाने के लिये 5-5,10-10 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है । इसलिये, सभापति महोदय, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या जल प्रदाय योजना के तहत वहां पर 2-3 और कुएं नहीं खोदे जा सकते हैं ? वहां की जनता के साथ यह न्याय नहीं है । मेरा निवेदन है कि वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

इसके साथ ही हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर दिया है उसका मैं समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा है उसमें आंकड़ों का माया जाल है । यह बहुत कुछ वास्तविकता से परे है । अभिभाषण एक वर्ष भर के कार्य का प्रारूप दिया जाता है कि सरकार क्या करने जा रही है । उसके बारे में इसमें बहुत

(श्री रामकिशोर मीणा)

कुछ करना चाहिए था। उसके सम्बन्ध में इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ आंकड़ों को तोड़-मरोड़ कर के जिस ढंग से पेश किया गया है उससे इसकी वास्तविकता पर भी संदेह होता है। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी ओर सरकार बहुत ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित कर रही है। "प्रशासन गांवों की ओर" का इसमें बहुत जिक्र किया गया है। "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के तहत क्या हुआ है उसका छोटा सा उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा। सिकराय तहसील में "प्रशासन गांव की ओर" कार्यक्रम के तहत वहां प्रभारी अधिकारी, जयपुर जिले के ए. एस. डी. ओ. लगाये गये। इनका 7 तारीख को प्रागपुरा गांव में एक कैम्प था, वहां पर अलाटमेंट होना था। 17 जनवरी को वहां पर वह अपने बीवी, बच्चों को लेकर 3 बजे पहुंचे। गांव वालों के लिये यह समस्या हो गई कि शहर के लोगों को किस तरह से यहां पर रखा जाय। कोई दर्शनीय स्थान तो था नहीं। उनके परिवार के लोग गांव वालों से परेशान थे जिसके कारण कुछ काम नहीं हुआ। दूसरा, गडरावली, उदयपुरिया गांवों में कैम्प था वहां पर भी 4 बजे से पहले कभी नहीं पहुंचे। सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा कि 21 जनवरी को कैम्प गड़रावली में था वहां पर 5 पंचायतों का काम था। सुबह से शाम के 6 बजे तक मैं तथा 5 गांवों के करीब 1 हजार ग्रामीण और पंचायतों के सरपंच बैठे रहे लेकिन एस. डी. ओ. नहीं पहुंचे। इसी प्रकार के कोई भी कार्य आज की तारीख तक हुए हैं, सिकराय तहसील में जितने भी अलाटमेंट हुए हैं मैं चैलेंज करना चाहता हूं, उनमें फाइनल तौर पर आज तक कोई अलाटमेन्ट कम्प्लीट नहीं किया गया है। हरिजनों को अलाटमेंट होना था, उनको पुनः स्थापित करने की योजना इस प्रोग्राम के तहत थी लेकिन जितने भी हरिजन परिवार बेदखल कर दिये गये थे उनकी दुबारा प्रशासन ने कोई मदद नहीं की उल्टे जो उन पर काबिज थे, उनको यह कहा गया कि आप पैनल्टी देते रहिए, आखिरकार 2–4 साल में यह छोड़ देंगे और यह तुम्हारे नाम से हो जायेगी। इस तरह का "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम चलाया है, इसका मखौल उड़ाया गया है। जिन अधिकारियों ने कार्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं चलाया, उनकी यह शिकायत थी कि हम क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार ने ऐसे अधिकारी वहां लगा रखे हैं जिनकी सी. आर. नाम की कोई चीज नहीं है, जिनको 6–6 बार सस्पेंड किया जा चुका है। बांसवाड़ा के विकास अधिकारी, जो इस समय सिकराय में हैं, के लिए बांसवाड़ा के कलेक्टर ने यह फाइण्डिंग दी थी कि इसको कहीं भी स्वतंत्र चार्ज बी. डी. ओ. का नहीं दिया जाये फिर भी उसको सिकराय में लगा रखा है। ऐसे आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उसके द्वारा सरकार का इतना बढ़िया कार्यक्रम फलीभूत होगा ? माननीय सभापति महोदय, बांदीकुई का एक सनसनीखेज समाचार है। वहां के हरिजन करीब 50 की तादाद में विधान सभा के सामने बैठे भी हैं। सन् 75 में हरिजन परिवारों को भूखण्ड आवंटित किये आवासीय व्यवस्था के लिए, उनको उस समय पट्टे भी वितरित कर दिये गये लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि 24-1-83 को कलेक्टर ने उन सारे पट्टों को निरस्त कर दिया। सारे के सारे

(श्री रामकिशोर मीणा)

जो परिवार हरिजनों के थे उनके पट्टे निरस्त करके वह जमीन पंचायत में दे दी। यह कह दिया कि इसका प्रचार किया जाये इस प्रकार हरिजनों के नाम पर अत्याचार हो रहा है। उनके नाम पर जो बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही हैं वह वास्तविकता से बहुत दूर हैं। इसी प्रकार से जमवा रामगढ़ में हुआ। 1975 में 50 शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को पट्टे दिये गये उनमें से आज तक एक भी व्यक्ति काबिज नहीं रहने दिया गया, सबको बेदखल कर दिया गया है जिसकी वजह से वह आज भी इन्दिरा गांधी का नाम ले कर रोते हैं। उन्होंने जब पट्टे दिये, उनकी जय जय की लेकिन आज इतने निराश हो चुके हैं कि इन्दिरा गांधी का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते। अधिकारियों के द्वारा योजनाओं का जिस तरह से गलत ढंग से प्रयोग किया जाता है उसी तरह ऐसी योजना, "प्रशासन गांव की ओर", का शायद कहीं हुआ हो, दूसरी जगह हुआ हो। मैं तो यह मानता हूं, वहां के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा जहां इसकी सफल क्रियान्विति हुई हो। मेरी सिकराय तहसील में "प्रशासन गांवों की ओर" न जाकर झगड़े की तरफ गया है। सबसे पहले जाकर तहसीलदार देखता है कि दाल बाटी के इंतजाम की आज कहीं व्यवस्था हुई या नहीं। उसके बाद में कोई भी आज तक ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। उल्टे इससे एक बात हुई, "प्रशासन गांव की ओर" के प्रचार के माध्यम से जो बहुत छोटे छोटे मामले थे, जिनमें रिकार्ड के मार्फत प्रोग्रेस हो गयी थी, जिनको गांव वाले तय कर लेते थे, और सरकार का बर्डन कम होना चाहिए था वह सरकार का बर्डन बढ़ा है। गरीबों के बारे में यह बहुत ज्यादा कहा गया है कि प्रशासन उनको ज्यादा से ज्यादा मदद दे रहा है। किन्तु एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, सरकार के सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री चेतरामजी, अपने क्षेत्र के अन्तर्गत 1972 के अन्दर एक झुनकी बांध या जो 72-73 में बह गया था। वह आज कहीं भी नहीं है, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ, कोई निर्माण की बात नहीं की गयी। काश्तकार लोग आज भी वहां पर मौजूद हैं। उसके पेटे की जो जमीन है उस पर 100 काश्तकार काबिज हैं। राज्य सरकार को बैंक के द्वारा ऋण भी दिया हुआ है लेकिन गांव वाले इनके पक्षधर नहीं थे, इस कारण से और पैसे ऐंठने के चक्कर में सरकार के द्वारा वहां कोई ठेका नहीं हुआ, विभाग के द्वारा कोई ठेका नहीं हुआ, न सिंचाई विभाग या किसी और विभाग के तहत कोई ठेका हुआ और अपने दोस्त को ठेका दे दिया। गांव वालों से रुपए ऐंठने के चक्कर में निर्माण कार्य चालू कर दिये। जब गांव वालों ने तहसीलदार और कलेक्टर को यह शिकायत की तो कलेक्टर और तहसीलदार ने भी यही कहा और एक्स. ई. एन. इरिगेशन ने भी कमेंट किया कि हमारे पास से कोई ठेका नहीं हुआ। जब कि मंत्री गांव वालों को परेशान करते हों, जब कि मंत्री इस ढंग के हों तो सरकारी अधिकारी कैसे व्यवस्था कर सकते हैं। इसी तरह से एक और सनसनीखेज कांड है। राज्य सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार को मिटाया जायगा लेकिन एक काण्ड सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का है जिसमें 15 लाख का घोटाला किया है। बाणगंगा नदी पर 80 लाख

(श्री रामकिशोर मीणा)

रुपये का टेंडर हुआ जनवरी 1982 के अन्दर, गांव मोलोनी जो सवाई माधोपुर में स्थित है, वहां टेण्डर काल किये गये। 3 टेंडर आये। एक फर्म भरतपुर की थी सबसे लोएस्ट होने के कारण उसका टेंडर स्वीकार किया गया। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करोगे, जब टेण्डर स्वीकृत हुआ उस समय जो सारी की सारी कण्डीशंस डाली जाती हैं, वे फाइलों पर नोट की जाती हैं लेकिन उन फाइलों पर कोई नोट नहीं है। 2 महीने बाद एक ठेकेदार से मिलकर, जोधपुर की पार्टी थी, उससे 15 लाख रुपये खाकर कण्डीशन एड की गयी। थर्ड पार्टी, जिसको लोएस्ट होने के कारण टेण्डर दिया था, का टेंडर कैन्सिल करके जोधपुर की पार्टी को दिया गया। उसमें 15 लाख रुपये मिनिमम तौर पर मन्त्री ने खाये....

श्री सभापति : टेण्डर दुबारा दिये गये?

श्री रामकिशोर मीणा : टेण्डर दुबारा लिए गए और सबसे लोएस्ट टेण्डर दोबारा नहीं खोला गया, बीच में कण्डीशन एड की गयी। ओरीजनल डाकूमेण्ट देखने से पता चलता है कि कोई भी कण्डीशन नहीं है लेकिन एक पन्ने पर फोरजरी करके कण्डीशन डाली गई और उसके 2 महीने बाद तक फाइल मन्त्रीजी के पास पड़ी रही, उन्होंने दूसरी पार्टी को टेण्डर दिया।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : मंत्री महोदय ने कितना खाया?

श्री रामकिशोर मीणा : 15 लाख।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मंत्री का नाम।

श्री रामकिशोर मीणा : सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, श्री चेतराम मीणा। इसी प्रकार हरिजनों के साथ किस तरह का अत्याचार हुआ उसका एक और उदाहरण है। लालसोट तहसील के अन्तर्गत सन् 64 के अन्दर हरिजनों को अलाटमेन्ट हुआ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : रूल्स में प्रावधान है उसके अनुसार आप नोटिस देकर चार्ज लगायें....

श्री रामकिशोर मीणा : मंत्री का नाम नहीं लिखा।

लालसोट तहसील के गांव सवादा में रेवड़मल कुमार को 64 में अलाटमेन्ट हुआ। 1964 से लेकर आज तक काबिज नहीं होने दिया गया। वहां के सरपंच, जो कांग्रेस (आई) पार्टी के हैं, ने उसको अपने खुद के नाम से लिखा लिया। इसी तरह से छोटेलाल को कोई अलाटमेन्ट हुआ, 1964 के अन्दर ही। उसे आज तक काबिज नहीं होने दिया गया और वहां के वर्तमान सरपंच, जो कांग्रेस (आई) के हैं, का कब्जा कई दिनों तक चलता रहा। इसी तरह से 3-11-82 को अलाटमेन्ट हुआ उसमें 37 हरिजनों को दिया, किन्तु 37 हरिजनों को आज तक वहां पर काबिज नहीं होने दिया गया है। आज उस सरपंच का दखल है। इस तरह के नाममात्र के आंकड़े दिए गए हैं, उनकी वास्तविकता से जांच नहीं कर सकते हैं। केवल एक जगह आंकड़े दिए गए हैं, जिलेवार कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है।

श्री चतुर्भुज : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य ने जो कहा है अभी, माननीय सदस्य के पास क्या प्रूफ है जिससे यह मालूम हो कि इस बात में कहीं सत्यता है। यह सब निराधार है, बहुत झूठी बात है।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, किस तरह से आपके अधिकारी आपके आदेशों का पालन करते हैं इसका एक बहुत ही ताजा उदाहरण है। विधान सभा का सत्र स्टार्ट होने के बाद में, सम्मन होने के बाद कोई अधिकारी उस बैठक, जिसमें माननीय सदस्य उपस्थित होता हो, को आयोजित नहीं करा सकते, चाहे जिलाधीश हो, चाहे विकास अधिकारी या कोई भी अधिकारी हो। सिकराय तहसील के विकास अधिकारी ने कल ही 17 तारीख को पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाई। विधान सभा के बारे में उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो कि संसदीय नहीं होने के कारण कह नहीं सकता हूं। विधान सभा हमारा क्या बिगाड़ सकती है, हम अपनी मर्जी से जो कुछ करेंगे····

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मन्त्री, वन) : प्रिविलेज मोशन लाइये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सरकार किसके लिए है। माननीय सभापति महोदय, यहां से रूलिंग हो गई है उसको देख सकते हैं। 17 तारीख को मीटिंग बुलाई गई या नहीं बुलाई गई। बुलाई गई तो किस बाबत बुलाई गई, यह तो सरकार देखे। उनका कितना हक है, कितना अधिकार है, यह उनको देखना चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नियम बने हुए हैं। नियमों के अनुसार कार्यवाही करिये।

श्री सभापति : आॅर्डर, आॅर्डर। आप बोलिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अधिकारी तो सब ठीक चल रहे हैं। आपने ढाई साल में सब पटरा बैठा दिया। हमारे राज में ठीक चल रहे हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : आपका प्रशासन, आपका राज किस प्रकार से चल रहा है इसके उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ, दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति का व्यवस्थापक नौ बार निलम्बित हो चुका है। निलम्बन के दौरान पैन्डिग इन्क्वायरी होते हुए भी उसको दो बार····

एक माननीय सदस्य : क्या अच्छा कीर्तिमान है।

श्री रामकिशोर मीणा : बहुत बड़ा कीर्तिमान है।

मैं बहुत शुक्रगुजार होता यदि इसके अन्दर इसको शामिल किया जाता कि यह भी एक हमारा कीर्तिमान है कि हम लोग निलम्बित अधिकारियों को पैन्डिग इन्क्वायरी होते हुए बहाल करते हैं। दौसा क्रय विक्रय सहकारी समिति का व्यवस्थापक नौ बार निलम्बित हो चुका है। करीब एक करोड़ रुपये का वहां पर कारोबार ठप्प हो चुका है। करीब बीस लाख का आज तक उन्होंने घोटाला किया है। आप कितनी ही आडिट रिपोर्ट देखें, सन् 1977 से लेकरके, 1965 से अब तक की आडिट रिपोर्ट को देखें तो

(श्री रामकिशोर मीणा)

वह कहीं भी सर्विस के काबिल नहीं है लेकिन बना रखा है। उसके ऊपर वरद हस्त मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के पदाधिकारियों का है जिसकी वजह से वह आज ठाठ से, राज-कार्य में हिस्सेदारी और जो भ्रष्टाचार है उसको ऊपर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। एक 65 वर्ष से भी अधिक उम्र के बगैर पढ़े लिखे अंगूठा छाप व्यक्ति, जो आज भी अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते, को वहां पर मुनीम बनाकर रख रखा है। उसका छोटा भाई तीन साल पहले रिटायर हो चुका है, उसकी एक छोटी बहिन है। उस के बाद एक अधिकारी जून में रिटायर हो रहा है वह आज तक वहां मुनीम के पद पर कार्यरत है लेकिन चूंकि यह प्रशासन खुद उसको सहयोग कर रहा है इस कारण उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे अधिकारी और उनके कारनामे यदि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शामिल किये जाते तो बहुत बढ़िया होता और इसकी भी उपलब्धि में गिनती कराते तो सार्थक होता।

यह तो हुआ हरिजनों के सम्बन्ध में, अब महिलाओं के ऊपर अत्याचार के भी उदाहरण एक से एक अखबारों में आपको देखने को मिले होंगे। इसी प्रकार से योगेशकुमारी मेहरा यहां पर एक कोटा डिवीजन की है और उसकी शादी उस व्यक्ति, जो राज्य सेवा कर रहा है, के साथ हुई थी। उसने उसको छोड़ दिया। उससे बहुत बड़े दहेज की मांग की गई। उसने केस रजिस्टर करवाया लेकिन उस केस में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली जब कि कानून के तहत यह प्रावधान है कि सर्विस के दौरान वह दो शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि पहले वाली पत्नी की परमिशन नहीं हो। वह अनुसूचित जाति की है इस कारण कोई उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। माननीय गृह मन्त्रीजी, आपके पास भी बहुत पहले से यह केस है लेकिन उसको आज तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। आपने बहुत तगड़ी घोषणायें की गये सैशन में, बजट सत्र में घोषणा की कि पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए विशेष न्यायालय कायम किये जा चुके हैं। मुझे आपको बताते हुए ताज्जुब है कि उन न्यायालयों में आज तक कार्य भी प्रारम्भ नहीं हुआ। उनका कौनसा क्षेत्राधिकार होगा, कहां कहां तक के उनके पास केसेज आयेंगे, कौन-कौन से केसेज उनके द्वारा निपटाये जायेंगे। जो गरीब पहले अपने पास की कोर्ट में केसों की सुनवाई करवा लेते थे उनको तब तक दो सौ किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा जब तक वह न्यायालय कार्य प्रारम्भ नहीं कर देते। करीब डेढ़ दो साल हो गये उनके केसेज में तारीख पड़ना बिलकुल बन्द हो गयी क्योंकि स्पेशल कोर्ट प्रारम्भ हो गये लेकिन उन कोर्ट में आज भी कार्यवाही नहीं हो रही है। दूसरा सवाल है, वह स्थायी भी रहेंगे या नहीं? इस सम्बन्ध में विधान सभा बजट सत्र में बताया गया था लेकिन उस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है। आप जो घोषणायें करते हैं उसके ठीक विपरीत आप काम करने जा रहे हैं। राज्य सरकार के और जितने भी पहले एक्ट बने उसमें नियम है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की जमीन सवर्ण व्यक्तियों को ट्रांसफर नहीं कर सकते।

(4.55 म.प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्री रामकिशोर मीणा)

आपको एक नहीं मैं दस उदाहरण देने को तैयार हूं यदि उन पर आप कार्यवाही करें। गरीब की जमीन पर सवर्ण लोगों को काबिज कराया और कानूनी अधिकार न होने के बावजूद उनका अलाटमेंट नियमित किया गया। इस तरह के उदाहरण एक के बाद एक सामने आते रहे हैं लेकिन प्रशासन उनकी ओर ध्यान नहीं देकर उन आदमियों को रोजगार देने की योजना बना रहा है जो भ्रष्टाचार में ऊपर से जा करके सहयोग करते हैं। इस तरह का एक उदाहरण ग्राम सिकराय तहसील में है जिसमें कि कोली जाति के परिवार, जो कि हरिजन परिवार के अन्तर्गत आता है, को जमीन अलाट हुई थी, कुल करीब 15 व्यक्तियों को अलाट हुई थी किन्तु उस जमीन पर लगातार वहां के राजपूत और माली जाति के लोग काबिज हैं और उनके साथ 17-2-83 को मारपीट करके उनको वहां से बेदखल कर दिया गया। वह आज सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये ट्राई कर रहे हैं और जगह जगह दरवाजे खटखटाते फिर रहे हैं, कभी एस.डी.ओ. के पास जाते हैं, कभी कलेक्टर के पास जाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सबके सब कहते हैं जिसके हाथ में लाठी रहेगी उसकी जमीन रहेगी। उसमें कानूनी लिखत-पढ़त मौके पर सहायता नहीं दे सकता, इस तरह का प्रशासन आपने गांवों में बिठा रखा है। प्रशासन गांवों की ओर कार्यक्रम के अन्तर्गत उस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं किन्तु सुधारने के नाम पर भ्रष्टाचार का जो अड्डा शहर में था उसको आप गांवों के अन्दर शिफ्ट कर रहे हैं। भोले-भाले ग्रामीण लोग आज से पहले चुस्त रहते थे वह आज इनके चक्कर में हैं।

पहले तो श्रीमान गोटेवालाजी ने जे.डी.ए. का कानून सदन से पास कराना चाहा, लेकिन 14 घण्टे तक मुख्य मंत्रीजी को जब उन्होंने समझाया तब उन्होंने बताया कि जे.डी.ए. विधेयक का प्रारूप जो मेरे को बताया है उसमें और आज जिस पर डिस्कशन हो रहा है उसमें दिन रात का अन्तर है। मैं इस तरह की कल्पना ही नहीं कर सकता था। जिस तरह का श्रीमान गोटेवाला साहब ने जे.डी.ए. विधेयक का प्रारूप उनके सामने प्रस्तुत किया था उसकी 107 धाराओं में से 97 धारायें अमेण्ड हुई थीं वह सारा प्रारूप देख करके। भगवान का शुक्र है कि जे.डी.ए. के मंत्री बदल गये। जयपुर जिले वालों का शुक्र है कि उनको उनके जैसे मन्त्री से छुटकारा मिला।

(व्यवधान)

उसमें तो पशुओं से आपको दुलत्ती मिलेगी, उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। श्रीराम गोटेवाला और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने मिलकर एक फैक्ट्री कायम कर रखी है। जब से वह चालू हुई है उससे लेकर सिर्फ 6 महीने तक...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, सदन की अनुमति से बैठक का समय पांच मिनट के लिये बढ़ाया जाता है। कृपया इस समय में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट भी आ रही है।

(व्यवधान)

जी हां, पांच मिनट के बाद फिर और व्यवस्था दे देंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि बीस मिनट या आधा घण्टा के लिये बढ़ा दीजिये, हमारे पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इनके यहां बोलने वालों की कमी है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नहीं पधारे थे तब स्थिति यह हो गई थी कि ट्रेजरी बैंन्चेज से कोई बोलने वाला नहीं था इसलिए हमारे लोगों को बुलाना पड़ा। जब यह बात कही तो मन्त्री महोदय नई बात लेकर आये हैं। पांच मिनट तो बढ़ा दिये जिसमें आपका भाषण समाप्त हो जायगा, कल हो जायेगा, कोई बात नहीं है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि किस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के लोग अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके सरकार से धोखाधड़ी करते हैं। दौसा में एक फैक्ट्री है, जो कि प्रभावशाली लोगों की है। जब से उसने अपना कार्य शुरू किया है केवल 6 महीने तक उत्पादन किया है। उसके बाद जितना भी उद्योग विभाग से उसको माल का कोटा मिलता है उसको बाजार में बेच दिया जाता है। उसके बिजली के बिल देखिये, 6 महीने के बाद से उसका कोई बिल नहीं आता है, क्योंकि फैक्ट्री चल ही नहीं रही। अफसरों से कह कर उनके बिजली के मीटर ठीक नहीं किये गये। इसी कारण से यह दृश्य आज सबके सामने उपस्थित हुआ है। यहां के मंत्री भी उसमें शामिल हैं और बराबर योगदान उसमें करते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, काश्तकार यदि दो रोज बिल का भुगतान नहीं करता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। सिकराय में एक गांव है वहां पर ट्रांसफार्मर 6 महीने के बाद में लगा, बिल 6 महीने पहले का आ गया और कह दिया गया कि या तो बिल जमा करवाओ अन्यथा आपका कनेक्शन काट दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : फ्लैट रेट का होगा !

श्री रामकिशोर मीणा : फ्लैट रेट का नहीं है··

श्री अध्यक्ष : क्योंकि फ्लैट रेट का साल भर के लिए लगाया जाता है।

श्री रामकिशोर मीणा : जब उच्चाधिकारियों से निवेदन किया गया ···

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्रीराम गोटेवाला का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्रीराम गोटेवाला: मैं अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पर्सनल क्लेरीफिकेशन देना चाहता हूं।

माननीय सदस्य, जो भाषण दे रहे हैं, ने कहा था कि मेरी शिव टीन फैक्ट्री के अन्दर कोई पार्टनरशिप है। उसी के आधार पर इन्होंने उसके बाद कई बातें कहकर यह कहा कि इसमें मंत्री भी शामिल हैं। मैं कई बार इसी सदन में आपके माध्यम से इस बात का खुलासा कर चुका हूं और पुनः अनुरोध करता

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

हूं कि माननीय सदस्य के पास यदि इसके बारे में कोई भी प्रमाण है तो वह प्रस्तुत करें। मैं चुनौती देता हूं कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है और अपने कथन का एक अंश भी आप प्रमाणित कर दें तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा और नहीं कर सकें तो वह दे दें। ऐसे अनावश्यक और गलत आरोप लगाने की इन लोगों की शुरू से ही परम्परा रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इनको नियमों के अन्तर्गत परमिशन लेनी चाहिए। इन्होंने हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम लिया है और मेरा भी नाम लिया है। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि यह या तो अपने शब्द वापस ले लें या खुली जांच के लिए तैयार रहें।

श्री नाथूसिंह : झोटवाड़ा में तो आपकी ही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरी तो सारे हिन्दुस्तान की फैक्ट्रियां हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घण्टा के लिए और बढ़ा दिया जाता है।

जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्य।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामकिशोर मीणा : काश्तकारों को मिनिमम चार्जेज के अन्तर्गत बिजली कम से कम 5 घण्टे देने का प्रावधान है। सिकराय के अन्दर एक फीडर है जो बारां रेलवे की ओर जाता है वहां लगातार सात रोज तक एक सैकण्ड के लिए भी बिजली नहीं आई। अध्यक्ष महोदय, किसानों में त्राहि-त्राहि मच उठी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। काश्तकारों ने धरना देना शुरू कर दिया और आमरण अनशन की धमकी दी तब जाकर लाइन शुरू की गई। जब कि काश्तकारों को सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत है उनको दो-दो, चार-चार घण्टे के अन्तराल से बिजली दी जा रही है। जब पानी खेत में पहुंचता है उससे पहले ही बिजली गुल हो जाती है। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कैलाश जी ने चैलेंज करके कहा, मैं भी यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें एस. सी. व एस. टी. के व्यक्तियों को बार-बार केन्द्र के द्वारा कहने पर भी नौकरी नहीं दी जाती है। आज तो एस. सी. और एस. टी. के व्यक्ति अवेलेबल हैं। पहले कहा जाता था कि अवेलेबल नहीं हैं। इसको भी अभिभाषण में शामिल किया जाना चाहिए, ठोस कार्यक्रम के अन्तर्गत। जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण दिया है उसमें यह भी शामिल किया जाना चाहिए था कि किस प्रकार से शासन को सुदृढ़ करना चाहते हैं।

इस तरह की बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं होने के कारण मैं इस अभिभाषण का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य-सलाहकार समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : पहले वितरित तो कराओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): पहले सुन लो, फिर रात तक या कल आपके पास पहुंच जायेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : नियमों के अनुसार पहले यह वितरित हो जाना चाहिए था ताकि उसको देख लेते, पढ़ लेते। सुनने का मौका तो मिल जाता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस सदन की ऐसी परम्परा शुरू से ही रही है। आपके समय में भी थी, पिछले सत्र में भी ऐसा ही हुआ था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पिछले सत्र में भी यह आब्जेक्शन किया गया था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके नेता महोदय ने उसको स्वीकार किया था। या तो नेता की नेतागिरी नहीं है...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अगर सदन सर्वोपरि है, तो सदन के प्रत्येक सदस्य को इस बात की जानकारी होना आवश्यक है...

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

पूर्व में भी कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदनों को पढ़ा गया था, पढ़ा जाता रहा है। उसके बाद सदन ने उस पर सहमति व्यक्त की है। छोटी-सी बात के लिए दूसरे दिन तक उसको क्यों टाला जाये। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को पुरःस्थापित करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 1983 मंगलवार, दिनांक 22 फरवरी, 1983 बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 1983	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 24 फरवरी, 1983	धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद तथा राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 1983	गैर सरकारी सदस्य कार्य :-(1) राजस्थान दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1981 पर विचार। (2) रावी-व्यास समझौते के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार।
शनिवार, दिनांक 26 फरवरी, 1983 रविवार, दिनांक 27 फरवरी, 1983	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 28 फरवरी, 1983	शासकीय विधायी कार्य :—(1) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की

(श्री खेतसिंह राठौड़)

परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983

(2) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 1983

(3) राजस्थान भूमि सुधार एवं भू-स्वामियों की समस्याओं का अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1983

(4) राजस्थान सिनेमा, (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार एवं उनका पारण

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 1983	आय-व्ययक अनुमान (बजट) 1983-84 का उपस्थापन।
बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 1983	
गुरूवार, दिनांक 3 मार्च, 1983	बजट पर सामान्य वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 4 मार्च, 1983	
शनिवार, दिनांक 5 मार्च, 1983	
रविवार दिनांक 6 मार्च, 1983	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 7 मार्च, 1983	बजट पर सामान्य वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 1983	बजट पर सामान्य वाद-विवाद तथा राज्य सरकार की ओर से उसका उत्तर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गई।

सदन की कार्यवाही दिनांक 21 फरवरी, 1983 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.12 बजे सोमवार, दिनांक 21 फरवरी, 1983 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 7 की सूची)

बाड़मेर जिले में संचालित आयुर्वेद औषधालयों / चिकित्सालयों की पंचायत समितिवार सूची

क्र. सं.	स्थान जहां औषधालय संचालित है	पंचायत समिति
1	2	3
1.	साजियाली	बालोतरा
2.	पारलू	,,
3.	जसोल	,,
4.	आसोतरा	,,
5.	असाडा	,,
6.	टापरा	,,
7.	कालेवा	,,
8.	पचपदरा	,,
9.	पाटौदी	,,
10.	बाछडाऊ	बाड़मेर
11.	गंगाला	,,
12.	विशाला	,,
13.	सज्जन का पार	,,
14.	सेतराऊ	,,
15.	जसाई	,,
16.	बावडी कलां	चौहटन
17.	बीसासर	,,
18.	चौहटन	,,
19.	बीजराड	,,
20.	सरूप का तला	,,
21.	कोनरा	,,
22.	सवाऊ पदमसिंह	वायतू
23.	वायतू (भीमजी)	,,
24.	खोखर	,,

1	2	3
25.	माडरवां	बायतू
26.	स्टेशन कवास उर्फ वूढा	,,
27.	समदड़ी	सिवाना
28.	मोकलसर	,,
29.	पादरू	,,
30.	राखी	,,
31.	जेठन्तरी	,,
32.	खाण्डप	,,
33.	करमावास	,,
34.	रानीदेषीपुरा	,,
35.	हरसाणी	शिव
36.	नीम्बला	,,
37.	गिराब	,,
38.	कोटड़ा	,,
39.	खानियानी	,,
40.	जयसिहदर	,,
41.	उण्डू	,,
42.	गुडामालानी	धोरीमन्ना
43.	अरनियाली	,,
44.	धूधू	,,
45.	सिन्धसवा हरनिया	,,
46.	भूणियां	,,
47.	बामड़ला	,,
48.	धोरीमन्ना	,,
49.	भेडाणा	,,
50.	रावतसर	सिणधरी
51.	नोखड़ा	,,
52.	होडू	,,
53.	मेहलू	,,
54.	सिणधरी (चौसीरा)	,,
55.	दाखा	,,

118

शहरी क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद के औषधालय/चिकित्सालय निम्न प्रकार हैं:–

1. बाड़मेर
2. बालोतरा
3. सिवाना

इसके अतिरिक्त निम्न औषधालय/चिकित्सालय अन्य चिकित्सा पद्धतियों के भी जिले में संचालित हैं:––

क्र. सं.	स्थान	पंचायत समिति/नगरपालिका	चिकित्सा पद्धति
1.	बाड़मेर	बाड़मेर	होम्योपैथी
2.	बुरहान का तला	चोहटन	यूनानी
3.	दूधिया कलां	धोरीमन्ना	"
4.	दतौनी	शिव	"

इन सभी के अतिरिक्त एक चल-चिकित्सालय भी इस जिले में संचालित है।

इस प्रकार जिले में 58 आयुर्वेदिक, 3 यूनानी एवं 1 होम्योपैथिक–कुल 62 औषधालय/चिकित्सालय तथा एक आयुर्वेदिक चल चिकित्सा यूनिट संचालित है।

(७१७)

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

रेल में डकैतियां, हत्यायें व चोरी

13. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)–क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1980 से अब तक किस-किस वर्ष में रेल्वे में कितनी-कितनी डकैतियां, हत्यायें व चोरियां हुई और ऐसी प्रत्येक डकैती में कितना-कितना माल गया है ?

(2) इन घटनाओं की बरामदगी के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 8 डकैतियों का माल बरामद हो चुका है, 6 केसेज का चालान पेश अदालत किया जा चुका है बाकी मुकदमों का अनुसंधान जारी है।

सूची प्रत्येक डकैती जो 1 अप्रेल सन् 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 तक घटी व उनमें माल गया

वर्ष	अभियोग संख्या व पुलिस थाना	माल जो डकैती में गया	माल जो बरामद हुआ	नतीजा
1	2	3	4	5
1980 से 1981	मु. नं. 48/80 थाना जी. आर. पी. गंगापुर सिटी	1,10,000/–रुपये	1,01000/–रुपये	चालान
	(1) मु.नं. 6/81 थाना जी. आर. पी. थाना नीमका थाना	800/– रुपए	–	पेन्डिग
	(2) मु.नं. 3/81 थाना जी. आर.पी. थाना डूंगरपुर	2,00,000/–रुपए	45,000/–रुपए	चालान
	(3) मु.नं. 15/81 जी. आर. पी. थाना सीकर	2,500/–रुपए	1,500/–रुपए	पेन्डिग
	(4) मु.नं. 56/81 जी. आर. पी. थाना हनुमानगढ़	5,859/–रुपए	5,000/–रुपए	चालान

1	2	3	4	5
	(5) मु.नं. 59/81 जी. आर.पी. थाना हनुमानगढ़	2,285/–रुपए	1,800/–रुपए	चालान
	(6) मु.नं. 67/81 जी. आर. पी. थाना हनुमानगढ़	20,000/–रुपए	12,125/–रुपए	चालान
	(7) मु.नं. 28/81 जी. आर. पी. थाना फुलेरा	1 घड़ी	–	पैन्डिंग
	(8) मु.नं. 130/81 जी. आर. पी. थाना कोटा	3,700/–रुपए	3,500/–रुपए	"
	(9) मु.नं. 89/81 जी. आर. पी. थाना बांदीकुई	195/–रुपए	–	"
	(10) मु.नं. 139/81 जी. आर. पी. थाना जयपुर	3,845/–रुपए	–	–
वर्ष 1982	(1) मु.नं. 58/82 जी. आर. पी. थाना भीलवाड़ा	40,000/–रुपए	–	पैन्डिंग
	(2) मु.नं. 118/82 जी. आर.पी. थाना जयपुर	4,000/–रुपए	3,900/–रुपए	चालान

प्रश्न के उत्तर में वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

	वर्ष	डकैती	हत्या	चोरी
1.	1980	1	3	499
2.	1981	10	3	706
3.	1982	2	5	972
		13	11	2177

वर्ष 1980 में एक अभियोग डकैती का दर्ज हुआ और 1,10,000रु. का माल डकैती में गया और जिसमें से 1,01,000 रुपये का माल बरामद हुआ। अभियोग का चालान पेश अदालत किया जा चुका है।

2. वर्ष 1981 में 10 डकैतियों के अभियोग दर्ज हुये जिनमें कुल 2,39,184 रुपये का माल गया और इनमें से कुल 6,8925 रुपये का माल बरामद हुआ। 6 अभियोगों का

(74)

(गृह मंत्री)

चालान पेश अदालत किया जा चुका है। शेष का अनुसंधान जारी है।

3. वर्ष 1982 में 2 डकैती के अभियोग दर्ज हुये जिनमें 44000/- रुपये का माल चोरी गया और 3900 रुपये का माल बरामद हुआ। एक अभियोग का चालान पेश अदालत किया जा चुका है और एक अभियोग का अनुसंधान जारी है।

वन श्रमिक सहकारी समितियां

14. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)– क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वन श्रमिक सहकारी समितियां कितनी गठित हैं और उनमें से कितनी कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या वन श्रमिक सहकारी समितियों को वन कटाई कार्य नहीं दिया जाकर फुटकर श्रमिकों द्वारा कार्य सम्पादित कराया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं और उनमें राज्य से बाहर के कितने हैं ?

(3) क्या सरकार इन वन श्रमिक सहकारी समितियों को वन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 112 वन श्रमिक सहकारी समितियां गठित हैं, जिनमें से 107 समितियां राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ लि., जयपुर की सदस्य हैं। इनमें से 11 समितियों को तथा राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ को इस वर्ष विभाग द्वारा कार्य आवंटित किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वन श्रमिक सहकारी समितियों को उनकी कार्यक्षमता की समीक्षा के उपरांत तथा वन श्रमिक सहकारी संघ के प्रस्तावानुसार कार्य दिया जा रहा है। शेष कार्य को आवश्यकतानुसार स्थानीय एवं फुटकर श्रमिकों द्वारा संपादित कराया जा रहा है। इस समय लगभग 10,000 से 12,000 तक श्रमिक कार्यरत हैं, जिनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। इन श्रमिकों में से लगभग 100 श्रमिक राजस्थान से बाहर के निवासी हैं।

(3) वन श्रमिक सहकारी समितियों को, उनकी सदस्यता व आर्थिक स्थिति आदि को दृष्टिगत रखते हुए उनकी कार्यक्षमता की समीक्षा करते हैं, तथा राजकीय नीतिगत निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कार्य दिया जाता है।

विभागीय कार्य वृत्त के अन्तर्गत कार्यों पर कार्यरत समितियों की सूची

1. पठारी वन श्रमिक सहकारी समिति लि.
2. बिलास " "
3. पींजना " "
4. गोयरा " "

(वन राज्य मंत्री)

5. सनवाड़ा	वन श्रमिक सहकारी समिति लि.	
6. खैरूना	,,	,,
7. महरौली	,,	,,
8. टाटगढ़	,,	,,
9. सातूखेड़ा	,,	,,
10. बराखन	,,	,,
11. अम्बासी ईया	,,	,,

वन श्रमिक सहकारी संघ को दिए गए ठेकों का विवरण

1. छोटी पैदावार, रेन्ज पिण्डवाड़ा, सिरोही वन मण्डल
2. आयल छाल, रेन्ज सेवाड़ी, पाली वन मण्डल
3. शहद मोम रेन्ज अलवर तथा राजगढ़, भरतपुर वन मण्डल
4. शहद मोम–जयपुर वन मण्डल

वन श्रमिक सहकारी समितियों की सूची

सदस्यता सूची

क्र. सं.	नाम समिति	पोस्ट	तहसील	जिला	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाबीडया आदिवासी सह. स. लि. अम्बासा	खेड़ब्रह्मा	झाडोल	उदयपुर	
2.	गंवार वन श्रमिक सह. स. लि.	मजेरा	कुम्भलगढ़	उदयपुर	
3.	पाटिया ,, ,,	पाटिया	खेरवाड़ा	उदयपुर	
4.	मुंगाना ,, ,,	मुंगाना	लसाडिया	उदयपुर	
5.	करमदी खेडा फोरेस्ट लेबर को आपरेटिव सोसायटी लि.	देवगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	
6.	अलसीगढ़ वन श्रमिक सह. स. लि.	अलसीगढ़	गिर्वा	उदयपुर	
7.	आदर्श भील ,, ,,	नाई	गिर्वा	उदयपुर	
8.	ठेडगारिया ,, ,,	कोटड़ा	कोटड़ा	उदयपुर	
9.	जोगीगढ़ ,, ,,	कोटड़ा	कोटड़ा	उदयपुर	
10.	अरावली ,, ,,	माहड़ी	कोटड़ा	उदयपुर	
11.	उमरिया ,, ,,	माहड़ी	कोटड़ा	उदयपुर	

1	2	3	4	5	6
12.	खेड़ा उमरड़ा को-लेबर कोन्टे. को-आप. सोसायटी लि.	उमरड़ा	गिर्वा	उदयपुर	
13.	पठारी जंगल उपज उत्पा सह.स.लि.	शाहाबाद	शाहाबाद	कोटा	
14.	गुढ़ा आदिवासी वन श्रमिक सह.स.लि.	गुढ़ा	बूंदी	बूंदी	अवसायन में
15.	आशापुरा	गुढ़ा	कोटड़ा	उदयपुर	
16.	कुण्डालिया आदिवासी सह. स. लि.	कुण्डालिया	बूंदी	बूंदी	अवसायन में
17.	जेकड़ा आदिवासी	बागपुरा	फलासिया	उदयपुर	
18.	रायपुर फोरे.कन्ट्रे.को.आ.सा.	झालावाड़	झालावाड़	झालावाड़	
19.	सिलोई वन श्रमिक सह. स. लि.	मेड़पुर	कोटड़ा	उदयपुर	
20.	खरवड़	प्रसाद	सराड़ा	उदयपुर	
21.	बगडावद	अरनोद	अवनेरा	चित्तौड़गढ़	
22.	सायरा	सायरा	गोगुन्दा	उदयपुर	
23.	बोखाड़ा	सायरा	गोगुन्दा	उदयपुर	
24.	जय अम्बे	देकरिया	कोटड़ा	उदयपुर	
25.	सनवाड़ा	शाहबाद	शाहबाद	कोटा	
26.	बिलास	बांसथूनी	किशनगंज	कोटा	
27.	खुशालपुरा	शाहबाद	शाहबाद	कोटा	
28.	जमवारामगढ़	जमवारामगढ़	जमवारामगढ़	जयपुर	
29.	खिलचीपुर श्री गणेश वन श्र.स.स.	खिलचीपुर	सवाईमाधोपुर	सवाई माधोपुर	
30.	उठेल वन श्रमिक सह.स.लि.	दलोट	अरनोद	चित्तौड़गढ़	
31.	वन मजदूर ठेका सह. स. लि.	वनीपार्क	जयपुर	जयपुर	
32.	हाड़ौती ,, ,,	देवरी	शाहबाद	कोटा	
33.	अम्बिका	सिरोही रोड	पिंडवाड़ा	सिरोही	
34.	दी हरिजन लकड़ी उत्पा. समि. लि.	अलवर	अलवर	अलवर	
35.	बांस उद्योग सह. समि. लि. अलवर	अलवर	अलवर	अलवर	
36.	आदर्श लकड़ी वन उपज उत्पा. सह. समिति लि.	अलवर	अलवर	अलवर	
37.	लकड़हारा वन मैज. लकड़ी उत्पा. सह. समिति लि.	अलवर	अलवर	अलवर	
38.	दी फोरेस्ट लेबर लकड़ी सप्लाई सह. समिति लि.	अलवर	अलवर	अलवर	

1	2	3	4	5	6
39.	दी मजदूर लकडी उत्पा. सप्लाई सहू. समिति लि.	अलवर	अलवर	अलवर	
40.	दी रामपुर मजदूर बांस उत्पा. अलवर	अलवर	अलवर	अलवर	
41.	रामगढ़ बांस उत्पा. सह्. समि. लि.	रामगढ़	किशनगंज	कोटा	
42.	कुशलगढ़ वन श्रमिक सह्. समि. लि.	कुशलगढ़	कुशलगढ़	बांसवाड़ा	
43.	पनिया ,, ,,	नयागांव	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	
44.	जेथलिया ,, ,,	पीपलखूंट	घाटोल	बांसवाड़ा	
45.	कुंजेला ,, ,,	ढोलकुंजेला	डूंगरपुर	डूंगरपुर	
46.	ताम्बसेरा ,, ,,	ताम्बसेरा	कुशलगढ़	बांसवाड़ा	
47.	घाटोल ,, ,,	घाटोल	घाटोल	बांसवाड़ा	
48.	वसूनी ,, ,,	,,	,,	बांसवाड़ा	
49.	आमझरा ,, ,,	आमझरा	डूंगरपुर	डूंगरपुर	
50.	मालमाथा ,, ,,	बिछीवाड़ा	डूंगरपुर	डूंगरपुर	
51.	बमानफो. ,, ,,	बमान	खारची	पाली	
52.	देसूरी जंगल ,, ,,	देसूरी	देसूरी	पाली	
53.	घाणेराव ,, ,,	देसूरीकीनाल	देसूरी	पाली	
54.	बराखामभायला ,,	बराखाम	ब्यावर	अजमेर	
55.	सातूखेड़ा ,, ,,	आसन	ब्यावर	अजमेर	
56.	मेवाड़ा ,, ,,	मेवाड़ा	डूंगरपुर	डूंगरपुर	
57.	टाटगढ़ को. ग्रा. श्रमिक सह्. समिति लि.	टाटगढ़	ब्यावर	अजमेर	
58.	सरू को. ग्रा. श्रमिक सह्. समिति लि.	प्रसाद	गिरवा	उदयपुर	
59.	जंगली लकड़ी उपज उत्पा. सह्. समिति बून्दी	बून्दी	बून्दी	बून्दी	
60.	बाराबरदा वन श्रमिक सह्. समि. लि.	बाराबरदा	अलवर	अलवर	
61.	राष्ट्रीय लकड़ी उत्पा. सह्. समि. लि.	अलवर	अलवर	अलवर	
62.	सेवाड़ी वन मजदूर ठेका सह्. समि. लि.	सेवाड़ी	पाली	पाली	
63.	पीजना जंगल उपज उत्पा. सह्. समि. लि.	––	बांसथूनी	किशनगंज	
64.	खेरोना वन श्रमिक सह्. समि. लि.	बांसथूनी	किशनगंज	कोटा	
65.	सज्जनगढ़ ,, ,,	सज्जनगढ़	सज्जनगढ़	बांसवाड़ा	
66.	चिकलाड ,, ,,	देवगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	
67.	बालोरिया ,, ,,	पिण्डवाड़ा	पिण्डवाड़ा	सिरोही	

125

1	2	3	4	5	6
68.	भरेव वन श्रमिक सह. स.	भरेव	धरियावद	उदयपुर	
69.	गोपरा ,, ,,	शाहबाद	शाहबाद	कोटा	
70.	शंकर आदर्श बांसकटा बांस उत्पा. समि.	अलवर	अलवर	अलवर	
71.	दी आदिवासी लकड़ी उत्पादन सह. समिति	राजगढ़	राजगढ़	अलवर	
72.	भोमपुरा फोरेस्ट लेबर्स को. सो. लि.	बूंदी	बूंदी	बूंदी	अव-सायन में
73.	जैतपुरा वन श्रमिक सहकारी समि. लि.	छान	स. माधोपुर	स. माधोपुर	
74.	जय अंबे ,, ,,	साकरोदा	गिंयां	उदयपुर	
75.	कापडवेल ,, ,,	कापडवेल	खैरवाड़ा	उदयपुर	
76.	जयपुर वुड वर्क्स ,, ,,	जयपुर	जयपुर	जयपुर	
77.	नाहरगढ़ ,, ,,	नाहरगढ़	किशनगंज	कोटा	
78.	डूंगरसारण ,, ,,	डूंगरसारण	डूंगरपुर	डूंगरपुर	
79.	आबूरोड वन श्रमिक सह. समि. लि.	आबूरोड	आबूरोड	आबूरोड	
80.	जाटवान ,, ,,	जाटनांसी	बयाना	भरतपुर	
81.	बयाना ,, ,,	बयाना	बयाना	भरतपुर	
82.	बारी ,, ,,	बारी	डूंगरपुर	डूंगरपुर	
83.	धरियावद ,, ,,	धरियावद	प्रतापगढ़	उदयपुर	
84.	धोलापानी ,, ,,	धोलापानी	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	
85.	गेहरोली ,, ,,	बयाना	बयाना	भरतपुर	
86.	खेडली गूजर वन श्रमिक सह. स. लि.	खेडली गूजर	हिण्डौन	स. माधोपुर	
87.	गढ़ी बाजना ,, ,,	कोठापुरा	बयाना	भरतपुर	
88.	भवानी मण्डी ,, ,,	भवानी मण्डी	भवानी मण्डी	झालावाड़	अव-सायन में
89.	जम्बूरा ,, ,,	जम्बूरा	करौली	स. माधोपुर	
90.	धौलपुर ,, ,,	धौलपुर	विहाल-गंज चौकी के पास	धौलपुर	
91.	घेडावल ,, ,,	घेडावल	सलूम्बर	उदयपुर	
92.	वलुआ आदिवासी वन श्र. स. स. लि.	सलुवा	सराड़ा	उदयपुर	
93.	राजगढ़ ,, ,,	राजगढ़	राजगढ़	अलवर	
94.	बावरमाल ,, ,,	सिंगरवाड़ा	सराड़ा	उदयपुर	
95.	सायपुर ,, ,,	सायपुर	बयाना	भरतपुर	
96.	श्रीनगर ,, ,,	रूपवास	रूपवास	भरतपुर	
97.	बाड़ी ,, ,,	बाड़ी	बाड़ी	भरतपुर	

1	2	3	4	5	6
98.	आदर्श वन ठेका वन र.स.समि. लि.	बागरा	जालौर	जालौर	
99.	प्रतापगढ़ वन श्रमिक सह. समि. लि.	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	
100.	प्रेमपुरा ,,	प्रेमपुरा	भैंसरोड़गढ़	चित्तौडगढ़	
101.	भैंसरोडगढ़ ,,	भैंसरोडगढ़	भैंसरोड़गढ़	चित्तौडगढ़	
102.	खडीपुर ,,	खडीपुर	मांडलगढ़कि जोलिया	भीलवाड़ा	
103.	पीतामपुरा ,,	पीतामपुरा	तालेड़ा	बूंदी	
104.	बूंदी ,,	–	बूंदी	बूंदी	
105.	फोरेस्ट लेबर को. रे. सो. लि.	–	हनोतिया	कोटा	
106.	खेड़ा वन श्रमिक सहकारी समिति लि.	सीमा का खेड़ा	बून्दी	बून्दी	
107.	टौंक ,,	टौंक	टौंक	टौंक	
108.	नाना वन श्रमिक सहकारी समिति लि.			पाली	
109.	ताबाल बांव ,,			बून्दी	
110.	भोली मजूदी ,,			बून्दी	
111.	लोहिया ,,			बून्दी	
112.	किशनगढ़ ,,			झालावाड़	

फलासिया में आदिवासी छात्रावास

15. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)-क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि झाड़ोल तहसील ट्राइबल ब्लाक में आती है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सही है कि फलासिया में आदिवासी छात्रावास चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ? क्या छात्रावास भवन सरकार की ओर से बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अभी भी सरकार छात्रावास भवन बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि छात्रावास के छात्र किराये पर रहते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ट्राइबल ब्लाक की अब कोई योजना नहीं है।

(2) जी हां। फलासिया में वर्ष 1956-57 से आदिवासी छात्रावास किराये के भवन में चलाया जा रहा है। धनाभाव के कारण छात्रावास भवन बनाने का अभी कोई विचार नहीं है।

(3) जी नहीं।

(127)

अपराधों में वृद्धि

16. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(i) राज्य में 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 तक अपराधों की सामान्य वृद्धि दर क्या रही ?

(2) उक्त अवधि में राज्य में कितने पुलिस फायरिंग हुए एवं इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई एवं कितने घायल हुए ?

(3) उक्त अवधि में राज्य में कितने कत्ल व कितनी डकैतियां हुई तथा इनकी जांच की क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) इस अवधि में 73,610 अपराध पंजीबद्ध हुए जबकि इसी अवधि सन् 1981 में 67052 अपराध पंजीबद्ध हुए। वर्ष 1982 में 6558 अभियोगों की वृद्धि हुई, जिनकी वृद्धि दर 9.78 प्रतिशत रही।

(2) उक्त अवधि में तीन बार पुलिस फायरिंग हुआ, जिसमें 9 व्यक्ति मारे गये व 23 व्यक्ति घायल हुए।

(3) कत्ल— 939, अदम वकु— 50, 157 बी—3, अदमपता 62, अदमसबूत 6, चालान 649, जेर तफ्तीश 169, डकैती — 146, अदमवकु 12, अदमपता 32, चालान 58, जेर तफ्तीश 44।

पेयजल योजना, अलवर

18. श्री जीतमल जैन (अलवर)—क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अलवर नगर में पीने के पानी की उपलब्धि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पूर्ण है ?

(2) अगर नहीं, तो निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराने की क्या योजना है?

(3) क्या सिलीसेड या जयसमन्द झीलों का पानी नगर में वितरण कराये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

नगरपालिका, बयाना द्वारा निर्माण आदि कार्यों पर व्यय

19. श्री जगन सिंह (बयाना)—क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(i) भरतपुर जिले की नगरपालिका बयाना को वर्ष 1980-81 व वर्ष 1981-82 में कितनी-कितनी राशि अनुदान व अन्य निर्माण कार्यों हेतु प्रदान की गई तथा इस राशि को देते समय क्या कुछ शर्तें भी लिखित में भेजी गई ? यदि हां, तो क्या ?

(श्री जगन सिंह)

(2) उपरोक्त धनराशि में से नगरपालिका ने कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों में खर्च की ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राशि को खर्च करने में अनियमितता बरतने एवं भ्रष्ट तरीके अपनाने के विषय में नगरपालिका के सदस्यों ने स्वायत्त शासन राज्य मंत्री व निदेशक, स्वायत्त शासन संस्था को हस्ताक्षरयुक्त शिकायत-पत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका बयाना को वर्ष 1980–81 में सामान्य अनुदान के 77,225/– रु. तथा विशेष अनुदान 1,00,000/–रुपये एवं 1981-82 में सामान्य अनुदान के 77,225/- एवं बाढ़ सहायता के लिये 3,70,000/- रु. कुछ शर्तों के साथ दिये गये थे । शर्तों की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(2) नगरपालिका ने इस धनराशि में से जिस-जिस कार्य पर व्यय किया है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, नगरपालिका के सदस्यों ने शिकायत की है कि उक्त धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। विभाग द्वारा उपखण्ड अधिकारी से जांच करवाई गई है । जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

नगर पालिका बयाना को स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक लेखा/एफ. 14(29)स्थानि/79/17555 दिनांक 16-1-81 द्वारा हरिजन बस्तियों में सड़कों एवं नालियों की मरम्मत/निर्माण हेतु 1,00,000/– रु. (अंकन एक लाख रुपये) विशेष अनुदान के रूप में दिये गये, की शर्तों की प्रतिलिपि–

1. नगरपालिकायें स्वीकृत राशि का 40 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान अपने बजट से व्यय करेंगे ।
2. अनुदान राशि का उपयोग निर्दिष्ट कार्यों पर ही किया जावेगा। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा उक्त राशि के व्यय की जांच की जावेगी ।
3. अनुदान राशि का उपयोग दिनांक 31-3-82 तक किया जावेगा एवं दिनांक 31-5-82 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय में प्रस्तुत करना होगा ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर द्वारा सचिवालय कोषागार, जयपुर आहरण करके सम्बन्धित जिलों कोषागारों की पी. डी. अकाउन्ट में जमा कराके पालिकाओं को भुगतान किया जावेगा ।
5. स्वीकृत राशि का आहरण महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर के अधिकार पत्र के बिना ही वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 6(6) आर एण्ड आई/ दिनांक 4-12-74 के अनुसार किया जावेगा ।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक लेखा/एफ 14( ) डीएलबी/81–82/8538 दिनांक 1-12-81 नगरपालिका बयाना को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त कार्यों के जीर्णोद्धार हेतु सहायता स्वरूप अनुदान, 3,70,000/ (अंके तीन लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र ।

1. राशि का उपयोग क्षतिग्रस्त कार्यों के जीर्णोद्धार हेतु ही मात्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ही किया जावेगा ।

2. उपरोक्त स्वीकृति के अधीन जो भी बाढ़ग्रस्त कार्य कराये जावें उनकी सूची सहायता विभाग, स्वायत्त शासन विभाग को अनुमोदनार्थ भिजवाई जावे तथा किये गये मासिक एवं भौतिक उपलब्धियों का मानचित्र, व्यय हर माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से सहायता विभाग/स्वायत्त शासन विभाग को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर संलग्न कर आवश्यक रूप से भिजवावें ।

3. बाढ़ राहत कार्यों का सम्पादन ठेकेदारों के माध्यम से न कराया जाकर विभागीय स्तर पर वित्तीय लेखा नियमानुसार कराया जावे ।

4. स्वीकृति के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त जिन कार्यों के पुनरुद्धार हेतु कार्य निष्पादन कराया जावे व संबंधित सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक स्वीकृति लेकर कराया जावे ।

5. स्वीकृति के अधीन आहरण राशि के आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम तथा कोषालय का नाम आप कृपया सीधे ही महालेखाकार राज, जयपुर एवं वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचित करायें ।

6. राशि का उपभोग 31 मार्च, 1982 तक भारत सरकार के निर्देश संख्या एफ. 43 (16) पीएफआई/81, दिनांक 5-10-81 सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा समय समय पर जारी सहायता विभाग के निर्देशों के अनुरूप किया जावेगा । तथा किसी भी दशा में आइटमवार आवंटित राशि से अधिक का व्यय नहीं किया जावेगा एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र 10-4-1982 तक आपके प्रतिहस्ताक्षर सहित सीधे ही महालेखाकार को प्रेषित कर सहायता विभाग/स्वायत्त शासन विभाग को सूचित करायेंगे ।

7. व्यय संबंधी लेखों का अंकेक्षण स्थानीय नीधि अंकेक्षण विभाग, राज., जयपुर, सहायता विभाग के आंतरिक निरीक्षण दल एवं निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, के आंतरिक लेखा निरीक्षण दल द्वारा किया जावेगा ।

8. राशि का उपयोग जिन कार्यों हेतु स्वीकृत हुआ है उसी पर व्यय किया जावेगा एवं अनुपयोगी राशि को निर्धारित अवधि में राज्य कोष में वापस जमा कराई जावेगी ।

(130)

9. निदेशक, स्थानीय निकाय, राज., जयपुर द्वारा राशि का आहरण सचिवालय कोषागार से किया जाकर संबंधित जिला कोषागारों/उप कोषागारों से पी. डी. अकाउण्ट में जमा कराकर पालिकाओं व नगर विकास न्यास को भुगतान किया जावेगा।

वर्ष 81-82 में सड़क नालियों पर मरम्मत पर व्यय की सूची।

सितम्बर 81	465.46
अक्टूबर 81	4730.45
नवम्बर 81	1298.60
दिसम्बर 81	398.00
जनवरी 82	5530.25
फरवरी 82	1787.40
मार्च 82	653 75
योग:-	14563.91

वर्ष 82-83 में सड़क व नालियों पर मरम्मत पर व्यय के विकास कार्यों की सूची :

1. अप्रेल 82	343.00
2. मई 82	22540.73
3. जून 82	1,47,493.26
4. जुलाई 82	207.00
5. अगस्त 82	1,11,979.34
6. सितम्बर 82	---
7. अक्टूम्बर 82	41723.66
8. नवम्बर 82	22404.00
योग:-	3,46,692 49

कुल विकास कार्यों पर	3,61,156.40
वेतन बिजली सामान क्रय, फर्नीचर आदि पर व्यय	1,08,843.60
योग:-	4,70,000.00

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण की नीति

20. श्री रंगजी मीणा (सपोटरा), श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 21-8-1982 को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस (आई) के पदाधिकारियों, जिला इकाइयों के अध्यक्षों एवं राजस्थान मंत्रिमण्डल के सदस्यों की बैठक में कांग्रेस (आई) पार्टी के निर्देश पर सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया गया था ?

(2) यदि हां, तो क्या इस निर्णय के बाद इसी नीति के अनुसार शासन के हर क्षेत्र एवं स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के स्थानान्तरण किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जिला बूंदी के लिए स्वीकृत हैण्ड पम्प्स

21. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन):— क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जिला बूंदी के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की भावना से वर्ष 1981-82 में हैंड पम्प्स लगाने की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो कृपया निर्वाचन क्षेत्र वार स्वीकृत हैण्ड पम्प्स की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत हैंड पम्प्स गांवों में लगा दिये गये ? यदि हां, तो कब-कब लगाये तथा कितने लगाने शेष हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची–अ)

(2) विवरण संलग्न है।

(सूची ब एवं स)

वर्ष 81-82 में स्वीकृत हैण्ड पम्प योजनाओं का निर्वाचन क्षेत्रवार विवरण

(क) विधानसभा क्षेत्र नैनवां

क्रमांक	गांव का नाम	कोड सं.	तहसील	हैण्ड पम्पो की संख्या
1	2	3	4	5
1.	बन्थली	161	नैनवां	2
2.	देवरिया	84	नैनवां	2
3.	बोरदा	58	नैनवां	2
4.	मानपुरा	8	नैनवां	2

1	2	3	4	5
5.	सानपुरा	98	नैनवां	2
6.	रघुनाथगंज	9	नैनवां	2
7.	सगतपुरिया	74	नैनवां	2
8.	भमर	97	नैनवां	2
9.	गम्भीरी	11	नैनवां	2
10.	गाठरिया	79	नैनवां	2
11.	रालरी	14	नैनवां	2
12.	गोबरिया	95	बून्दी	5
13.	भीमगंज	80	बून्दी	2
14.	नरसिंहपुरा	69	बून्दी	2
15.	रिहाणा	100	बून्दी	3
				34

(ख) विधान सभा क्षेत्र बून्दी

1.	शिवशक्ति का खेड़ा	53	बून्दी	2
2.	गुमानपुरा	122	बून्दी	6
3.	चान्दनहेलो	187	बून्दी	2
4.	पलका	229	बून्दी	2
5.	अनूपपुरा	141	बून्दी	2
6.	बावड़ीखेड़ा	129	बून्दी	2
7.	गोलपुरा	143	बून्दी	2
8.	रघुनाथपुरा	210	बून्दी	2
9.	पीपल्दा	117	बून्दी	4
10.	उसालिया	248	बून्दी	2
11.	बहादुरपुरा	49	बून्दी	2
12.	जरखोदा	119	बून्दी	2
13.	नानकपुरिया	47	बून्दी	2
14.	सांवलपुरा	123	बून्दी	2
15.	सेदरी	188	बून्दी	2
				36

(133)

1	2	3	4	5
(ग) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली				6
1.	डाटून्दा	102	हिण्डोली	2
2.	ग्रोजन्डा	12	हिण्डोली	8
3.	रोनीजा	14	हिण्डोली	2
4.	धारधारी	15	हिण्डोली	4
5.	डावेटा	133	हिण्डोली	3
6.	परालीं	3	हिण्डोली	2
7.	केसरगंज	9	हिण्डोली	2
8.	जाखोलीकलां	99	हिण्डोली	2
9.	गोरधनपुरा	42	हिण्डोली	2
10.	ब्राह्मणों की झो.	39	हिण्डोली	2
11.	भीमगंज	35	हिण्डोली	2
12.	किशनपुरा	43	हिण्डोली	2
13.	बाड़ीखेड़ा	89	हिण्डोली	2
14.	खानोतियाँ	24	बून्दी	2
15.	ओंकारजी की झो.	19	बून्दी	2
16.	रूपनगर	27	बून्दी	
				45

1	2	3	4	5
(घ) विधान सभा क्षेत्र, केशोरायपाटन				6
1.	बलकासा	95	केशोरायपाटन	2
2.	बागली	43	केशोरायपाटन	2
3.	बालदरा	98	केशोरायपाटन	2
4.	पापरली	53	केशोरायपाटन	2
5.	रामगंज	46	केशोरायपाटन	2
6.	कानीहेरा	108	केशोरायपाटन	2
7.	रंगराजपुरा	137	केशोरायपाटन	2
8.	पीपल्दा	147	केशोरायपाटन	2
9.	लक्ष्मीपुरा	54	केशोरायपाटन	2
10.	कंवरपुरा	78	केशोरायपाटन	2

1	2	3	4	5
11.	जगदरी	162	केशोरायपाटन	2
12.	चांचच	100	केशोरायपाटन	2
13.	इन्दरपुरिया	129	केशोरायपाटन	3
14.	वनियानी	103	केशोरायपाटन	2
				33

निर्वाचन क्षेत्रवार गांवों का विवरण जहां हैण्ड पम्प लगाये गये

(क) विधान सभा क्षेत्र नैनवां

क्रमांक	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	हैण्ड पम्पों की संख्या	वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	देवरिया	84	नैनवां	2	81-82
2.	बोरदा	58	नैनवां	2	82-83
3.	मानपुरा	8	नैनवां	2	82-83
4.	सगतपुरिया	74	नैनवां	2	82-83
5.	भमर	97	नैनवां	2	80-81
6.	नरसिंहपुरा	69	बून्दी	2	81-82
7.	रेहाणा	100	बून्दी	3	82-83
8.	रालरी	14	नैनवां	2	81-82
				17	

(ख) विधान सभा क्षेत्र बून्दी

1.	शिवशक्ति का खेड़ा	53	बून्दी	2	81-82
2.	गुमानपुरा	122	बून्दी	6	82-83
3.	पलका	229	बून्दी	1	81-82
4.	पीपल्दा	117	बून्दी	4	82-83
5.	बहादुरपुरा	49	बून्दी	1	82-83
6.	नानकपुरिया	47	बून्दी	2	82-83
7.	सेन्दरी	188	बून्दी		80-81
				17	

1	2	3	4	5	
(ग)	विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली				
1.	बादून्दा	102	हिण्डोली	3	80-81
2.	मोडन्डा	12	हिण्डोली	2 (2 हैण्ड पम्प 79-80 में भी स्वीकृत)	81-82
3.	रौनीजा	14	हिण्डोली	8	82-83
4.	धारघड़ी	15	हिण्डोली	2	82-83
5.	डावेटा	133	हिण्डोली	4	80-81
6.	पराला	3	हिण्डोली	3	81-82
7.	केसरगुज	9	हिण्डोली	2	81-82
8.	जाखेलीकलां	99	हिण्डोली	2	82-83
9.	गोरधपुरा	42	हिण्डोली	2	81-82
10.	ब्राह्मणों की झो.	39	हिण्डोली	2	81-82
11.	भीमगंज	35	हिण्डोली	2	81-82
12.	विशनपुरा	43	हिण्डोली	2	81-82
13.	बाडी का खेड़ा	89	हिण्डोली	2	82-83
				36+2	
(घ)	विधान सभा क्षेत्र केशोराय पाटन				
1.	इन्दरपुरिया	129	केशोरायपाटन	3	82-83

जनवरी, 1983 तक बचे हुए गांवों की सूची जो वर्ष 81-82 में हैन्ड पम्प योजना हेतु स्वीकृत हुए किन्तु कार्य कराया जाना शेष है

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	हैण्ड पम्प संख्या
1	2	3	4	5
(क)	विधान सभा क्षेत्र नैनवां			
1.	वन्धली	161	नैनवां	2
2.	मानपुरा	98	नैनवां	2
3.	रघुनाथगंज	9	नैनवां	2
4.	गम्भीरी	11	नैनवां	2
5.	गाठरया	79	नैनवां	2
6.	गोवरया	95	बून्दी	5
7.	भीमगंज	80	बून्दी	2
				17

136

1	2	3	4	5
(ख)	विधान सभा क्षेत्र बून्दी			
1.	वान्दलहेली	187	बून्दी	2
2.	अनूपपुरा	141	बून्दी	2
3.	बावड़ीखेड़ा	129	बून्दी	2
4.	गोलपुरा	143	बून्दी	2
5.	रघुनाथपुरा	210	बून्दी	2
6.	इसालिया	248	बून्दी	2
7.	जरखोदा	119	बून्दी	2
8.	सांवलपुरा	123	बून्दी	2
9.	पलका	229	बून्दी	1
10.	बहादुरपुरा	49	बून्दी	1
11.	सेन्दरी	188	बून्दी	1
				19

(ग) विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली

1.	खनोतिया	24	बून्दी	2
2.	ओंकारजी की झो.	19	बून्दी	2
3.	रूपनगर	27	बून्दी	2
4.	डाटुन्दा	102	हिण्डोली	3
				9

(घ) विधान सभा क्षेत्र केशोराय पाटन:—

1.	बलकासा	95	केशोरायपाटन	6
2.	बांगली	43	केशोरायपाटन	2
3.	बलधारा	98	केशोरायपाटन	2
4.	पापरली	53	केशोरायपाटन	2
5.	रामगंज	46	केशोरायपाटन	2
6.	कानीहेरा	108	केशोरायपाटन	2
7.	रंगराजपुरा	137	केशोरायपाटन	2
8.	पीपल्दा	147	केशोरायपाटन	2

1	2	3	4	5
9.	लक्ष्मीपुरा	54	केशोरायपाटन	2
10.	कंवरपुरा	79	केशोरायपाटन	2
11.	जगदरी	162	केशोरायपाटन	2
12.	चावच	100	केशोरायपाटन	2
13.	बनियानी	103	केशोरायपाटन	2
				30

जयपुर-अजमेर नेशनल हाई-वे की यातायात व्यवस्था में सुधार

22. श्री भैरू सिंह गुर्जर (सारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर-अजमेर नेशनल हाई वे रोड पर जयपुर चुंगी-चौकी के पास यातायात सुचारु रूप से चलाने हेतु क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या इस जगह से आवागमन हेतु समय निर्धारित है ?

(3) क्या संध्या के समय यहां सड़क पर ट्रकें भारी तादाद में अव्यवस्थित रूप में खड़ी होती हैं ? यदि हां, तो क्यों और तब यातायात पुलिस क्या करती है ?

(4) क्या सरकार इस अव्यवस्था को सुधारने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जयपुर-अजमेर नेशनल हाइ वे रोड चुंगी चौकी के पास यातायात नियंत्रण हेतु यातायात सहायता केन्द्र स्थापित किया हुआ है जहां हर समय एक सहायक उप-निरीक्षक पुलिस एवं 3 आरक्षी ड्यूटी पर रहते हैं। इन्हें वॉयरलेस सैट भी दिया हुआ है जो हर समय खुला रहता है ताकि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मदद प्राप्त की जा सके।

(2) जी नहीं।

(3) संध्या के समय चुंगी-चौकी के पास प्रायः काफी तादाद में ट्रकों का जमाव हो जाता है। यातायात सहायता केन्द्र के कर्मचारी इन ट्रकों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करवाते हैं जिससे आवागमन में रुकावट न हो।

(4) वाहनों के भारी संख्या में आवागमन को देखते हुए यह विचार किया जा रहा है कि इस चुंगी-चौकी के निकट मुख्य सड़क के दोनों तरफ छोटी सड़कें बनाई जायें, जिससे मुख्य सड़क पर रुकावट न हो।

जल प्रदाय योजना, बामनवास

23. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह

(श्री कुंजीलाल)
बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बामनवास कस्बा में जल प्रदाय योजना सुचारु रूप से नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या बामनवास कस्बा को बानोर स्कीम से जोड़ा जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस कस्बे को उक्त योजना से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भूमिगत जल की कमी के कारण।

(2) योजना विचाराधीन है।

(3) योजना की स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा भोजों का आयोजन

24. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या नगर विकास न्यास, उदयपुर के वर्ष 1980-81, 1981-82 व 1982-83 के बजट में भोज के निमित्त कोई रकम रखी गई ? यदि हां, तो कृपया तीनों बजट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या वर्तमान अध्यक्ष ने भोज के आयोजन रखे ? यदि हां, तो 31 जनवरी, 1983 तक कितने भोजों का आयोजन किया और आयोजन का कारण क्या था व उसमें मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि कौन थे, कितने लोगों का भोजन बनाया गया एवं कितना धन खर्च हुआ ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रति सदन की पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां। कुल 11 भोज-आयोजन किये गये थे। जिनके विवरण की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

वर्तमान अध्यक्ष के काल में न्यास द्वारा दिनांक 31-1-1983 तक भोजों का आयोजन किया गया उसकी सूची :—

क्र. सं.	आयोजन की तिथि	मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि के भोज का कारण	लोगों की संख्या लगभग	प्रत्येक भोज पर व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	18-12-1981	सेमीनार (युनिसेफ) में पधारे विशिष्ट अतिथियों को भोज दिया गया	150	3,100.00

(137)

1	2	3	4	5
2.	18-4-1982	स्वायत्त शासन मंत्री महोदय एवं सचिव, नगरीय विकास आवासन विभाग, जयपुर पधारे उस अवसर पर।	26	789.00
3.	23-4-1982	राजस्थान लेखक सम्मेलन में साहित्यकारों को भोज	175	1,379.80
4.	2-6-1982	संसदीय संयुक्त समिति के सदस्यों के आगमन पर	70	2,374.00
5.	25-6-1982	अध्यापकों को दिये गये भोज आदि पर	100	1,280.00
6.	10-7-1982	जिला प्रमुख सरपंच आदि को दिये गये भोज पर	120	1,152.50
7.	28-8-1982	प्रगतिशील लेखक सम्मेलन पर भोज	150	1,738.86
8.	10-9-1982	बैडमिन्टन टीम को भोज दिया गया	56	1,768.50
9.	7-11-1982	नवम् प्रौढ़ सम्मेलन के अवसर पर भोज	250	1,770.16
10.	27-12-1982	प्रगतिशील लेखक सम्मेलन के अवसर पर	105	2,310.00
11.	26-12-1982	क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भोज।	107	2,134.65

20 सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धियां

25. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1982 से जनवरी, 1983 तक नये 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रदेश में क्या लक्ष्य रखे गये थे व क्या भौतिक उपलब्धियां रहीं? कृपया प्रत्येक सूत्र के बारे में जानकारी सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त अवधि में किन-किन सूत्रों की उपलब्धि में कितनी-कितनी असफलता रही? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नया 20 सूत्री कार्यक्रम राज्य में मूलत: अप्रेल, 1982 से क्रियान्वित किया गया है। भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियों का सूत्रवार विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) सूत्र जिनमें प्रगति धीमी है, उनका ब्यौरा भी उपरोक्त विवरण में अंकित है।

(१४०)

20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का सूत्रवार प्रगति विवरण

सूत्र 1	लक्ष्य 2	उपलब्धि जनवरी, 83 तक 3	
1. **अधिक सिंचाई अधिक उपज**			
(1) **राजस्थान नहर**			
स्टेज–I	30000 हैक्टे.	कार्य प्रगति पर है	
स्टेज–II	5000 हैक्टे.	कार्य प्रगति पर है	
(2) सिंचाई विभाग	28600 हैक्टे.	13856 हैक्टे.	
(3) कुओं द्वारा			
नए कुए	6500	4175	
कुए गहरे कराना	3700	2057	
पम्प सैट	9500	6230	
नलकूप	60	32	
सिंचाई क्षमता	25000 हैक्टे.	16959 हैक्टे.	
2. **दलहन दुगुनी तिलहन तिगुनी**			
दलहन	22.20 लाख टन	5.00 लाख टन	खरीफ
		14.90 लाख टन	रबी-सम्भावित
तिलहन	7.15 लाख टन	1.61 लाख टन	खरीफ
		4.43 लाख टन	रबी
3. **पिछड़े को पहले**			
(1) **एकीकृत ग्रामीण विकास**			
कुल परिवार	1,41,600	1,08,978	
अनुसूचित जाति परिवार	50,000	40,349	
अनु. जन जाति परिवार	28,000	17,249	
(2) **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार**			
मानव श्रम दिवस	31,20,000	40,73,000	
4. **भूमिहीन को भूमि**			
भू-आवंटन	10,000 एकड़	9,213 एकड़	

1	2	3
5. कृषि मजदूरी पूरी-पूरी	न्यूनतम वेतन रु. 9/-प्रतिदिन दिनांक 1-4-1982 से लागू किया जा चुका है	
6. बन्धक मुक्ति	200	114
7. हरिजन गिरिजन विकास		
अनु. जाति परिवारों को सहायता	52,500	45,179
अनु. जन जाति ,, ,,	22,000	23,386
पीने का पानी, लाभान्वित ग्राम	2,700	2,773
9 गरीब को छप्पर		
(1) भू-खण्ड आवंटन	50,000	91,198
(2) भवन निर्माण सहायता	30,000	4,353 भवन पूर्ण 3,905 मकान निर्माणाधीन
10. गन्दी बस्ती सुधार		
(1) पर्यावरण सुधार—लाभान्वित व्यक्ति	31,500	42,401
(2) आर्थिक कमजोरों को आवासन	7,099	9,417
11. गांव में उजाला		
(1) ग्रामीण विद्युतीकरण—गांव	1,000	335
(2) कुओं का ऊर्जाकरण	10,000	6,734
12. जंगल से मंगल		
(1) वृक्षारोपण (लाख पौधे)	350	417
(2) गोबर गैस संयंत्र	5,000	1,326 पूर्ण 1,165 निर्माणाधीन
13. छोटा परिवार		
(1) स्टरलाइजेशन	2,15,000	1,09,886
(2) आई.यू.डी.	65,000	14,098

1	2	3
14. सब स्वस्थ		
(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अपग्रेडेशन	7	7
(2) नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2	2
(3) नये उप केन्द्र	250	250
(4) टी. बी. केसेज	14,000	7,099
(5) कुष्ठ रोग	3,000	2,149
(6) नेत्र रोग	27,000	25,415
15. मातृ शिशु कल्याण		
आई. सी. डी. एस. खण्ड प्रारम्भ करना	13	13
16. सब साक्षर—बालकों का नामांकन		
11 से 14 वर्ष आयु वर्ग	9,20,000	9,35,000
6 से 11 वर्ष आयु वर्ग	36,00,000	34,06,000
प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	7,000	6,941
प्रौढ़ नामांकन	2,10,000	2,12,946
17. घर-घर राशन		
उचित मूल्य की दुकानें		
ग्रामीण क्षेत्र	1,100	820
नगरीय क्षेत्र	850	549
चालू दुकानें	50	39
18. ग्रामीण उद्योग धन्धे		
(1) लघु उद्योग इकाइयां	5,000	4,212
(2) ग्रामीण उद्योग इकाइयां	10,000	10,102
(3) हाथ करघे	1,900	1,569

पंचायत समिति, जसवंतपुरा चान्दूर तवाव को जल प्रदाय योजना

27. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, जसवंतपुरा के ग्राम चान्दूर तवाव की नल योजना का सर्वे किया जा चुका है तथा काफी समय से उक्त दोनों ग्रामवासी पेय जल उपलब्ध कराने हेतु मांग करते आ रहे हैं और जालौर जिला परिषद ने भी विभाग को सिफारिश की है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों की पेयजल योजना को स्वीकृति नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में पीने के पानी की कमी है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या का निवारण कब तक कर देगी ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम चान्दूर को परम्परागत स्रोत योजना वर्ष 79-80 में स्वीकृत की गई, किन्तु ग्राम में बिजली नहीं होने के कारण यह योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकी। तवाव ग्राम परम्परागत स्रोत योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) जी हां। चान्दूर ग्राम में पेयजल समस्या के निवारण हेतु ग्राम बुगाव से विस्तारीय योजना विचाराधीन है जो धन की उपलब्धि के अनुसार क्रियान्वित की जा सकेगी।

नगरपालिका, गंगाशहर द्वारा भू-खण्डों का आवंटन

29. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका गंगाशहर द्वारा वर्ष 1970 में गांधी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में 9 भू-खण्डों का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो किस-किस को ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त आवंटित भू-खण्डों को फर्जी आवंटन मान कर दिनांक 6-3-80 को जिलाधीश, बीकानेर द्वारा निरस्त कर दिया गया ? यदि हां, तो इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या जिलाधीश, बीकानेर ने उक्त आदेश में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर आवंटन करने वालों के विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या ?

(4) क्या उक्त भू-खण्ड अभी तक खाली पड़े हैं ? यदि हां, तो उनको नीलामी द्वारा बेचने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। परन्तु जिलाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील हो जाने के कारण मामला सुनवाई में चल रहा है।

(3) जी हां। मामला अभी सुनवाई में है। निर्णय के बाद ही अन्तिम निर्णय लिया जावेगा।

(4) जी हां। निर्णय होने के बाद ही कार्यवाही संभव हो सकेगी।

144

वर्ष 1970 में आवंटन किए गए भू-खण्डों की सूची

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री कुम्भाराम पुत्र लाभुराम मेघवाल
2.	श्री कानाराम पुत्र बगताराम ,,
3.	श्री बालूराम पुत्र आसाराम ,,
4.	श्री मुकाराम पुत्र आसाराम ,,
5.	श्री बनाराम पुत्र नत्थाराम ,,
6.	श्री रामकरण पुत्र किशनलाल ,,
7.	श्री मादूराम पुत्र कावाराम नायक
8.	श्री गणेशाराम पुत्र हमीराम मेघवाल
9.	श्री चोखाराम पुत्र देवाराम मेघवाल

———